त्रयोदश माला, खंड 39, अंक 1

शुक्रवार, 30 जनवरी 2004

10 माघ, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 39 में अंक 1 से 5 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 39, चौदहवां सत्र (भाग–दो) 2004/1925 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2004/10 माघ, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
शहीद दिवस	2
अंतरिम बजट (रेल) 2004-2005	11-21
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 2003-2004	21
अतिरिक्त अनुदान की मांग (रेल), 2001-2002	21
सभापटल पर रखे गए पत्र	21-30
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	31-32
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	32
याचिका समिति	
उनतालीसवां से इकतालीसवां प्रतिवेदन	32
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
आठवां प्रतिवेदन	33
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
की–गई कार्यवाही संबंधी विवरण	33
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
उनचासवां से इक्यावनवां प्रतिवेदन	33-34
सभा का कार्य	34-37
सदस्यों द्वारा निवेदन	40-62
(एक) मध्य प्रदेश में झाबुआ में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार के बारे में	40-47
(दो) 23 दिसम्बर, 2003 को सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के पश्चात् 13वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र का सत्रावसन न किए जाने के बारे में	47-62
विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक	63-76
विचार करने के लिए प्रस्ताव	

विषय	कॉलम

श्री हरिन पाठक	63-65, 73-74
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	o5-68
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	68-69
श्री जी.एम. बनातवाला	69-71
श्री अधीर चौधरी	71-72
श्री सुरेश कुरुप	72-73
खंड 2 और 1	74-76
पारित करने के लिए प्रस्ताव	76
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	76-135
(एक) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण – वापस लिया गया	76-104
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	77-80
श्री अरूण शौरी	80-91, 100-104
श्री राम विलास पासवान	91
श्री रामदास आठवले	92
श्री शिवराज वि. पाटील	92-99
श्री सुरेश कुरुप	89
(दो) राष्ट्रीय बाल नीति – वापस लिया गया	104-133
श्रीमती रेणूका चौधरी	104-111, 132-133
प्रो. रासासिंह रावत	112-119
श्री बालकृष्ण चौहान	119-121
श्री वरकला राधाकृष्णन	12*-124
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	124-126
श्रीमती जसकौर मीणा	126-130, 131-132
(तीन) महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाना	133-136
प्रो. ए. के. प्रेमाजम	133-136
ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक	136-138
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. सी. थामस	136

लोक सभा

शुक्रवार, 30 जनवरी, 2004/10 माघ, 1925 (शक)

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कई जिले समाप्त कर दिए गए हैं। *...(व्यवधान)* वहां जंगल राज कायम हैं। *...(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दें। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर सदन में चर्चा करायी जाए। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। यहां शहीद दिवस की बात की जा रही है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

शहीद दिवस

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों आज शहीद दिवस* है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।* आज के दिन राष्ट्र प्रतिवर्ष उन वीर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीदों के महान बलिदान के कारण ही आज हमारा देश गौरवपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है।

आइए हम सब राष्ट्र के साथ मिलकर* राष्ट्रपिता और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। अब सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 12.01½ बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(*.......* कार्यवाही में माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों के अनुसार जोड़ा गया)

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट आल्वा (कनारा) : उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत में महात्मा गांधी और अन्यों के नाम सम्मिलित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। उसमें महात्मा गांधी का नाम होना चाहिए।

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी जगहों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका जरूर दूंगा। आप उस समय बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी जगहों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता वहां खड़े हैं। वह बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए। मुझे स्थगन प्रस्ताव के लिए चार नोटिस मिले हैं और मैंने उन नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन मैं उन सभी चारों व्यक्तियों को 'शून्य काल' के दौरान अपने विचार रखने की अनुमति दूंगा। सदस्य अपनी बात 'शून्य काल' के दौरान कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे के अंतरिम बजट पर चर्चा आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

अपराह्न 12.04 बजे

(इस समय श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो ऑवर में बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा 'शून्यकाल' के दौरान उठाया जा सकता है, अब नहीं। कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में रेल बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइए। भूरिया जी, आप यहां क्या करेंगे। जीरो ऑवर में बोलियेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस जीरो ऑवर का है। उसे जीरो ऑवर में रेज कीजियेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन प्रसारण रोका जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने मुद्दों को 'शून्य–काल' के दौरान उठा सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह मुद्दे स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं हैं और आपने नोटिस भी नहीं दिया है।

[हिन्दी]

भूरिया जी, आपका एडर्जनमेंट मोशन नोटिस नहीं है, वह जीरो ऑवर का है। मैं आपको जीरो ऑवर में बोलने की इजाजत दूंगा। आप अपनी जगह पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप वापस अपनी सीट पर जाइए। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने मुद्दे 'शून्य–काल' के दौरान उठाएं।

[हिन्दी]

अभी जीरो ऑवर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय महत्व का है। मैं आपको जीरो ऑवर में बोलने की परमीशन देने के लिए तैयार हूं। यदि आपको चर्चा चाहिए तो नोटिस दे दें। अगर आप वैल में आ जाएंगे तो कैसे होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया वापस अपनी सीटों पर जाइए। कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी इजाजत नहीं दूंगा। आप अपनी सीटों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री महोदय, आप अपना रेल बजट प्रस्तुत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बजट की प्रस्तुति दूरदर्शन पर दिखाई जाए। कृपया अपनी सीटों पर जाइए। हमारे देश के नागरिक भी यह जानें कि हम इस सभा के शालीन सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया वापस अपनी सीटों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी जगह पर जाइए, अभी मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये मैंने आपके लीडर को कहा है। वह इश्यु रेज करेंगे और उन्हें जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर ऐसी बात कहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वे उनके दल के नेताओं को नहीं पहचानते।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

(इस समय श्री अवतार सिंह भड़ाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगहों पर चलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह विषय इस तरीके से हाऊस में नहीं आ सकता है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि है।

महोदय, आप सभा के अभिरक्षक हैं और सभी मामलों में आपका निर्णय अंतिम होता है। इससे पहले कि मैं स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता का मुद्दा उठाऊं, मैं, अफसोस के साथ यह कहता हूं कि संभवतः पहली बार शहीद दिवस पर महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया गया है। ...*(व्यवधान)* मैं यह महसूस करता हूं कि यह न केवल सभा का पूरी तरह से अपमान है बल्कि इससे यह भी दिखाई देता है कि हमारे लिए राष्ट्रपिता का महत्व कितना कम है। मेरा विचार है कि आज के शहीद दिवस संबंधी उल्लेख में महान शहीद महात्मा गांधी का नाम सम्मिलित करके समुचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। यह मेरी पहली विनती है।

. महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता का मुद्दा आप के हाथों में है। हमारा मार्गदर्शन आपके निर्णय से होगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया हमें सुनें और तब आप समय की बात करें। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : रेल बजट शुरू हो चुका है, इनकी एडमिसिबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से ये जो भी बोलना चाहें, क्या बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, झाबुआ में साम्प्रदायिक दंगे जिसमें बलात्कार, सम्पति और अनेक जनजातियों को जलाये जाने जैसी घटनाएं हुई हैं ...*(व्यवधान)* ये घटनाएं बजरंग दल, आर. एस.एस. और सेवा भारती के कुछ लोगों द्वारा, जैसाकि समाचार पत्र में बताया गया है, अंजाम दी गई हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : ये अपनी हताशा निकाल रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्योंकि ये निराश हो चुके हैं। ...*(व्यवधान)* जिस तरीके से इन्होंने एक मिनिस्टर को फिजीकली रोकने की कोशिश की और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी हम जोरदार निंदा करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* यह क्या तरीका है कि हाऊस में इस तरह बोलने लग जाएं। ...*(व्यवधान)* ये रेल मंत्री को जानबूझकर बोलने से रोकना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय गृहमंत्री को सबसे पहले सभी तथ्यों के साथ इस घटना पर एक वक्तव्य देना चाहिए। पुजारियों को हिरासत में लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा 'शून्य काल' के दौरान होगी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासुमंशी : महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महात्मा गांधी का नाम शहीदों की सूची में सम्मिलित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज का दिन सिर्फ महात्मा गांधी के कारण ही शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपके अनुरोध के बाद जो मुझे प्राप्त हो चुका है, मैं उस नाम को भी सम्मिलित करूंगा। अब, यह महात्मा गांधी के नाम के साथ पढ़ा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, वास्तव में हमें बहुत दुःख है कि आज अध्यक्षपीठ द्वारा किए गए उल्लेख में महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। हम इस बात से बहुत दुःखी हैं। इसके विरोध में हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। हम महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं? आज के दिन हम महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख करना कैसे भूल सकते हैं? हमें वास्तव में पता नहीं कि इस संसद को हो क्या गया है? क्यों उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि उसमें महात्मा गांधी का नाम भी होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज का दिन महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के कारण ही शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और स्वयं मैं राजघाट गए थे। हम लोग वहां से आए। मैं जैसे ही यहां आया मुझे यह पाठ मिला। महात्मा गांधी का नाम इसमें होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें महात्मा गांधी का नाम सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, रेल मंत्री बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सभी सदस्यों को 'शून्य-काल' के दौरान बोलने की अनुमति दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आज हम राष्ट्रपिता का नाम भूल गए हैं। राष्ट्र के प्रति यह बहुत बड़ा अपमान है। इसके विरोध में हम सभा का बहिष्कार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

क्या इस देश में हम महात्मा गांधी का नाम भूल जाएंगे? .. .*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

(तत्पश्चात् श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम भी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 12.16¼ बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले तीन बार का रिकार्ड मैंने देखा है। इस विषय में जो स्टेटमैंट मैंने आज दिया है, वही पिछली तीन बार दिया था। इसमें क्या नई बात है? तो भी संसद सदस्यों के कहने पर मैंने महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया है। पिछली तीन बार भी वही था। कोई नई बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। ये जान-बूझकर महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : सिर्फ अपने

परिवार का नाम लेकर सत्ता में रहने वाले लोग आज गांधी जी का नाम लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिकार्ड की जांच की है। यही शब्दावली पूर्व मे तीन बार प्रयुक्त की गई है। इस बार भी यही शब्दावली का प्रयोग किया गया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

श्री चन्द्रशेखर कृपया बोलें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, अगर तीन बार नाम नहीं लिया गया और इस बार कोई याद दिलाना चाहता है तो मैं कोई एतराज़ इसमें नहीं देखता कि प्रधान मंत्री जी या आप स्वयं उस नाम को उसमें जोड़ लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने जोड़ दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मैं अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ, आप नहीं जोड़ेंगे। अगर प्रधान मंत्री जी एक शब्द कह दें तो यह झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी का नाम लेने में न उनको एतराज़ होगा, न हममें से किसी को एतराज़ होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सरकार की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। प्रधान मंत्री के नैफ्यू अगर सुरक्षित नहीं रह सकते, जिस तरीके से उनको ट्रेन से फेंक दिया गया और पुलिस ने एफ.आई.आर. तक करने से इंकार कर दिया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती।

किस तरह से कांस्टीट्यूशन काम कर रहा है, किस तरह से ला–एंड–आर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, इससे ज्यादा खराब मिसाल 55 साल के अंदर नहीं मिल सकती। आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है।

महोदय, दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो जिले बनाए थे, उनमें से नौ जिलों को खत्म कर दिया गया है। इतिहास के अंदर मैंने किसी ऐसे शासक को नहीं देखा जो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता हो कि जहां से अपनी पार्टी का एम.पी. मौजूद है, कन्नौज, वह जिला बाकी रहेगा या जहां से अपनी पार्टी के पार्टनर श्री अजीत सिंह जी सांसद हैं, वह जिला बाकी रहेगा, बाकी तमाम जिलों को खत्म कर दिया जाएगा।

महोदय, कहा जा रहा है कि रैवेन्यू की प्रॉब्लम है। सर रैवेन्यू की प्रॉब्लम यदि है, तो वह सभी जिलों और पूरे प्रदेश के लिए है। सारी इमारतें बना दी गईं, पूरा काम होने लगा। दूसरे तमाम जिलों के अंदर कार्रवाई हो रही है, तमाम इमारतें बन गई हैं, सारा काम सात साल से बराबर सभी नए जिलों में चल रहा है। सभी जिले बाकायदा काम कर रहे हैं और उन्हें एक मिनट के अंदर खत्म कर दिया गया। ...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसी विषय पर बोलने के लिए समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर के दौरान बोलिए।

श्री राशिद अलवी : सर, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो ताल्लुक बी.जे.पी. और मुलायम सिंह जी का आज है, समाजवादी पार्टी और बी.जे.पी. जिस तरह से मिल रहे हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ड्यूरिंग जीरो अवसर आप रेज कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं जीरो आवर में आपको समय दूंगा।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री अशोक प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, "जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को कुल राजस्व का 1/6 भाग देता है और इस जिलें में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूरे देश में इस जिले का एक अलग स्थान है।" मैं कहना चाहता हूं कि सिकंदराबाद और जेवर के कुछ गांवों को वहां की जनभावनाओं के आधार पर बुलंदशहर जिले में जोड़ दिया जाए और इस जिले को औद्योगिक जिले का स्वरूप बहाल किया जाए। इस विषय में हम श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकार से इस बारे में बात की।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री जी, अब आप प्रारम्भ करें।

अपराह्न 12.23 बजे

[हिन्दी]

अन्तरिम बजट (रेल) – 2004-2005*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष वर्ष 2003–2004 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2004–2005 के लिए अनुमानित व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुमान पूरे साल के लिए हैं परन्तु इस समय मैं सम्मानित्त सदन से वर्ष के प्रथम चार माह के लिए आवश्यक अनुमानित व्यय को पूरा करने हेतु "लेखानुदान" देने का अनुरोध कर रहा हूं। वर्ष के बाकी समय की जरूरतें बाद में अलग से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में ठोस कदम उठाए गए हैं। उनके दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के फलस्वरूप रेलवे अपनी गतायु परिसम्पत्तियों के नवीकरण तथा बदलाव का अत्यन्त जरूरी कार्यक्रम आरम्भ कर सकी है जिसके लिए सुनिश्चित वित्त पोषण सामान्य राजस्व से पर्याप्त समर्थन प्राप्त "विशेष रेल संरक्षा निधि" द्वारा किया गया है। एक अन्य पहल "राष्ट्रीय रेल विकास योजना" का शुभारंभ है जो रेल नेटवर्क के संतृप्त खंडो की क्षमता में वृद्धि के लिए बनाई गई है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर घोषित "रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन" की स्थापना का उद्देश्य संरक्षा, नियंत्रण तथा डिजाइन टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बनाना है। उनके निर्देशानुसार रेलवे के योजना परिव्यय के बजटीय समर्थन में पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे कई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, बजटेतर पहल से रेलवे ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का मार्ग भी अपनाया है।

सुरक्षा

यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद के चालू सत्र में ही रेलवे एक्ट तथा आर पी एफ एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप रेल सुरक्षा बल को रेलवे एक्ट के तहत छोटे–मोटे अपराधों के मामलों में जांच करने व अभियोजन की कार्रवाई करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और इस प्रकार राजकीय रेल पुलिस (जी. आर.पी) गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगी। इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और जी आर पी प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक 15 जनवरी को रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। तदुपरान्त, रेल सुरक्षा बल 1 जुलाई, 2004 से यात्री गाड़ियों में मार्गरक्षण तथा यात्री क्षेत्र में सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से निभाने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के साथ इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी समन्वय बैठकों को संस्थागत रूप से प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी को आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है।

संरक्षा

12 और 13 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में "भारतीय रेल पर संरक्षा" के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके बाद क्षेत्रीय रेलों पर भी ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें संरक्षा के प्रति जागरूकता, भारतीय रेल के सभी स्तर के कर्मियों द्वारा संरक्षा को बेहतर बनाने और इस दिशा में सकारात्मक उपाय करने सहित संरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया गया था। "संरक्षा संवाद" कही जाने वाली यह एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसमें जमीनी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशनों को शामिल किया गया। इन "संरक्षा संवादों" से जहां एक ओर कर्मचारियों में जागरूकता की भावना और संरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी वहीं प्रशासन चिह्नित क्षेत्रों में तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा कर्मचारियों का भरोसा और विश्वास जीतने में सफल हुआ है।

पहली बार भारतीय रेल की एक "समवेत संरक्षा योजना (2003–2013)" तैयार की गई जिसे 19.8.2003 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। इस संस्था योजना में भारतीय रेल के संरक्षा संबंधी लक्ष्यों का समग्र रूप से उल्लेख किया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलें और मंडल संरक्षा योजना को अपनी विस्तृत कार्य योजना के द्वारा लागू कर रहे हैं। भारतीय रेल परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में 2002–2003 के दौरान प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर पर घटित होने वाली 0.44 दुर्घटनाओं को काफी कम करते हुए इसे अगले चार वर्षों में 0.30 के स्तर तक लाने के लिए कटिबद्ध है। यह स्तर विश्व की प्रमुख रेलों के उत्कृष्टतम संरक्षा मानकों में से एक होगा।

रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन

रेल संरक्षा पर टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के अनुसरण में कार्रवाई करते हुए कर्षण एवं चल स्टॉक, रेलपथ एवं पुल, सिगनल एवं दूरसंचार तथा कोहरे में दृश्यता के उपकरणों के क्षेत्र में चार मिशन कार्यक्रमों को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से चिह्नित किया गया है। रेल मंत्रालय ने इन चार मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह मिशन रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं उद्योगों का संयुक्त प्रयास होगा।

---

* रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8800/04)

टक्कर रोधी उपकरण (ए सी डी), जिसका नाम "रक्षा कवच" रखा गया है, के सफल परीक्षण रेलवे द्वारा किए जा चुके हैं। उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे पर 3465 किलोमीटर रेल पथ का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसके अलावा 10000 किलोमीटर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। 20 जनवरी 2004 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर 1736 किलोमीटर लम्बे बड़ी लाइन सेक्शन पर टक्कर रोधी उपकरण लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा यह कार्य दिसम्बर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय रेल के बाकी बचे बड़ी लाइन सेक्शनों में ए सी डी को क्रमिक रूप से अगले पांच वर्षों में लगा दिया जाएगा।

विशेष रेल संरक्षा निधि - वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

विशेष रेल संरक्षा निधि (एस आर एस एफ), अक्तूबर 2001 में संरक्षा संबंधी कार्यों को छह वित्तीय वर्ष की समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए सृजित की गई थी। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि मध्यावधि में की गई समीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक पाई गई है। प्रथम वर्ष अर्थात् 2001–2002 में इस निधि के अंतर्गत 1434 करोड़ रुपए के कार्य किए गए। वर्ष 2002–2003 के दौरान, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत कुल 2,486 करोड़ रुपए के कार्य किए गए, इसमें से 1,350 करोड़ रुपये सामान्य राजस्व से योगदान के रूप में थे तथा बाकी राशि रेलवे द्वारा संरक्षा अधिभार की वसूली व रेलवे के अपने राजस्व की सहायता से आई। चालू वर्ष में बजट अनुमानों के अनुसार विशेष रेल संरक्षा निधि के लिए कुल शुद्ध आबंटन 2,311 करोड़ रुपये का था जिसमें 1,600 करोड़ रुपये सामान्य राजस्व से योगदान के रूप में तथा 711 करोड़ रुपये संरक्षा अधिभार से थे। संशोधित अनुमानों में इसमें 40 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, एस आर एस एफ के माध्यम से 16500 किलोमीटर के रेलपथ नवीकरण के लक्ष्य में से लगभग 8500 किलोमीटर रेलपथ नवीकरण का कार्य चालू वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। 2700 पुलों के पुनर्स्थापन संबंधी लक्ष्य में से लगभग 1350 पुलों का कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। इसी प्रकार 1500 स्टेशनों पर सिगनलिंग संस्थापनाओं के बदलाव के लक्ष्य में से लगभग 444 स्टेशनों पर बदलाव का कार्य चालू वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, 5300 ट्रैकसर्किट में से लगभग 1675 ट्रैकसर्किट चालू वर्ष के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राष्ट्रीय रेल विकास योजना अगले पांच वर्षों में रेल नेटवर्क के अति महत्वपूर्ण तथा संतृप्त खंडों की क्षमता में वृद्धि के लिए बनाई गई है तथा इसमें 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। इस योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज तथा इसके विकर्णों को सुदृढ़ करने, बंदरगाहों से रेल सम्पर्क बढ़ाने और चार महासेतु के निर्माण संबंधी परियोजनाएं शामिल है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यो को हाथ में लिया गया है और इनमें पहले दो क्षेत्रों के अधिकांश कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) को सौंप दिए गए हैं जो कि इन कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए कम्पनी एक्ट के तहत गठित किया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने न सिर्फ रेल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना से संबंधित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्वीकृतियों को सुगम बनाने में योगदान दिया है वरन् इनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से की है।

2003–2004 के संशोधित अनुमानों में रेल विकास निगम के लिए 500 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसे निगम इन परियोजनाओं पर खर्चा करेगा। 2004–2005 के दौरान रेल विकास निगम ने इन कार्यों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है जिसमें से 300 करोड़ रुपये बाजार से उठाए जाने की आशा है।

परियोजनाएं

सभी परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा इन्हें समय से पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जम्मू–ऊधमपुर नई लाइन परियोजना का कार्य पूरा होने के करीब है और यह लाइन लक्ष्य से पहले ही 25 मार्च 2004 से यातायात के लिए खोल दी जाएगी।

अतिरिक्त गाड़ियां/सेवाएं

2003–2004 के बजट भाषण में घोषित की गई नई गाड़ियों, चालन क्षेत्र के विस्तार वाली सेवाओं, गाड़ियों के फेरों में वृद्धि, मेमू/डेमू (एमईएमयू/डीईएमयू) सेवाओं में से अधिकांश को प्रारम्भ किया जा चुका है तथा शेष को यथाशीघ्र चलाया जाएगा। इनके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 35 अन्य सेवाओं को प्रारम्भ किया गया है जिनमें जन साधारण एक्सप्रेस भी शामिल है।

टिकट बिक्री हेतु नए उपाय

ग्राहकों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (पीआरसी) की सीमाओं का इंटरनेट बुकिंग के द्वारा विस्तार किया गया है। अब आरक्षण टिकट ग्राहकों के घर तक भी पहुंचाये जाने लगे है। अनारक्षित टिकटों के मामले में यात्रियों की परेशानियां बनी हुई थीं। पिछले साल कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू टी एस) की शुरूआत से एक विशेष सफलता हासिल हुई है जिसे यात्रियों ने काफी सराहा है। इस प्रणाली का आगे और विस्तार करने का प्रस्ताव है। इन प्रयासों से भारतीय रेल की समूची टिकट प्रणाली अत्याधुनिक हो गई है।

आरक्षित टिकट प्रणाली को ई–टिकेटिंग द्वारा एक नया आयाम देने का प्रस्ताव है। कुछ चुनिंदा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी जिसके अन्तर्गत यात्रीगण इंटरनेट से आरक्षण करवाकर एक कम्प्यूटर जनित पर्ची के आधार पर गाड़ी में अपना आरक्षित स्थान ग्रहण कर सकेंगे। संचार उपकरणों के प्रसार तथा आम आदमी द्वारा मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग को रेलवे नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अब मोबाइल फोन के जरिए इच्छुक व्यक्ति आरक्षण करवा सकेंगे। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआर सी टी सी) ने तकनीकी क्षमता का विकास किया है जिससे सेल फोन ऑपरेटर अपनी प्रणाली को रेलवे की प्रणाली के साथ एकीकृत कर सकेंगे। यह सुविधा सभी सेल फोन ऑपरेटरों को उपलब्ध रहेगी।

गैर–व्यस्त काल के दौरान चुनिन्दा गाडियों पर प्रयोग के तौर पर घटे हुए किरायों की योजना की लोकप्रियता से उत्साहित होकर राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी के प्रथम व द्वितीय वातानुकूल तथा कुर्सीयान श्रेणियों में बार–बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नियमित प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे रेल यात्रियों को उनके द्वारा एक वर्ष की अवधि में की गई यात्राओं के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक यात्रियों को पंजीकृत किया जाएगा और निर्धारित यात्राएं कर लेने के बाद वे एक मानार्थ यात्रा के हक़दार होंगे।

एस.एम.एस. के जरिए गाड़ी पुनर्निर्धारण की सूचना

राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों के 30 मिनट से अधिक विलम्बित प्रस्थान की स्थिति में सूचना इच्छुक यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर एस एम एस के जरिए मिल सकेगी। प्रारम्भ में यह पायलट स्कीम दिल्ली क्षेत्र में प्रस्थान करने वाली ऐसी गाड़ियों के लिए होगी।

तत्काल स्कीम का विस्तार

इस समय तत्काल आरक्षण स्कीम केवल चुनिन्दा गाड़ियों में और मुख्यतः शयनकाल श्रेणी में उपलब्ध है। कम सूचना पर चलने वाले यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा को सभी गाड़ियों में तथा शयनयान, कुर्सीयान, वातानुकूल तृतीय श्रेणी और वातानुकूल द्वितीय श्रेणी में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

2002-2003 के कार्य निष्पादन की समीक्षा

मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ढुलाई के लक्ष्य को 510 मिलियन टन से 515 मिलियन टन तक संशोधित करने का निर्णय सर्वथा उचित था क्योंकि रेलवे ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 518.74 मिलियन टन की ढुलाई की और पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यात्री किलोमीटर में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राप्तियों के व्यय पर "आधिक्य" में बजट से 95 करोड़ रुपए का सुधार हुआ। निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप 92.34 प्रतिशत का बेहतर परिचालनिक अनुपात प्राप्त हुआ। वास्तविक योजना व्यय 11,408 करोड़ रुपये रहा जबकि संशोधित अनुमान 12,315 करोड़ रुपए था।

संशोधित अनुमान 2003-2004

वर्ष 2003–2004 के लिए 540 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिसम्बर, 2003 तक 407.15 मिलियन टन की ढुलाई कर लेने के बाद, जो कि आनुपतिक लक्ष्य से अधिक है, यह आशा की जाती है कि रेलवे न केवल पूरे साल के लक्ष्य को पा लेगी वरन् इससे ज्यादा ढुलाई करेगी। तदनुसार, लक्ष्य को संशोधित कर 550 मिलियन टन किया जा रहा है। यात्री यातायात में 2.8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

सकल यातायात प्राप्तियां

प्राप्तियों का रुझान बजट की आशा के अनुरूप नहीं रहा है। अतः संशोधित अनुमान 890 करोड़ रुपये कम है और सकल यातायात प्राप्तियों को इतनी ही धनराशि से कम करते हुए संशोधित किया जा रहा है। ट्रैफिक सस्पेंस से निपटान के लक्ष्य में परिवर्तन न करते हुए इसे बजट स्तर पर ही बनाए रखा गया है।

सचालन व्यय

दिसम्बर के अंत तक व्यय में आई बचत के रूख को देखते हुए साधारण संचालन व्यय में 1490 करोड़ रुपये की शुद्ध रूप से कमी आने का अनुमान है। पेंशन निधि में विनियोग 295 करोड़ रुपये से घटा दिया है जो कि अभी तक के वास्तविक व्यय के अनुरूप है। जरूरतों के मद्देनजर मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 262 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार कुल संचालन व्यय 40,850 करोड़ रुपए से 1,523 करोड़ रुपए घटाकर 39,327 करोड़ रुपये रह जाते हैं।

इन परिवर्तनों तथा शुद्ध विविध प्राप्तियों में मामूली कमी के फलस्वरूप शुद्ध राजस्व 3,533 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में बढ़कर 4,148 करोड़ रुपये होगा।

बजट अनुमानों के अंतर्गत 2,933 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान का प्रावधान किया गया था जिसे अब संशोधित कर 2,968 करोड़ रुपये किया गया है। संसाधनों की बेहतर उपलब्धता के फलस्वरूप आस्थगित लाभांश दायिता को पूरा करने संबंधी जिस प्रयास को पिछले बजट में शुरू किया गया था, उसे 300 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ आगे जारी रखा जा रहा है। इस प्रकार संशोधित अनुमान में लाभांश भुगतान का प्रावधान बढ़ाकर 3,268 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

इन परिवर्तनों के साथ, प्राप्तियों का व्यय "आधिक्य" 880

करोड़ रुपए बनता है जो बजट में 600 करोड़ रुपए अनुमानित था। इसे विकास निधि तथा विशेष रेल संरक्षा निधि में विनियोजित किया जा रहा है।

2003-2004 के लिए वार्षिक योजना

रेलवे की वार्षिक योजना 2003–2004 में, 12,918 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया था। संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाकर 13,918 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1,000 करोड़ रुपये की यह वृद्धि राष्ट्रीय परियोजना ऊधमपुर–श्रीनगर–बारामूला नई लाइन के लिए 500 करोड़ रुपये के अलग आबंटन, कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की गति बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता तथा आंतरिक संसाधन में 200 करोड़ रुपये के बढ़ाए गए परिव्यय द्वारा हुई है।

बजट अनुमान 2004-2005

सकल यातायात प्राप्तियां

अब मैं 2004–2005 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। किरायों तथा मालभाड़ा दरों के वर्तमान स्तर पर वर्ष के लिए 44,482 करोड़ रुपए की सकल यातायात प्राप्तियां होने का अनुमान है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,877 करोड़ रुपए की यह बढ़ोत्तरी यात्रियों की संख्या में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि तथा 570 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात के अनुमान पर आधारित है जो 2003–2004 के संशोधित लक्ष्य से 20 मिलियन टन अधिक है।

साधारण संचालन व्यय

साधारण संचालन व्यय, 32,960 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 1,990 करोड़ रुपये से अधिक है।

पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि तथा मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरी के कारण पेंशन निधि में विनियोग को इस वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों से 300 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,390 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिए 1,900 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

कुल संचालन व्यय 41,250 करोड़ रुपये होने का अनुमान है तथा 3,232 करोड़ रुपये की शुद्ध यातायात प्राप्तियां होंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियों के रूप में 993 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान है और इस प्रकार शुद्ध राजस्व 4,225 करोड़ रुपये होगा।

वित्तीय परिणाम 2004-2005

2004–2005 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश का आकलन अनन्तिम तौर पर 2003–2004 की भांति ही किया गया है और यह 3305 करोड़ रुपये बनता है जिसे पू[illegible]या भुगतान करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आस्थगित लाभांश दायिता हेतु 300 करोड रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार प्राप्तियों का व्यय "आधिक्य" 620 करोड़ रुपये होगा।

वार्षिक योजना 2004-2005

2004–2005 की वार्षिक योजना फिलहाल 13,425 करोड़ रुपये की रखी गई है। इसमें 4,544 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता, 2635 करोड़ रुपये के आंतरिक संसाधन, 2,795 करोड़ रुपये का विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत परिव्यय तथा रेलवे संरक्षा निधि के अंतर्गत 401 करोड़ रुपये शामिल है। बजेटतर संसाधन 3,050 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना

रेलवे के पास इस समय नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं महानगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत लगभग 43,000 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं की कुल 230 से अधिक की संख्या मौजूद है। बढ़ी हुई बजटीय सहायता, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत बजटेतर पहल, लागत में भागीदारी वाले अन्य प्रयासों तथा सामरिक महत्व की कुछ परियोजनाओं के रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण के बावजूद अगले पांच वर्षों के बाद भी लगभग 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं बाकी बची रहेंगी। इनमें से कई परियोजनाओं को सामाजिक–आर्थिक आधार पर पिछड़े व सुदूर क्षेत्रों को रेलमार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से मंजूरी मिली थी लेकिन धन के अभाव में परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है जो आमतौर पर असंतोष का कारण बनती है। रेल लाइन को ऐसे क्षेत्रों से जोड़ने से इन इलाकों की सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा तथा निर्माण काल के दौरान एवं बाद में रोजगार के अवसर भी बड़ी मात्रा में सृजित होंगे। इन बातों के मद्देनजर ऐसी सभी परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाने और उन्हें आगामी पांच वर्षों के अन्दर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से एक महत्वाकांक्षी "सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना" आरम्भ की जा रही है।

अगर मोटे तौर पर आकलन करें तो सभी परियोजनाओं को पांच वर्ष की समय सीमा में पूरा करने के दौरान निर्माण काल में लगभग तीन लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार मिलेगा। इन लाइनों को चालू हो जाने के बाद भी सामान्य अनुरक्षण एवं परिचालन के लिए प्रति वर्ष बढ़ने वाली करीब 18000 व्यक्तियों की स्थायी आवश्यकता होगी। इसके अलावा, प्रतिवर्ष लगभग 55000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। "सुदूर क्षेत्र रेल सम्पर्क योजना" से देश के दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को बदलने तथा इन क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में, काफी मदद मिलेगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, अगले पांच वर्षों के लिए रेल मंत्री के लिए जनादेश कहां है? ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : चुनाव सर्वेक्षण के लिए उनके पास जनादेश है परंतु यह लोगों से प्राप्त जनादेश नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : चिन्ता मत करिये, वापस यही सरकार आयेगी। इसको आगे बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग आगे की सब योजनाएं बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, यह भाषण में नहीं लिखा है।

श्री नीतीश कुमार : यहीं नहीं, इससे स्टील, सीमेंट, चल स्टॉक, फिटिंग, पुर्जे, संयंत्र एवं मशीनरी की मांग भी पैदा होगी जिससे सारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नई सेवायें

महोदय, लोकतंत्र में लोक भावना सर्वोपरि होती है। आज यह भावना सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जनता द्वारा सम्पर्क बढ़ाने की आकांक्षा के रूप में दिखती है। इस जनभावना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यरूप में ढालते हुए रेल, सड़क तथा संचार सहित सम्पर्क के सभी माध्यमों का बहुमुखी विकास किया है। वास्तव में उन्होंने सम्पर्क क्रांति का सूत्रपात किया है। रेलवे सदा से सम्पर्क का लोकप्रिय माध्यम रही है। अतः राज्यों का राष्ट्र की राजधानी से द्रुत सम्पर्क स्थापित करने के लिए "सम्पर्क क्रांति" नाम से गाड़ियों की एक नई श्रृंखला चलाई जाएगी जो एक राज्य विशेष को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी और इसमें राज्य के बाहर नॉन स्टॉप यात्रा, पूरी यात्रा के दौरान पूर्णरूपेण निर्दिष्ट कर्मचारी सेवा और जन उद्घोषणा प्रणाली जैसी मूल्य संवर्धित विशेषताएं उपलब्ध होगी। अपनी तरह की यह अपूर्व सेवा होगी। इस श्रृंखला की पहली गाड़ी कर्नाटक सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली (निज़ामुद्दीन) तथा बैंगलोर (यशवंतपुर) के बीच इस साल 8 फरवरी से चलाई जा रही है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुम्बई के लिए योजना है या नहीं है?

श्री नीतीश कुमार : हालांकि शुरूआत में यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलेगी पर 2 अक्तूबर, 2004 को बापू के जन्म-दिवस के अवसर पर इसे प्रतिदिन कर दिया जाएगा।

इस श्रृंखला की अन्य गाड़ियां निम्नानुसार होगी –

(i) पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से गुवाहाटी तक

(ii) आन्ध्र प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से सिकंदाबाद तक

(iii) बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से समस्तीपुर तक

(iv) छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से दुर्ग तक

(v) गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से अहमदाबाद तक

(vi) झारखंड सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से रांची तक

(vii) केरल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से त्रिवेन्द्रम (कोचुवेलि) तक

(viii) महाराष्ट्र सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से मुम्बई (बांद्रा) तक

(ix) मध्य प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से जबलपुर तक

(x) उड़ीसा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक

(xi) राजस्थान सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से जोधपुर तक

(xii) तमिलनाडु सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से मदुरै तक

(xiii) उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से चित्रकूट तक

(xiv) उत्तरांचल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम तक

(xv) पश्चिम बंगाल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से कोलकाता (सियालदह) तक

(xvi) गोवा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली (निज़ामुद्दीन) से मडगांव तक

(xvii) उत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से ऊधमपुर तक जो जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जरूरतों के लिए होगी।

उपसंहार

महोदय, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, संरक्षा और सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्र की इस जीवन–रेखा के प्रति लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई पहल किए गए हैं। रेल कर्मचारियों के सभी स्तरों पर दिखाई गई निष्ठा व कर्त्तव्यपरायणता की सराहना यह सदन करता है। सदन ने रेलवे को आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के एक साधन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने तथा साथ ही वित्तीय रूप से जीवन्त रहने के लिए सदैव समर्थन देने की कृपा की है। मुझे विश्वास है कि रेलवे विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सदैव सक्षम रहेगी।

महोदय, इसके साथ मैं अंतरिम रेल बजट सदन में संस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.45 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 2003–2004

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 2003–2004 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 8801/04]

अपराह्न 12.46 बजे

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदान की मांग (रेल), 2001–2002

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 2001–2002 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदान की मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 8802/04]

अपराह्न 12.48 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डवपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8791/04]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं –

1. (एक) वेटरिनरी कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरिनरी कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8792/04]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 974 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च 1995 की अधिसूचना संख्या 26/95–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 15 (अ) जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 18 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी माल (कृषि उत्पादों को छोड़ कर) पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 19 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदाम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 20 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 21 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 22 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/99–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 23 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 27 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 28 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) परियोजना आयता (संशोधन) विनियम, 2004 जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 38 (अ) जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्त्र माल पर सीमा शुल्क के मूल्यानुसार भाग को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 39 (अ) जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर साइकिल, गोल्फ कार और मोटर कारों पर सीमा शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 41 (अ) जो 13 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 48 (अ) जो 16 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 1472 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 1473 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2004 जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 49 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) आयात माल-सूची (जलयान) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 19 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 957 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) आयात माल-सूची (वायुयान) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 19 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. क.नि. 958 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 64 (अ) जो 21 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.का.नि. 68 (अ) जो 22 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) सा.का.नि. 74 (अ) जो 23 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट आदानों पर मूल सीमा शुल्क को पन्द्रह प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 75 (अ) जो 23 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टेलीविजन रिसिवरों तथा पिक्चर ट्यूबों के विनिर्दिष्ट आदानों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8793/04]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 962 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 969 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 33 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 34 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति संयंत्रों में उपयोग में लाई जा रही मशीनों, उपकरणों, उपस्करों तथा पाइपों को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 45 (अ) जो 15 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 50 (अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 51 (अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक वित्तीय वर्ष में उनमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं की 25 लाख रुपए तक की पहली निकासी को सभी उत्पाद–शुल्कों से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 52 (अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जॉब वर्कर को निर्माता से प्राप्त अप्रसंस्कृत फैब्रिक पर केवल प्लेन रोल कलेंडरिंग या डेकेटाइजिंग या दोनों संसाधनों पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से संपूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 60 (अ) जो 15 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्वोत्तर राज्यों की विनिर्दिष्ट इकाइयों, जो तंबाकू उत्पाद बनाती हैं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन संपूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 61 (अ) जो 21 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 69 (अ) जो 22 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 53 (अ) जो 19 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 13/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी- 8794/04]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32(अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सभी यात्रियों को विदेश यात्रा कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8795/04]

(4) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 31 (अ) जो 8 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सभी यात्रियों को अंतर्देशीय वायुयान यात्रा कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8796/04]

(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 130 (अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अधिसूचना में उल्लिखित आठ लिखतों पर स्टम्प शुल्क की दर को कम करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8797/04]

(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1979 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(एक) सा.का.नि. 945 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फास्फेट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 14 (अ) जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा जिनका आशय टर्की और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बोरेक्स डिकाहाइड्रेट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 16 (अ) जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 23/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 45 (अ) जो 20 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताईवान और ब्राजील में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पॉलीआल पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 92 (अ) जो 21 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 69/2000–सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 93 (अ) जो 21 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मटलर्जीकल कोक पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 97 (अ) जो 22 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोपर कलेड लेमीनेट्स के आयात पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपादन शुल्क को वापस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 8798/04]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 47 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 49(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता के माध्यम से आयकर विवरणी दायर करने की नई स्कीम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 52(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 53 (अ) जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेंशन से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के उपबंध की सीमा से बाहर रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 8799/04]

अपराह्न 12.48½ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 3 दिसम्बर, 2003 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् संसद की दोनों सदनों द्वारा चालू सत्र के दौरान पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2003;

(2) रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003;

(3) रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 2003;

(4) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2003;

(5) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2003;

(6) रेल (संशोधन) विधेयक, 2003;

(7) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003;

(8) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2003;

(9) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003;

(10) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003; और

(11) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003

मैं संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अंतरण) और निरसन विधेयक, 2003;

(2) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2003;

(3) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003;

(4) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2003;

(5) संविधान (इकानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003;

(6) आतंकवाद निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003;

(7) संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003;

(8) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2003;

(9) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2003;

(10) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2003; और

(11) संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 2003;

अपराह्न 12.49 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिल्ली के सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री मदन लाल खुराना का लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने का दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 का पत्र प्राप्त हुआ है।

मैंने उनका त्यागपत्र 24 दिसम्बर, 2003 से स्वीकार कर लिया है।

(दो) मुझे कर्नाटक की धारवाड़ – उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विजय संकेश्वर का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने का 10 जून, 2003 का पत्र भी प्राप्त हुआ है।

मैंने उनका त्यागपत्र दिनांक 29 जनवरी, 2004 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.49¼ बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

उनतालीसवां से इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, याचिका समिति का 39 वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.49½ बजे

[हिन्दी]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (तेरहवीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.49¾ बजे

[अनुवाद]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

की-गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.50 बजे

[हिन्दी]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

उनचासवां से इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : मै कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन; और

(2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–04) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.52 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि मंगलवार, 3 फरवरी, 2004 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा –

(1) वर्ष 2004–2005 के लिए अंतरिम सामान्य बजट को दिनांक 3 फरवरी, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुतीकरण और वित्त विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन।

(2) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(3) वर्ष 2004–2005 के लिए अंतरिम रेल बजट पर दिनांक 3 फरवरी, 2004 को सामान्य चर्चा।

(4) दिनांक 3 फरवरी, 2004 को निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान और उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना :–

(क) वर्ष 2004–2005 के लिए लेखानुदानों की मांगे (रेल)

(ख) वर्ष 2003–2004 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल)

(ग) वर्ष 2001–2002 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल)

(5) वर्ष 2004–2005 के लिए अंतरिम सामान्य बजट पर दिनांक 4 फरवरी, 2004 को सामान्य चर्चा।

(6) दिनांक 4 फरवरी, 2004 को निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान और उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना :–

(क) वर्ष 2004–2005 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य)

(ख) वर्ष 2003–04 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)

(7) दिनांक 4 फरवरी, 2004 को वित्त विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किया जाए :–

मध्य प्रदेश में झाबुआ जिलें में आदिवासी ईसाईयों पर कातिलाना हमला हुआ है। हमलावर तीन विधान सभा सदस्यों के नेतृत्व में एक धार्मिक संगठन से संबंधित थे जिन्होने 106 वर्ष पुराने गिरिजाघर को तोड़फोड़ दिया। फर्नीचर भी नष्ट किया गया। उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शिक्षा संस्थानों पर भी हमला किया। हमले के परिणामस्वरूप एक ईसाई आदिवासी मारा गया था। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। कट्टरपंथी ताकतों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। . ..*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, यह दूसरा मौका है जब झाबुआ में इस प्रकार का हमला हुआ है। कोई भी दोषी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये :–

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में नन्द नगरी रेलवे फाटक के पास रेलवे की तरफ से एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है परन्तु पिछले कई महीनों से उसका काम बन्द पड़ा है। उसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए क्योंकि इस फ्लाईओवर के बनने के कारण जब फाटक बन्द हो जाता है तो घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है और ट्रैफिक भी जाम हो जाता है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में 140 एमजीडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है जिसको वर्ष 2000 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाना था परन्तु अभी तक उसमें पाइप बिछाने का काम चल रहा है और निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है। इसके समय से पूरा न होने के कारण लोग पीने के पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। अतः इस ट्रीटमैंट प्लांट का कार्य शीघ्र किया जाये।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

(1) पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, इतिहास, पुरातत्व आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बीचों–बीच स्थित अजमेर नगर को हवाई मार्ग से जोड़ने तथा उसके लिए पूर्व चिन्हित स्थान पर हवाई अड्डा अविलम्ब बनाये जाने की आवश्यकता।

(2) रेलवे सिटी के नाम से पहचान रखने वाले महत्वपूर्ण शहर अजमेर को अमृतसर, चेन्नई तथा हैदराबाद से ब्रोडगेज रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात सरकार ने 'गुजरात वन विकास परियोजना' (जी एफ डी पी) शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव बाहरी सहायता के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया। यह समझा जाता है कि इस परियोजना को वर्ष 2003–04 के दौरान विचार हेतु प्रस्तुत करने की सिफारिश के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इसे शीघ्र मंजूरी हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–आपरेशन (जे बी आई सी) के पास भेजा जाये ताकि गुजरात सरकार को वर्ष 2003–04 से परियोजना का लाभ मिल सके।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:–

1999 से 2003 तक बजट आबंटन के अनुसार तिरूचिरापल्ली से मनमादुरई तक बड़ी लाइन आमान परिवर्तन 25 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है परन्तु इस परियोजना पर धन खर्च नहीं किया गया है और पुदुकोट्टई, शिवगंगा और रामानद जिलों के विकास को अवरूद्ध करते हुए इसे कुछ अन्य परियोजनाओं पर खर्च किया गया।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की व्यवस्था की जाए :–

(1) गिरिडीह संसदीय क्षेत्र (झारखंड) में किसानों के

लिए कृषि विज्ञान मेला लगाने तथा बोकारो जिला के कसमार प्रखंड में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता।

(2) झारखंड राज्य के धनबाद जिला में स्थित टुण्डु जिंक कारखाना में उत्पादन बढ़ाने एवं इसमें कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के प्रबंधन के मध्य लम्बित मांगों के निष्पादन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पहल करने की अपेक्षा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम 'शून्य काल' शुरू करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक–एक करके बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक–एक करके सबको मौका दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। 30 जनवरी के दिन केवल तीन बार सैशन हुआ है – 1976 में, 1980 में और 1985 में। तीनों बार कांग्रेस के प्रधान मंत्री थे, तीनों बार कांग्रेस के स्पीकर थे और तीनों बार यही प्रस्ताव पारित हुआ था जो आज हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैंने यही बात चेयर से कही कि जो प्रस्ताव पहले तीन बार पारित हुआ है, उसी से बात क्लीयर हुई है।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मामूली बात नहीं है। आखिर इन्होंने उस समय आपत्ति क्यों नहीं की। 1976, 1980 और 1985, केवल तीन बार 30 जनवरी को सैशन हुआ है और तीनों बार इनके प्रधानमंत्री थे और तीनों बार इनके स्पीकर थे। तब इन्होंने महात्मा गाँधी जी का नाम नहीं लिया और आज आकर... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव हेतु नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी विषय पर हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं मैं किसी अन्य विषय की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो बात मल्होत्रा जी ने कही, वह सही बात है। जो रैज़ोल्यूशन पहले पास हुआ, उसी तरह का रैज़ोल्यूशन यहां भी आया था। उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी। लेकिन जब मैम्बर्स ने कहा कि गाँधी जी का नाम इन्क्लूड करें तो मैंने वह भी कर दिया। प्रश्न खत्म हो गया। लेकिन जो रैज़ोल्यूशन आया था, वह ऐसा ही था।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : आपने जो किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन हम मार्टीडम डे मनाने जा रहे हैं, क्या उस दिन उनका नाम नहीं लिया जाए? ये लोग कह रहे हैं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नाम इन्क्लूड कर दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह मुद्दा अब समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए। इस बात का पूरा खुलासा हो गया है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : इनको ऐसे कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे अनुसार यह मुद्दा समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें यहां से महात्मा गांधी के बारे में सुनना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मल्होत्रा जी की बात सही है। इसमें विषय समाप्त हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : महात्मा गांधी जी के नाम के साथ राजनीतिकरण किया है। ये माफी मांगे।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सर, स्पीकर द्वारा पढ़े गए प्रस्ताव पर कभी वॉक–आउट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

पहली बार उन्होंने अध्यक्षपीठ का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही, वह सही है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इन्होंने स्पीकर का अपमान किया है, इसलिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : इस हाउस के अंदर यह क्या चल रहा है? ...*(व्यवधान)* अगर महात्मा गांधी जी का नाम लेने में इन्हें कोई दिक्कत है तो वह दूसरी बात है।...*(व्यवधान)* किस प्रकार से अपमान किया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस विषय में मैंने भी चेयर से कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी, कृपया बैठिए। मैंने कहा है, तीन बार ऐसा ही ड्रॉफ्ट था। इसलिए वही ड्राफ्ट सदन में आया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैम्बर्स चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम इसमें शामिल होना चाहिए तो मैंने महात्मा गांधी जी का नाम इसमें इंक्लूड किया है। इसलिए वहां बात पूरी होनी चाहिए। अब दूसरा विषय लिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : हमें इसकी चिंता थी, इसलिए हमने संशोधन करा दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही गम्भीर मामले पर नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, उन्हें बोलने दीजिए। हम लोग चुप बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके निर्णय के अध्यधीन बहुत ही गम्भीर मामले के संबंध में नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, इन्हें चुप कराइए,।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अपराह्न 1.01 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) मध्य प्रदेश में झाबुआ में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : एक ओर सरकार दूरदर्शन के लिए एक सफल वृतचित्र बनाने की योजना बना रही है, यह इंडिया शाइनिंग से संबंधित है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि यह आस्कर पुरस्कार प्राप्त करेगा तो दूसरी तरफ झाबुआ जल रहा है। माननीय संबंधित सदस्य भी यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*, पहली घटना 30 दिसम्बर को हुई, दूसरी 16 जनवरी को और 29 जनवरी को एक और घटना हुई जिसने मुझे उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार की हत्या की याद दिला दी...*(व्यवधान)*। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभा में और सभा के बाहर धार्मिक मतान्तर के बावजूद भी देश की एकता को बनाए रखने के जोरदार दावे किए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या वह मुझे बाधित कर रहे हैं? माननीय उप प्रधानमंत्री ही केवल इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री से ही इसका उत्तर चाहता हूं। मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

सर, इन्हें कुछ नियम कानून सिखाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : इतना नियम कानून हमें मत समझाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और वनवासी कल्याण परिषद द्वारा प्रोत्साहित संगठन सेवा भारती ने पहले 30 दिसम्बर को गांव पर हमला किया और उसके पश्चात चर्च पर हमला किया गया और नौ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार के पश्चात चर्च के पादरी पर आरोप की अफवाह उड़ाई गई। अचानक पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें गिरफ्तार किया...*(व्यवधान)*। बाद में पता चला कि वह पादरी नहीं बल्कि बजरंग दल का मनोज जाधव नामक कार्यकर्ता था, और उसे हिरासत में ले लिया गया...*(व्यवधान)*

मैंने आपको इस भाग को पढ़ने का नोटिस दिया था।

"इस बात का स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद कि इसमें बाहरी व्यक्ति संलिप्त है, यह अफवाह फैलाई गई कि चर्च के एक कर्मचारी ने लड़की का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इस बीच मनोज जाधव पकड़ा गया और उसके विरूद्ध अखंडनीय साक्षय एकत्रित किए गए लेकिन इसमें काफी विलम्ब हो गया था। हिन्दू जागरण मंच के झण्डे तले एक कार्यवाई समूह ने बन्द का आहवान किया, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मंच की मारी गई लड़की अथवा दोषी को सजा दिलवाने में बिल्कुल भी रूचि नहीं थी, यह तो ईसाई मिशनरियों के विरूद्ध अफवाह फैलाने तथा क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं में लगे मिशनरियों के विरूद्ध आदिवासियों में रोष पैदा करने के अवसर की तलाश कर रहा था।"

महोदय, इस घटना के पश्चात गुरूवार को कैथोलिक विशप सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार से झाबुआ जिले में ईसाई समुदाय के सदस्यों पर बिना उकसाये हमलों के आलोक में कानून और व्यवस्था को सुनिशिचित करने का अनुरोध किया गया। ईसाईयों के ही नहीं बल्कि गैर-ईसाई आदिवासियों के घरों को भी जलाया गया क्योंकि उनके घर जलाए गए थे इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया आज तक माननीय प्रधान मंत्री और माननीय उप प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं यहां तक कि कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं किया गया है, मुख्य मंत्री ने केवल बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद को उनके आत्मसंयम हेतु धन्यवाद दिया।

मैं झाबुआ और अहमदाबाद में कल की घटनाओं से दुःखी हूं। उन्हें आशंका थी कि दुर्गा के चित्र को मकबूल फिदा हुसैन द्वारा बनाया गया है – एक मुसलमान दुर्गा का चित्र नहीं बना सकता है इसलिए उन्होंने चित्र को फाड़ दिया। यह पता लगाया गया...*(व्यवधान)* क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* यह सेवा भारती की साजिश है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को शून्य काल के दौरान उठाया जा रहा है। आप शून्य काल के दौरान समय की सीमा को जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं नहीं जानता कि आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मैं ग्राहम स्टेन्स की मृत्यु के पश्चात आदिवासियों की स्थिति की गम्भीरता के बारे में अवश्य बोलूंगा...*(व्यवधान)* हमारा प्रतिनिधिमंडल और एक महिला प्रतिनिधिमंडल वहां गया। लेकिन आज भी वहां एक अभियान चलाया जा रहा है कि जब तक वे अपना धर्म परिवर्तन करके हिन्दू नहीं बन जाते, उनमें से कोई भारत में नहीं रह सकता है।

इस अभियान में, मुख्यमंत्री कुमारी उमा भारती की उपस्थिति में नारे लगाए गए। कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया...*(व्यवधान)*

मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि वे सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दें-क्योंकि यह सभा का अधिकार है ...*(व्यवधान)* हम यह नहीं जानते हैं कि इस स्थिति के संबंध में सरकार की स्थिति क्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'शून्यकाल' के दौरान कोई चर्चा नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे संसद सदस्य, श्री कांतिलाल भूरिया इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे गत आठ दिनों से वहां पर हैं। उन्होंने हमें ये सभी दुःखद घटनाओं के बारे में बताया हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री कांतिलाल भूरिया उस क्षेत्र के संसद सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अपराधियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और पुलिस कार्यवाही कर रही है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हुई हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री उससे इंकार कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की यह समस्या है इसलिए मुझे इस पर बोलने का मौका दिया जाए। मैंने इसके बारे में नोटिस भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अधिकार आपके साथी को दिया जा चुका है, वह इस पर बोल चुके हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया : यह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है इसलिए मुझे एक मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं आपको एक मिनट बोलने के लिए दे रहा हूं।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आज 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर सरकार द्वारा नेग्लिजेंस बरतने के लिए उसकी निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 30 दिसम्बर, 2003 को मेरे संसदीय क्षेत्र झाबुआ के एक गांव में सेवा भारती, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मिशनरीज के एक अंतर्विद्यालय पर हमला करके वहां आदिवासी को धराशाई कर दिया और उस आदिवासी को लूट कर वहां आग लगा दी गई। इसके बाद उस आदिवासी को जेल भेज दिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, गत चार वर्षों से हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार ईसाई अल्पसंख्यकों पर विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल, आर एस एस और इन कट्टरपंथी दलों द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हमले किए जा रहा हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : 11 जनवरी को वहां एक नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करके मिशन के परिसर में फेंक दिया गया। इससे वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि चर्च के फादर ने बच्ची का बलात्कार किया है। यह साजिश करके वहां दंगा भड़का दिया गया।...*(व्यवधान)* वहां 100 साल पुराना मिशन का चर्च है। उसके स्कूल के बच्चों को पीटा गया और गोली चलाई गई।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हैं, मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जो कह रहें हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 30 दिसम्बर से झाबुआ जिले में क्या हुआ? कितने खतरनाक हमले हुए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं? मैंने आपका नाम पुकारा है और आप बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गत चार वर्षों से हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार ईसाई अल्पसंख्यकों पर विश्व हिन्दू परिषद, बजरंगदल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमला किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री बसुदेव आचार्य का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 30 दिसम्बर से झाबुआ जिले में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भूरिया जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ईसाई अल्पसंख्यकों के विरूद्ध खतरनाक हमले किए गए। एक नौ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसका शव शौचालय में मिला। इसके तुरंत बाद विष वमन के लिए 'बजरंग दल' ने अफवाह फैलाई, बंद का आहवान किया और यह मांग करनी शुरू कर दी कि सभी ईसाईयों को झाबुआ जिले से बाहर निकाल देना चाहिए।

महोदय, 106 वर्ष पुराने चर्च पर हमला किया गया, इसे अपवित्र किया गया, लूटा गया और उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों पर भी हमला किया गया। अब कोई भी स्कूल नहीं चल रहा है। कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सारे दोषी व्यक्ति गुजरात से आए थे और अब वे 'आदिवासी' ईसाईयों और गैर–ईसाइयों के बीच पुनः फूट पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। केवल ईसाईयों को ही गिरफ्तार किया गया। किसी भी दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जबकि प्रधानमंत्री और उप–प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, मैं प्रधानमंत्री से वक्तव्य देने की मांग करता हूं। महोदय, हम घटना की निंदा करते हैं। हमने न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार के किसी व्यक्ति को ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना की निंदा करते हुए देखा है...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार चाहती है तो वे वक्तव्य दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे। श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप वक्तव्य दें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम प्रधानमंत्री, जो सभा में बैठे है, से वक्तव्य देने की मांग करते है। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : माननीय प्रधानमंत्री और उप–प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। उन्हें इस मुद्दे पर बोलने दें। यह काफी गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे चर्चा सुन रहे हैं। यदि वे चाहते हैं तो वे किसी भी समय खड़े होकर उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, हम चाहते हैं कि वे उत्तर दें...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, हम चाहते हैं कि वे उत्तर दें। ऐसी गंभीर घटना हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि वे चाहें तो वे उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब ऐसी घटना हुई है तो वे चुप नहीं बैठ सकते हैं...*(व्यवधान)* अन्य मुद्दों पर वे उत्तर देंगे... *(व्यवधान)* इस मुद्दे पर भी उन्हें उत्तर देना है। उन्हें उत्तर देना होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे देश में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय उपप्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह विषय उनके विभाग से संबंधित है, और यदि वह चाहे तो वह तत्काल अथवा कुछ समय पश्चात् वक्तव्य दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया। यह 'शून्य काल' है और 'शून्य काल' में ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि मंत्री तत्काल उत्तर अवश्य दें। आप सभी नियमों से अवगत हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, वह यहां उपस्थित हैं, इसलिए उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उप प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। अब आप कृपया बैठ जाइए।

उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, यदि 'शून्य काल' के दौरान उठाये गये मुद्दे का संबंध किसी राज्य से है, तो केवल केन्द्र सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस मुद्दे का संबंध ईसाई अल्पसंख्यकों से है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह बात जानता हूं कि मुझे इसकी जानकारी है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे का संबंध अल्पसंख्यकों से है और यह राज्य इत्यादि की समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब वे बोल रहे हैं तो आघ क्यों खड़े हो गये? माननीय मंत्री जी खड़े हैं यदि आप चिल्लाना चाहते है। आप कृपया बैठ जाइए। कृपया माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य राज्य सरकार से तथ्य प्राप्त करना है। इस विशेष मामले में, मोटे तौर पर, प्रेस में मैंने जो अधिकांश रिपोर्ट देखी हैं और यहां जो आरोप सुने गये हैं उन्हें राज्य सरकार ने नकारा है। फिर भी, राज्य सरकार से मैं यह पता लगाऊँगा कि झाबुआ घटना से संबंधित तथ्य क्या हैं, और तब सभा में आऊँगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें ओर कुछ नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए। आप 'शून्य काल' को पूरा होने देना चाहते हैं या नहीं? श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस मामले में सी.बी.आई. द्वारा जांच करायी जानी चाहिए।

अपराह्न 1.17 बजे

[अनुवाद]

(दो) 23 दिसम्बर, 2003 को सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के पश्चात् 13वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र का सत्रावसान न किए जाने के बारे में

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस सत्र को शुरू करने के बारे में एक आपत्ति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे समक्ष यह मुद्दा नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह सच है कि दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी थी ओर वंदे मातरम भी गाया गया था। यह माना जा रहा था कि सभा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। सरकार की यह चेष्टा रही कि इस सभा के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण का अवसर न मिले। हम इसके हकदार हैं और राजनैतिक कारणों से इस अवसर को जानबूझकर वंचित रखा गया है। हम चुनाव के विरोध में नही हैं लेकिन सरकार के इरादे नेक नहीं हैं।

यह भी कहा जा सकता है कि सभा का सत्र चल रहा है। यदि यह दावा किया जाता है कि सभा सत्र में है तो वह सत्र जारी है। सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है जिस तरह से सरकार को कोई नीति संबंधी वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मतदाताओं के लिए नीति संबंधी कई वक्तव्य दिये हैं। यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। यह एक स्पष्ट मामला है जिसमें वित्त मंत्री जी ने सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

इसके अतिरिक्त, सत्र के लिए नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी, सरकार ने जल्दबाजी में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई; राष्ट्रपति से मुलाकात की; ओर यह सलाह दी कि सभा को दिनांक 6 फरवरी, 2004 को भंग कर दिया जाए। ऐसे में सत्र को चलाने का क्या अर्थ है?

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, यह तो मजाक उड़ाने की बात हो गयी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप यह कार्य सत्र के अंत में कर सकते हैं। हमारे समक्ष ऐसी प्रवृत्ति देखने में क्यों आ रही है? मैं प्रधानमंत्री के उस अधिकार के विरोध में नहीं हूं कि वह राष्ट्रपति को सभा भंग करने का सुझाव दें, लेकिन यह कार्य आदर्श ढंग से किया जाए, सभ्य ढंग से किया जाए। लेकिन, यदि मैं कहूं तो आपने यह बहुत असभ्य तरीके से किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोक सभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। श्री राधाकृष्णन जी, आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : सरकार लोकतंत्र और संसद की उपेक्षा कर रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से ऐसे व्यवहार की कभी आशा नहीं करता था जो एक अनुभवी संसदविज्ञ हैं। उन्हें एक संसदीय पूर्व उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था, ओर ऐसे पूर्व उदाहरण जो सदैव प्रशंसनीय हों।

लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वह असामान्य है और इसके अतिरिक्त असंसदीय है। यह सभा में अराजकता फैलाने वाली बात है।

इसीलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया सभा में ऐसी चाल बाजियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। हम वैसे ही निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जैसे कि प्रधान मंत्री जी जिन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, किन्तु ऐसा शिष्टाचार से किया जाना चाहिए। आपको यही करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया उन्हें बैठाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसके अतिरिक्त वे अज्ञात उद्देश्य से आगे आ रहे हैं। अतः मैं इस सत्र को पूर्व सत्र की निरन्तरता, जो 23 दिसम्बर, 2003 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, के साथ मिलाने का कड़ा विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसी विषय पर शिवराज जी के बाद बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार कभी भी सभा को भंग करने का निर्णय कर सकती है और भारत के राष्ट्रपति को इसकी सलाह दे सकती है। हमें इससे एतराज नहीं हैं।

पिछली बार सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति जी सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने पश्चात् सभा का सत्रावसान कर सकते हैं और अध्यक्ष महोदय, यदि सभा का सत्रावसान कर दिया गया, तो भारत के राष्ट्रपति को दोनों सदनों को संबोधित करना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति महोदय, अपने इस संबोधन में संसद के सदस्यों और देशवासियों को सरकार के कार्यों और असफलताओं आदि को बताते। विपक्ष में बैठे सदस्य इसे दर्शा सकते थे और भारत की सरकार को – एक वर्ष की अवधि में नहीं तो कम से कम चार माह की अवधि में ही सही – यह बता पाना संभव होता कि वह सरकार के कार्यों को किस प्रकार संचालित कर रही है और वे समस्याओं के समाधान आदि की दिशा में किस तरह बढ़ रहे हैं।

सभा के सदस्यों को इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए था। वे कह रहे है कि देश में खुशनुमा माहौल है। क्या उन्हें यह डर है कि यह सुखद अहसास 4–5 दिन में ही हवा में छूमंतर होने वाला है? राष्ट्रपति जी द्वारा दोनो सभाओं के सदस्यों को संबोधित करने से कोई आसमान नहीं फट जाता। सरकार को यह जानकारी दी गई होती कि सरकार का निष्पादन कैसा था और इससे सदस्यों को सरकार की नीतियों, उनके कार्यान्वयन जन समस्याओं को सुलझाने की खामियों को इंगित करने का अवसर मिलता। इससे विधायिका की प्रतिष्ठा निश्चित ही बढ़ती और इससे प्रतिष्ठा घटती नही। यदि राष्ट्रपति जी ने सदस्यों को सम्बोधित किया होता, तो आसमान नहीं फटता।

अध्यक्ष महोदय, बस यही होता कि सभा की बैठक चार – पांच दिन और अधिक होती और इस मुद्दे पर बहस की जाती। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसी चाल बाजियां संसद और इसके सदस्यों के साथ क्यों की जा रही हैं? ऐसी चालबाजियां क्यों की जा रही हैं? चुनाव कराने में हद दर्जे की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? कार्यपालिका का प्रमुख सभा समवेत होने अथवा उसकी बैठक होने से पहले राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है "देखिए, सभा 6 तारीख को भंग होने वाली है" इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? इन कार्यों को करने का औचित्य क्या है?

सरकार ने यहां उपस्थित सदस्यों और जनता से जो चाल–बाजी की है, मैं निशिचित तौर पर उसका विरोध करूंगा। उनको किस बात का डर है? ऐसा कौन सा मुददा है, जिस पर सदन में चर्चा से वे घबराते हैं। सरकार, सदस्यों को नीतियों और कार्यान्वयन की आलोचना क्यों नहीं करने दे रही हैं?

हम सभा में उपस्थित होने की वजह से इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, अपितु इस वजह से आलोचना कर रहे हैं कि इससे गलत परम्परा शुरू हो रही है। यह ऐसी परम्परा स्थापित कर रहे हैं कि जो न संसदीय प्रणाली के हित में है, न ही प्रजातंत्रीय प्रणाली के हित में है और न ही किसी अन्य प्रकार की प्रणाली के हित में है। आप सदस्यों को सरकार की आलोचना करने से रोक नहीं सकते। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वे जो भी करें, वह प्रजातंत्र के हित में नहीं है, संसदीय प्रणाली के हित में नहीं है और इससे सरकार को भी कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का मुददा उठाना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा (कनारा) : अध्यक्ष महोदय, श्री वैंकया नायडू चुनावों की तिथि घोषित करते हैं और श्री प्रमोद महाजन लोक सभा भंग होने की तिथि घोषित करते हैं

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय अलग है। आपका विषय वर्तमान विषय से संबंधित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा : श्री प्रमोद महाजन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, 23 दिसम्बर, 2003 को शीतकालीन सत्र वंदेमातरम् के साथ समाप्त हुआ। उस समय लगता था कि अब निश्चित रूप से बजट सत्र होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यह सत्र बुलाया है, यह बिल्कुल इम्प्रोपर है और अभी जैसे शिवराज जी ने कहा कि यह हमारी मान्य संसदीय परम्पराओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता, सरकार क्या करना चाहती है, उसका लेखा–जोखा होता और प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता। हमारे संविधान में पांच साल के बाद चुनाव होने की व्यवस्था है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिनके चलते सरकार को चुनाव कराने की इतनी जल्दी पड़ गई। क्या सिर्फ यही मान लें कि तीन सूबों में आप बाई चान्स चुनाव जीत गये तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। अपने निजी हितों के लिए आप संसदीय परम्पराओं और संविधान का अपमान करने का काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपके पास बहुमत था, आपकी सरकार चल रही थी और जो रचनात्मक, सकारात्मक सुझाव और सहयोग प्रतिपक्ष दे सकता था, उन महत्वपूर्ण सवालों पर प्रतिपक्ष आपको सहयोग कर रहा था। सरकार यह बताये कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते इतनी जल्दी उसे चुनाव में जाने की पड़ गई। यह एक बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से हाउस बुलाया गया है, यह बिल्कुल इम्प्रोपर है, सरकार को इन सब सवालों पर अपनी सफाई देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार लोक सभा का कार्य काल पांच वर्ष तक नियत करने की बात करती थी वही इतनी शीघ्रता में है कि संसद सहित सभी संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरा रही है। वे संस्थाओं की अवहेलना कर रहे हैं और कपट पूर्ण वक्तव्यों के अतिरिक्त नीतिगत वक्तव्य भी जारी कर रहे हैं और 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रलोभन दे रहे हैं। लोक सभा की बैठक से एक दिन पहले वे आयात राहत सहित विभिन्न नीतिगत वक्तव्य दे रहे थे – स्वर्ण आयात, शराब आयात, फेरारी आयात पर राहत से एक से दो प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी। चाले चली जा रही हैं। धोखाधड़ी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में गंभीर चिंता के ठोस कारण हैं। और यह सरकार खुशनुमा अहसास की चर्चा कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार 'खुशनुमा अहसास' की चर्चा कर रही है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और सरकार 'खुशनुमा अहसास' के कारण बता रही है अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है और वे कहते हैं कि यह 'खुशनमुा अहसास'।

अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है । उन्होंने भयंकर भूल की है। प्रधान मंत्री जैसे प्रतिष्ठित सदस्य जिसे चार दशकों से अधिक का अनुभव है, से इस महानसंस्था की प्रतिष्ठा को इतनी क्षति पहुँचाने की हमें आशा नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, उन्हें इस रीति से प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने और संसद की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। हम इसका विरोध करते हैं और हम ऐसे व्यवहार की निंदा करते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की धारा 87(1) की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जी किसी वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम दिन संयुक्त सदनों को एड्रस करेंगे। प्रेसीडेंट की स्पीच होगी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, उसके बाद लोक सभा का फिर से कार्य प्रारम्भ होगा, परन्तु सत्र के प्रथम दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। यह संविधान की धारा 87(1) में स्पष्ट है। जब से यह संसद बनी है, उस समय से लेकर अभी तक हर साल चुनावी वर्ष में दो बार राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। साल की शुरूआत में और उसके बाद जब लोक सभा का गठन हो जाए तो उस सत्र की शुरूआत में अभिभाषण होता है। लेकिन यह सरकार बहुत हरी में है, बहुत अफरा–तफरी में है और किसी कारण मदान्ध हो गई है, जिसके कारण यह संविधान का उल्लंघन कर रही है और चुनावी वर्ष में दो बार राष्ट्रपति जी द्वारा अभिभाषण करने का जो अधिकार था, यह धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति जी के उस अधिकार का हनन कर रही है। एक प्रोरोग करने का उदाहरण सन् 1962 में मिलता है, जब उस साल से दूसरे साल के लिए प्रोरोग किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो सत्र बुलाया गया, उसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और साल के सत्र की शुरूआत मानी गई, लेकिन उस समय चीन से युद्ध की विशेष परिस्थिति थी। अभी कौन सी विशेष परिस्थिति है? इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, राष्ट्रपति जी के अधिकार का हनन किया और संसद की अवमानना भी की। संसद में बजट आता है और टैक्स में जोड़ने–घटाने का सब काम कॉनफिडैन्स के साथ संसद के माध्यम से होता है। संसद के पहले ही इनका बयान आ रहा है, जैसे जाने वाली सरकार गलत–सच बोलकर जल्दी–जल्दी में कुछ कर दो और आने वाली सरकार की लायेबिलिटी बढ़ा दो

जिसे आने वाली सरकार भोगेगी। क्या इनका मकसद है? फिर मैं पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 की धारा 14 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट की धारा 14 में कहा गया है कि :–

"लोक सभा की एक्सपाइरी डेट के पहले के छः महीने के बीच के शैड्यूल में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है।"

10 अप्रैल से लेकर 10 अक्तूबर तक छः महीने का समय बचता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं हुआ। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग पर भी इनका दबाव है। मैं जानना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल के बाद यदि लोक सभा का चुनाव होना है तो फिर पीपल्स रिप्रेजन्टेशन एक्ट की धारा 14 के मुताबिक लोक सभा भंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोक सभा भंग करने का फैसला हो गया। उसके बाद यह भी फैसला इन्होंने कर लिया कि छः फरवरी को हम लोक सभा भंग करेंगे। ये लोक सभा को रस्म अदायगी की संस्था बना रहे हैं। रस्म के तौर पर वोट ऑन अकाउंट पास कराना चाहते हैं जिसकी अवधि तय हो गई कि लोक सभा छः तारीख को भंग करेंगे। जब छः फरवरी को भंग करनी है तो फिर बीच में इनको सत्र बुलाने की क्या ज़रूरत है? चुनाव में चलिये। ये जनता में बड़ा फील गुड फैक्टर प्रचारित कर रहे हैं। इस अवधि में जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए देश भर के सारे अखबार और मीडिया का दुरूपयोग कर रहे हैं और अपना फोटो छपवा रहे हैं। गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। कैसे खंडन होगा? सदन की कार्यवाही चलती रहती तो हम लोग बोलते। सारे अखबार भरे हुए हैं, मीडिया को विज्ञापन देकर खरीदा जा रहा है और सारे अखबारों में गलत विज्ञापन आ रहे हैं। आपको किसने स्वीकृति दी? जब आप जाना चाहते हैं तो सीधा मैदान में चलिये। गलत प्रचार करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि कैसे लोक सभा भंग करो, जल्दी भंग करो। इनके पक्ष के कई सदस्यों ने हमारे यहां अप्रोच किया कि वाजिब बात उठनी चाहिए कि सवाल उठना चाहिए, क्या अफरा–तफरी इनको लगी हुई है, क्यों नहीं 10 अप्रैल के बाद चुनाव नियमित ढंग से हो सकता है। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी भंग करो, भंग करने की तिथि पहले तय कर लो। उसके बाद रेल बजट – वोट ऑन अकांउट, जनरल बजट – वोट ऑन अकांउट। देश की समस्याओं से ये मुकाबला नहीं करना चाहते। इनकी घोषणाएँ उसी तरह की हैं जैसे जाने वाली एक सरकार आने वाली सरकार के लिए लायेबिलिटी बढ़ाकर जाती है या जैसे मिलिट्री रूल चंद वर्षों में सब कुछ विनष्ट कर देता है, उसी मिलिट्री वाले सिद्धांत पर ये चल रहे हैं कि नाश करके चल दो, आने वाली सरकार भोगेगी। इस पर साफ करके बताइए। संविधान का उल्लंघन, संसद की अवमानना, चुनाव आयोग पर दबाव डालना, ये सारे असंवैधानिक काम कर रहे हैं और मदांध, मदहोश हो गए हैं। इस प्रकार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों की सफाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बार–2 राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाने की आज्ञा मांग रही हूं।

[हिन्दी]

हमें तो आप मौका ही नहीं देते हैं। पहले इसका जवाब हो जाना चाहिए। इसमें मेरा कोई फील गुड फैक्टर नहीं है, मैं बता दूँ कि महिलाओं के साथ आप ऐसे करते रहते हैं। इस संसद में महिलाओं का बिल आया ही नहीं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे पास जानकारी है; ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो विषय सदन के सामने है, क्या आपने उस पर नोटिस दिया है?

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, 14 हजार 500 करोड़ रुपए का घपला है।

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, क्या आपने इसका नोटिस दिया है?

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, सरकार जो ऐसे काम कर रही है, वह क्या किसी को नोटिस देकर कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने जो किया है, उसका मेरे पास नोटिस है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, हमने तो इन्हीं से सीखा है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए रेणूका जी, आप जानती हैं कि किसी विषय को रेज करने के लिए पहले आपको नोटिस देना होता है। यदि आप इस विषय को रेज करना चाहती हैं तो मंगलवार को आप नोटिस दे दीजिए। मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, पब्लिक का पैसा है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इसमें कौन सा फील गुड फैक्टर है। 14 हजार 500 करोड़ रुपए का घपला हो चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही में केवल वही सम्मिलित किया जाएगा जो श्रीमती सुषमा स्वराज कह रही हैं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, मैं आपको परमीशन दूंगा। आप मंगलवार या बुधवार को इस इश्यू को रेज कीजिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, यह सुप्रीमकोर्ट में फ्राइडे को नोटिस हुआ है। बैठे हुए मंत्रियों के नाम हैं। इसमें कौन सा फील गुड फैक्टर है?

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय वे सभा की वरिष्ठ सदस्य हैं, फिर भी वे ऐसा कर रही हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : हां, मैं सभा की वरिष्ठ सदस्य हूं। पर आप जानते हैं कि आपने गंभीर अपराध किया है। उससे कुछ लेना–देना नहीं हैं, आपने जो किया है उसमें वरिष्ठता या कनिष्ठता की कोई बात नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। मैंने पहले ही कहा है कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो कहा है वही कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, आप क्यों रोक रहे हैं। वहां से कोई कुछ नहीं बोलता है। सब बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, आप जानती हैं कि सभा में कुछ नियम हैं और हम नियमानुसार ही कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, अगर आप इस विषय को रेज करना चाहती हैं, तो मैं आपको इजाजत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपको नोटिस देना होगा।

[अनुवाद]

मंगलवार या बुधवार को आप इस विषय को उठा सकती हैं, मुझे आपको अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। सचमुच इस विषय को उठाने के लिए आपको अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की बैठक करने पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, क्या इसके लिए सरकार कोई नोटिस दे रही है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप जीरो आवर का नोटिस देंगी, तो मैं आपको इस विषय को रेज करने के लिए समय अवश्य दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी रूप में सूचना दे सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, इस सदन के शायद सबसे वरिष्ठ सांसद श्री राधाकृष्णन जी ने एक प्रश्न यहां उपस्थित किया। आदरणीय श्री शिवराज जी पाटिल, भाई श्री रामजी लाल सुमन, डॉ रघुवंश प्रसाद सिहं और श्री रूप चन्द पाल साहब ने उनका समर्थन किया है। चारों की टिप्पणियों से जो प्रश्न उभर का आए हैं, वे दो हैं। पहला यह कि हमने सत्र का अवसान क्यों नहीं किया, हमने हाउस प्रोरोग क्यों नहीं किया और दूसरा यह कि हाउस प्रोरोग न कर के सदन की बैठक पुनः बुलाकर हमने राष्ट्रपति अभिभाषण से सांसदों को वंचित किया है। जहां तक रघुवंश बाबू के दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है, उसका जवाब स्वयं श्री शिवराज पाटिल जी ने दे दिया है। जब उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को लोक सभा भंग करने और चुनाव का समय चुनने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। जो दो अहम प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं देना चाहूंगी।

अध्यक्ष जी, वैसे मेरे पास कई पूर्व उदाहरण मौजूद हैं जब हाउस प्रोरोग किए बिना ही हाउस की बैठक कनवीन की गई, लेकिन मैं पूर्व उदाहरणों का हवाला देकर केवल प्रैसीडेंट कोट कर के अपने निर्णय को उचित नहीं ठहराऊंगी। हमने यह निर्णय क्यों लिया, मैं इसके तर्क आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बिना शब्दों को चबाए और बिना संकोच के, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने हाउस प्रोरोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पुनः जनादेश देने का मन बना लिया था। हमने सत्र अवसान इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोक सभा भंग कर के नए चुनाव कराना चाहते हैं। यदि अगली लोक सभा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैंने पांचों टिप्पणियों को धैर्यपूर्वक सुना है मेरा माननीय रेड्डी जी से निवेदन है कि वे सवाल बाद में पूछ लें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, पाकिस्तान जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बयान दिया था कि लोकसभा भंग करने का कोई विचार नहीं है। यदि ऐसा था, तो मंत्री जी अब कैसे कह सकते हैं कि इसकी योजना पहले से ही थी। प्रधान मंत्री के ये सार्वजनिक रवैये, उनकी निरंतर बयानबाजी और अब सभा पटल पर मंत्री जी के रवैये में स्पष्ट विरोधाभास है। वे इस विरोधाभास को दूर करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मेरा बहुत विनम्रता से एक निवेदन है। पांचों टिप्पणियों को मैंने धैर्य से सुना है। आप कम से कम उनका जवाब तो धैर्य से सुन लें। उसके बाद कोई शंका रह जाती है, कोई प्रश्न रहता है तो जयपाल जी या अन्य कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर बोल ले, लेकिन पहले मुझे कम्पलीट करने दें।...*(व्यवधान)* जहां तक पोजिशन का सवाल है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा और ऐसा नहीं कि अगर एक बार उन्होंने कहा था तो उसके बाद वे निर्णय नहीं कर सकते थे। मैं पूरी विनम्रता से कह रही हूं कि आप पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रही थी कि हमने सत्र का अवसान इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमने तय किया कि हम लोकसभा भंग करके चुनाव में जाना चाहते हैं। यदि अगली लोकसभा का गठन 31 मार्च से पहले हो जाता या हो सकता तो हम सीधे लोकसभा भंग करके चुनाव में चले जाते, लेकिन जो टाइम-टेबल बन रहा था, किसी भी तरह से, कितनी भी जल्दी चुनाव आयोग करता, लेकिन 31 मार्च से पहले अगली लोक सभा गठित नहीं हो सकती थी। इसलिए हमारे सामने दो विकल्प थे – एक विकल्प यह था,. ..*(व्यवधान)* मेरा निवेदन इधर के लोगों से भी है।...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : आप बैठे-बैठे क्या बोलती जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं खड़े होकर बोल लूंगी। लूट मची हुई है।...*(व्यवधान)* आप क्या बोलते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप मैदान में आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों माननीय सदस्य से अनुरोध है कि बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। आप सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे धैर्य रखे और माननीया मंत्री जी जो कह रही हैं उसे ध्यान से सुने। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

सुषमा जी, आप बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे बोलने का वातावरण भी तो दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी :*

[हिन्दी]

महोदय, ये क्या बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड देखने के पश्चात मैं सभी असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जवाब देने का आपका पूरा अधिकार है। आप जवाब दे सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, इस तरह मैं कैसे बोलूं, पहले कम से कम वातावरण शांत हो। रेणूका जी, आप मुझे पांच मिनट बोलने का समय दें।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : आपकी जन्म-पत्री मैं बदल दूंगी।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जन्म-पत्री बदलने का अधिकार ज्योतिषी का होता है, आपका नहीं। आप कैसे बदल सकती हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम लोग उन्हें मौका दें ताकि वे अपनी बात कह सकें। श्री राधाकृष्णन द्वारा उठाया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी कि अगर अगली लोक सभा 31 मार्च से पहले गठित हो सकती तो हमें सदन

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोकसभा भंग करके सीधे चुनाव में जाते, लेकिन चूंकि उसकी संभावना ही नहीं थी, 31 मार्च के बाद एक भी पैसा राजकोष से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम वोट ऑन एकाउंट लें। अब हमारे पास दो विकल्प थे – एक विकल्प जो शिवराजजी ने सुझाया और जो विपक्ष की नेत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रपति जी को लिख कर भेजा कि हम सत्र का अवसान करते, नया सत्र बुलाते, चूंकि वह वर्ष 2004 का पहला सत्र होता, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता। उस सत्र के बाद हम लोक सभा को भंग करते और चुनाव करवाते।

अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उनका स्वयं का भाषण नहीं होता। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : वही हम सुनना चाहते थे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बता रही हूं। वास्तव में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का विवरण होता है। उसमें न राष्ट्रपति जी अपनी ओर से एक शब्द जोड़ते हैं, न घटाते हैं और न अपनी ओर से कोई सलाह डाल सकते हैं। उस अभिभाषण को सरकार तैयार करती है, केबिनेट उसका अनुमोदन करती है और राष्ट्रपति जी को पढ़ने के लिए भेजती हैं। वे अपने मुखारविन्द से उसे हूबहू पढ़ते हैं।

अध्यक्ष जी, उस राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अन्तिम पैरा भी होता है। पूरी उपलब्धियों का विवरण कर देने के बाद राष्ट्रपति जी एक आखिरी पूरा पैरा पढ़ते हैं। मैंने पिछले तीन अभिभाषण मंगाकर रखे हैं। मैं वह आखिरी पैरा पढ़कर सुनाती हूं। सन् 2001 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा –

> "माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है। इस सत्र में रेलवे तथा आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय एजेण्डा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी पूरा किया जाना है। इस समय लोक सभा में 36 और राज्य सभा में 40 विधेयक लम्बित हैं। चार अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाये जाने हैं। मुझे लगता है कि विशेष तौर पर आप यह देखना चाहेंगे कि भारतीय संसद के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को सम्पन्न करने में लगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

सन् 2002 में उन्होंने कहा –

> "माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। दो अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। आपके बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में लगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।"

सन् 2003 में उन्होंने कहा –

> "रेल बजट और आम बजट से सम्बन्धित वित्तीय कार्यसूची के अलावा इस सत्र में बहुत से विधिक कार्य पूरे किये जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि संसद के बजट सत्र और आगामी सत्र में पहले की तरह सार्थक सिद्ध होंगे। मैं आपके प्रयासों के लिए सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।"

अध्यक्ष जी, हम वोट ऑन एकाउण्ट लेने आ रहे थे, बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। हम पूरी उपलब्धियां लिखने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी से क्या पढ़वाते? अन्तिम पैरा में वे कहते– "माननीय सदस्यगण, इस सरकार ने लोक सभा भंग करके नये चुनाव कराने का निर्णय किया है। आप सब पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए जा रहे है। मैं आप सब को जीत की शुभकामनाएं देता हूं।" मैं दावे से कहती हूं, विपक्ष की तरफ बैठे मेरे साथी, जो आज हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं करवाया, उस दिन खड़े होकर हम पर इल्जाम लगाते कि हमने राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग किया है।...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) **:** हम क्या करते, क्या न करते, इसका आप पहले से ही अनुमान लगा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पूरी सोच-समझ और विचार-विमर्श के बाद हमने यह तय किया कि चुनावी दंगल से महामहिम राष्ट्रपति को ऊपर रखना चाहिए। हमने सोच-समझकर तय किया कि चुनावी अखाड़ा हमारा और आपका लगेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और एक दूसरे का विरोध करेंगे। हम अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे, ये हमारी काट करेंगे और जनता फैसला करेगी। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति को इस चुनाव दंगल में हम नहीं उलझाएंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे अपेक्षा थी कि ये हमारी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे, ये हमारी इस बात के लिए सहायता करेंगे कि हमने राष्ट्रपति के पद को चुनावी दंगल में नहीं उलझाया, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये हमें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं कराया। राष्ट्रपति का अभिभाषण न कराकर हमें क्या नुकसान था? दो दिन सत्र और बढ़ता तो बढ़ जाता। 29 जनवरी से पांच फरवरी तक सत्र हुआ है, यह आगे चला जाता। अगर पांच का कोई मुहूर्त था, तो दो दिन पहले हम हाउस को शुरू कर सकते थे, यानी 29 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को शुरू कर लेते लेकिन हमने लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप एक स्वस्थ परम्परा कायम की। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं

हुआ कि प्रथम सत्र में राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण न हुआ हो। यह सबूत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने भाषण देकर अपना मुद्दा रखा है। अब आप उनको अपना मुद्दा रखने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय हम सबूत नही दिखा सके थे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की बात रही, संविधान की धारा 87 की पूर्ण पालना होगी। आप दो–तीन महीने रूक जायें। वर्ष 2004 का वह पहला सत्र होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी आयेंगे और अभिभाषण देंगे। आप चिंता न करें क्योंकि यही सरकार उनका भाषण तैयार करेगी। ...*(व्यवधान)* संसद का कोई स्वरूप चुनाव के बाद बदलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, वह हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रही हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वे ही यहां बैठेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री होंगे और आप सब विपक्ष में बैठेंगे। राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण के लिए आयेंगे और नव–निर्वाचित सदस्यों में ऊर्जा का संचार करेंगे। ....*(व्यवधान)* मैं पुनः कहना चाहती हूं कि हमने यह निर्णय लेकर कोई गलती नहीं की, बल्कि हमने भारतीय संसद के लोकतंत्र में एक नयी, उच्च और स्वस्थ परम्परा कायम की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : आप कल्पना लोक में रह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कहना चाहूंगी कि अगर राधाकृष्णन जी मेरी बात से संतुष्ट हैं तो वे खड़े होकर कहें कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने एक स्वस्थ परम्परा कायम करने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सुषमा जी को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भाषण नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मुझे एक बात कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी का भाषण होने के बाद कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे टोकिये मत। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे प्वाइंट को उन्होंने गलत बोला है, उसी प्वाइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सबसे पहले मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को उनके पहले चुनावी भाषण के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

आप सब गवाह हैं कि जब बिजनेस के बारे में फैसला होता है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, सुषमा जी यहां मौजूद हैं, लॉस्ट सैशन 23 दिसम्बर को खत्म हुआ और 23 दिसम्बर से पहले बीएसी की मीटिंग में, मैं सुषमा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय काफी बिजनेस पैंडिंग था। जब मैंने इस बारे में जिक्र किया कि इस बिजनेस को कैसे लिया जायेगा क्योंकि मुझे खबर है कि आप हाउस को भंग करके चुनाव करायेंगे तो सुषमा जी ने बीएसी की मीटिंग में सबके सामने कहा कि कोई सवाल नहीं है, अक्टूबर तक सरकार चलेगी इसलिए बाकी का बिजनेस हम अगले सैशन में लेंगे। ...*(व्यवधान)* इसे स्पष्ट होने दें। वह बहुत दयालुता से कह रही थीं कि अगले सैशन में सारे बिजनेस को एकोमोडेट करेंगे, आप चिंता मत करिये। ऐसा कहने के बाद अब वह कहती हैं कि हमने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया यह सही नहीं है। यह आप हैं जिन्होंने कहा कि अगले सैशन में एकोमोडेट करेंगे। उनकी बात कहने के लिए आपने मन बना लिया है। यह संसद के साथ धोखा और उसके लिए एक धक्का है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.49 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.49 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 13 पर विचार करेगी। हमने इस विधेयक पर चर्चा के लिए आधे घंटे का समय आंवटित किया है।

अपराह्न 02.50 बजे

[अनुवाद]

विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।" महोदय, विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 में संशोधन करने के लिए जून, 1998 में पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 में अधिनियम के प्रावधानों या इनके अंतर्गत दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कारावास की सजा दी जा सकती है जो पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है और अर्थ दंड भी दिया जा सकता है। यही वर्तमान प्रावधान है।

[हिन्दी]

अभी जो वर्तमान में प्रोवीजन है, उसमें पांच साल की सजा है और पांच साल की सजा में फाइन भी है। परिस्थिति यह है।

[अनुवाद]

कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अनुसार दोषी व्यक्ति कभी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आसानी से जमानत पा सकता है।

विधेयक को विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण करने और किए गए अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड देने के उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में, अपराधों का वर्गीकरण नहीं है, चाहे यह बड़ा हो या छोटा। इस विधेयक में, हम अपराधों का वर्गीकरण कर रहे हैं जैसे वैध अवधि से अधिक दिनों तक ठहरना, समय अवधि बढ़ाने या किसी अन्य तरह का उल्लंघन। ये छोटे अपराध हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि गंभीर अपराधों के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कारावास आठ वर्षों के लिए और अर्थ दंड 50,000 रु. हो । यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है, तो गंभीर अपराधों की सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी, पहले इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी। इसलिए वे जमानत लेने में समर्थ हो जाते थे। अब, जमानत मिलने के पूर्व न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा और राज्य सरकार को धारा 439 के अंतर्गत जमानत का विरोध करने का अवसर होगा।

विधेयक को विभागों से संबद्ध गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति के पास जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया था। समिति ने संशोधन विधेयक पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट मार्च, 2000 में प्रस्तुत कर दी, तत्पश्चात् गृह मंत्रालय ने भी अध्ययन और सिफारिश के लिए मामले को भारतीय विधि आयोग के पास भेज दिया। भारतीय विधि आयोग ने विदेशी (संशोधन) विधेयक, 2000 संबंधी अपनी 175वीं रिपोर्ट सितम्बर, 2000 में सरकार को सौंपी। विधि आयोग की सिफारिशों की जांच की गई थी और सरकार ने विदेशी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर आगे कार्यवाही करते हुए पांच वर्षों के मौजूदा दंड को बढ़ाकर आठ वर्ष करने के लिए राज्य सभा में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। जिसकी सिफारिश विधि आयोग द्वारा भी की गई थी। तदनुसार, मामले को राज्यसभा में रखा गया और विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 पर संशोधनों के साथ, विचार किया गया और राज्य सभा द्वारा 7 मई, 2003 को इसे पारित कर दिया गया।

विधेयक लाया गया ताकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के दण्डात्मक प्रावधान प्रभावी एवं निवारक हो। स्पष्ट की गई परिस्थिति के मद्देनजर मैंने प्रतिष्ठित सभा से निवेदन किया कि इस विधेयक को उसी तरह पारित किया जाए जिस तरह से 7 मई, 2003 को राज्य सभा में पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद कैलेंडर वर्ष बदल जाने से परिणामी अधिकारिक संशोधन भी विधेयक में किया जाना है जैसा कि विधेयक के पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में अधिनियमन सूत्र में "54वें" के स्थान पर '55वें' प्रतिस्थापित करने और "2003" के स्थान पर

"2004" प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है। इन संशोधनों पर भी विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2003 को अब विधेयक, 2004 बना दिया गया है, प्रथम दृष्ट्या यह साधारण विधेयक हो सकता है जैसा कि माननीय मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है लेकिन इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। यह सिर्फ धारा 437 या 439 के अंतर्गत जमानत देने की बात ही नहीं है, यह ऐसा विधेयक है जो खास व्यक्तियों को शामिल करने वाले आठ विभिन्न वर्गीकरणों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की संभावना को बढ़ाता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि अब नई धाराएं भी शामिल की गई हैं। अब धारा 14 में कहा गया है :

"जो भी –

(क) उस अवधि, जिसका उसे वीजा जारी किया गया था, से अधिक अवधि तक भारत के किसी भाग में ठहरना,

(ख) वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर कोई कार्य करता है ......"

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है......"

धारा 14क सरकार द्वारा विशेष अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश के लिए जारी किए जाने वाली अनुमति देता है। यदि वह परमिट किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है या यदि वह उस अवधि से ज्यादा समय तक रहता है तो वह भी दंडनीय है। पांचवां कहता है कि बिना वैध दस्तावेज के यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान में प्रवेश करता है या ठहरता है, तो वह भी दंडनीय है और वह भी इस विधेयक में शामिल है। छठी में कहा गया है : "जाली पासपोर्ट या बिना किसी कानूनी अधिकार के ठहरता है" आठवीं में कहा गया है, "ऐसे अपराधों को बढ़ावा देना"।

इसलिए, इस संशोधन के व्यापक परिणाम सामने आ रहे हैं, इसी समय, सरकार स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मान रही है जिन्हें वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था और अपने 175वें प्रतिवेदन में विधि आयोग की सिफारिशों को भी प्रस्तुत किया गया था। इन रिपार्टों में कहा जा रहा है कि इस सामान्य अधिनियमन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अवैध आप्रवास और घुसपैठ की समस्या की स्थिति से निपटने के लिए भी व्यापक विधान होना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी भी चीज पर विधेयक में विचार नहीं किया गया है और उनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

हम मानते हैं कि इस तरह के विधेयक विशुद्ध रूप से नौकरशाहों विशेष रूप से अभियोजकों की सिफारिश पर लाया गया है जो न्यायपालिका स्तर पर अपना मामला नहीं निपटा सकते। जब जमानत की अर्जी न्यायालय के समक्ष आएगी तो वे धारा 437 के अंतर्गत मामले पर बहुत अच्छी तरह से बहस कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उचित निर्णय नहीं दे सकते और केवल सत्र न्यायाधीश ही ऐसा निर्णय दे सकते हैं, कोई भी न्यायालय निर्णय दे सकता है। यदि किसी खास न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है, तो उच्चतम न्यायालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण है। इसलिए, नौकरशाहों, विशेषकर अभियोजको और पुलिस की मामूली सिफारिशों के कारण ही अधिक परिणामों वाले इस विशेष अधिनियमन को लाया गया है।

इसलिए, इन सभी पहलुओ पर विचार करने के लिए यह विधेयक व्यापक नहीं है। यह सामान्य रूप से हड़बड़ी में लाया गया विधेयक है तो लोगों का पता लगाने के लिए जिला प्राधिकारी को अधिक शक्तियां देता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई मशीनरी है और यह भी कि क्या इसके लिए कोई मार्गनिर्देश है। इन कानूनी उल्लंघनों का कौन पता लगाने जा रहा है?

जब यहां सीमा पार से आतंकवाद होता है और कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो यह धारा भी लागू होगी। केवल उसी उद्देश्य के लिए इस विधेयक को लाया गया हैं लेकिन समग्र परिणामों पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने अनेक सम्मेलनों विशेषकर नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा – 23 मार्च, 1976 पर बड़े गौर से नजर डाली है, जो नागरिकों और अन्य देशीय लोगों को वर्गीकृत करता है, उन्हें भी संरक्षण का अधिकार है, उन्हें अनुच्छेद 21 और संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत समान अधिकार मिला है।

वह कौन सी मशीनरी है जो नागरिक और अन्यदेशीय के बीच अंतर करती है? मैं जानना चाहूंगा कि कानून की चारदिवारी में उन्हें किस तरह से लाया गया है, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती का प्रारूप, शरणार्थी और अनाथ आश्रम संरक्षण अधिनियम, जिसका सुझाव वर्ष 2000 के शुरू में दिया गया था, सरकार द्वारा विचार किया गया है।

सिर्फ इस विधेयक के होने से ही हम उस स्थिति पर काबू पाने में सक्षम नहीं होंगे जो भारत के सभी सीमाओं से आ रही है।

(श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन)

महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है और बिना किसी वैध पासपोर्ट, बिना किसी वीजा के यहां ठहर भी सकता है। ऐसे सैंकड़ों, लाखों लोग भारत में रह रहे हैं। वे नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं और अफगानिस्तान तथा सभी अरब देशों से आ रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यहां तक कि पश्चिमी देशों में, लोग शांति से रहना चाहते हैं, वे यहां आ रहे हैं और वे यहां ठहरे हुए हैं, श्रीलंका से विशेषकर कई तमिल और अन्य शरणार्थी उस राष्ट्र में विद्यमान स्थिति के कारण यहां आए हैं। हम लोगों को किस तरह से वर्गीकृत कर रहे हैं? हमारे पास बहुत कम बजटीय प्रावधान है, लेकिन लाखो लोग भारत में आ रहें हैं और वे हमारी अपनी परिवहन प्रणाली हमारी अपनी सामाजिक सुरक्षा और प्रत्येक चीज को हथियाने में लगे हैं, हम इसे नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत इस तरह के अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार करने की उचित मशीनरी नहीं बनाई गई है। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं, यदि आप वीजा लेकर आ रहे हैं और यदि आप विशेष समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौट रहे हैं तो आप आठ वर्षों के लिए इस प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय हैं, क्या यह अमानवीय नहीं है? क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है?

मान लीजिए, बंद का एलान हो जाता है, और कोई व्यक्ति विमान पकड़ने के लिए हवाई अड्डा जाना चाहता है, और यदि वह नहीं जा सकता और उचित समय पर हवाई अड्डा नहीं पहुंच पाता तो भी वह आठ साल के लिए दंडनीय है। उसकी रक्षा कौन करेगा? हमारी प्रणाली में, निचले स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यदि बहुत ही सही व्यक्ति, जो वैध पासपोर्ट के साथ आया है, निकटवर्ती स्थान के प्रभावों के कारण रूक जाता है, इस प्रावधान के अंतर्गत वे भी आठ वर्षों के लिए दंडनीय होंगे, कानून को जिला स्तर के प्राधिकारियों के हाथों में इतने ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए। इसे किसी अन्य विनियमन द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। यह कोई विशेष न्यायाधिकरण या कोई ऐसी चीज उपलब्ध नहीं करा रहा है।

पूर्व में, असम में आप्रवास को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहां न्यायाधिकरण अधिनियम था, लेकिन इस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं है। आप कैसे नियंत्रित करेंगे और उन वास्तविक लोगों का कैसे पता लगा पाएंगे जिन्हें बिना किसी उचित तंत्र के दंडित किया जाना है? आप इस बात का कैसे पता लगाएंगे कि उनका इस राष्ट्र में ठहरना हमारे हित के विरूद्ध है या हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के विरूद्ध है? आप कैसे जान पाएंगे कि वे इसे हमारे राष्ट्र के हित के विरूद्ध कर रहे हैं? कौन पता लगाएगा? जब वह किसी विशेष मामले में पकड़ा जाता है तभी उसे इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए इस अधिनियमन के परिणामों पर विचार किए बगैर जल्दी में तैयार किया गया है। यह एक उचित और व्यापक अधिनियमन होना चाहिए। हमें पूरे आ् प्रवास मामले, अवैध आप्रवासियों और उन लोगों, जो यहां रह रहे हैं और जिनके पास नागरिकता के सभी अधिकार है के सम्पूर्ण मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा, बगैर नागरिक अधिकार के वे लाभ उठा रहे हैं और वे स्थानीय निकायों के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उन्हें इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वे सम्पत्ति खरीद रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में हैं, उनके पास बिजली बिल और अन्य चीजें हैं, उनको दिखाकर वे यह कहना चाहते हैं कि वे इस देश के नागरिक हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिए, इस तरह के आप्रवास को बंद करना चाहिए। यह बहुत ही आम अधिनियम है लेकिन जिला स्तर के अधिकारियों को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं, इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि सरकार को बेहतर कानून बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक अत्यन्त ही सामान्य श्रेणी का है। राज्य सभा में इसे पारित किया जा चुका है और कुछ नये उपबंध इसमें समाहित किये गये हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट के मामले में, वीजा के मामले में जो कठिनाइयां हैं और जिस प्रकार से उनका दुरूपयोग किया जाता है, उसको रोकने की दृष्टि से इस प्रकार के उपबंध आवश्यक थे, जो इसमें किये गये हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और ऐसा मानता हूं कि इन उपबंधें के कारण, और जो इसमें प्रावधान किये गये हैं, उनके कारण इस प्रकार के दुरूपयोग रोके जा सकेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वीजा प्राप्त करने के बाद लोग यहां आते हैं और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां टिके रहते हैं, उनको ढूंढने में कठिनाई होती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की जानकारी में होंगे।

यहां तक कि उनके द्वारा 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि की नागरिकता ग्रहण करने की चेष्टा की गई है। सरकार ने इस विधेयक द्वारा दण्डावधि बढ़ाई है और ऐसे अपराधों को गम्भीरता से लिया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय को तथा ऐसे अनधिकृत रूप से ठहरे वीजाधारियों को भी देखें। मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि एक काम्प्रिहेंसिव विधेयक लाने की आवश्यकता है। मैं नहीं मानता कि इसमे कोई ज्यादा कठिनाई है जिस से कि एक काम्प्रहेंसिव विधेयक सीमा के अंदर लाने की आवश्यकता पड़े। फिर भी जैसा उद्देश्यों और कथन में विवरण दिया गया है :

"उस अधिनियम या ऐसे आदेश के अनुसरण में दिये गये किसी निदेश का उल्लंघन कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डनीय है। विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन मामले संज्ञेय, अजमानीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।"

इसे रोकने की दृष्टि से इसमें कुछ प्रावधान किये गये हैं और दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। इस दण्ड में वृद्धि के कारण गम्भीर अपराध रूकेंगे और सेशन न्यायालय द्वारा भी विचारणीय हो सकेंगे। उसके बाद भी जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर मिल सकेगा। जो लोग ऐसे ही जमानत प्राप्त कर लेते हैं, वे इस विधेयक में किये गये प्रावधान के आधार पर जमानत प्राप्त नहीं कर सकेंगे, मैं ऐसा मानता हूं।

उपाध्यक्ष जी, राज्य सभा में इस विधेयक पर काफी विचार किया गया है और इसे पारित भी किया गया है। इसलिये यहां भी इसे सर्वानुमित से पारित किया जाये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक द्वारा सरकार को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस विधेयक में दिये गये हैं तथा इस शंका का कोई कारण नहीं है कि इसका दुरूपयोग होगा। इन अधिकारों के कारण उन समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जो दोषसिद्ध व्यक्ति होंगे, वे दंडनीय माने जायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। इससे वीजा का दुरूपयोग रूक जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुये एक निवेदन और करना चाहूंगा कि लोगों को पासपोर्ट मिलने में काफी सहूलियत हो गई है लेकिन कई बार कठिनाई आ जाती है। उन नियमों को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि आम नागरिकों को पासपोर्ट मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जब भी हम पासपोर्ट लेने जाते हैं, वहां अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है, हिन्दी का नहीं है। जब सरकार की द्विभाषी नीति है तो अंग्रेजी के साथ हिन्दी का प्रावधान भी किया जाना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। जब भी हम दूसरे देशों में जातें हैं, वे अपने देश की भाषा में ही मुहर लगाते हैं तथा पृष्ठांकन भी करते हैं जबकि हमारे यहां अंग्रेजी भाषा में लगाई जाती है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस मामले को भी देखें।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य के संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि हमारे देश में अवैध प्रवेश, वीसा उल्लंघन इत्यादि से संबंधित अपराधों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटा जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने सभा में इस विधेयक के उपबन्धों की काफी स्पष्ट व्याख्या की है परन्तु इस बात पर आवश्यक रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि यह कोई आम विधेयक नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

अपराह्न 3.09 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

इस विधेयक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रुटि यह है कि लगभग सभी श्रेणियों के अपराधों को बिना समुचित विचार किए एक मान लिया गया है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कोई विदेशी एजेण्ट वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश ही न कर सके और निश्चित अवधि से अधिक समय तक नहीं रहे। यदि स्थिति की पूरी जानकारी ही नहीं है तो यह हास्यास्पद है। इसके अनेक कारण होते हैं तथा कभी–कभी बेहद उचित कारण होते हैं। कठोर कानून बनाते समय इन बातों का समुचित ख्याल रखा जाना चाहिए।

निश्चित अवधि से अधित समय तक रहने के कतिपय कारण हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आशक्त और बीमार वृद्ध व्यक्ति तथा अन्य लोग हमारे देश में आए हैं। वे भारतीय मूल के लोग हैं। वे अकेले हैं तथा अब यहां अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे हमारे देश की नागरिकता चाहते हैं। अतएव ऐसे मामलों में कठोर कानून लागू करने तथा निर्दोष लोगों का दुःख बढ़ाने के बजाए इन पर मानवीय सोच अपनानी चाहिए। निश्चित अवधि से अधिक समय तक रहने के भी अन्य अनेक कारण हो सकते हैं। परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति के हाथों से बाहर हो सकती हैं। परन्तु इस विधेयक में कोई सुरक्षा उपबंध नहीं रखे गए हैं तथा सभी व्यक्तियों को एक समान मानते हुए कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। जिला प्राधिकारियों को अत्याधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं और इसके दूरगामी प्रभावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जहाँ तक कारणों का सवाल है, इनमें समुचित अंतर किया जाना चाहिए तथा मानवीय परिस्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक रूप से निहित सुरक्षोपाय किए जाने चाहियें। यही कारण था कि स्थायी समिति तथा विधि आयोग ने एक व्यापक विधेयक तैयार करने के महत्व पर बल दिया था ताकि विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जा सके। परन्तु यहाँ मामला यह नहीं है। हमें कानून पारित करने की मात्र हड़बड़ी दिखती है मानो यह कोई आम कानून हो तथा वे इस तथाकथित विवादरहित विधेयक के दूरगामी परिणामों के प्रति आँख मूंदे हुए हैं।

हमारे देश में केवल काम करने के उद्देश्य से भी व्यक्ति आ सकते हैं। उन्हें काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनेक कारण हो सकते हैं और हम उसे हमेशा कानून का उल्लंघन नहीं मान सकते हैं और इसके लिए लोगों को सजा नहीं दे सकते हैं।

(श्री जी. एम. बनातवाला)

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार को इस जमीनी हक़ीकत का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी होने के बहाने निर्दोष लोगों को भी तंग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ तक कि वैध व्यक्तियां व नागरिकों को भी तंग किया जाता है और ऐसा लगता है कि ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित न करे तथा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक लाए।

महोदय, मैं पुनः कहता हूं कि हमारे देश में वृद्ध, अपंग और बीमार व्यक्ति भी आते हैं और यहां अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे अनेक मामले हैं। यहां तक कि वे यहां की नागरिकता भी चाहते हैं। इन मामलों पर मानवीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और निश्चित समय से अधिक देर तक रहने के उनके छोटे अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि निश्चित अवधि से अधिक समय तक रहने इत्यादि का संबंध मात्र एक या दो देशों के नागरिकों से नहीं है। बल्कि सभी देशों से लोग आते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे सभी देशों के नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए तथा लोगों की परेशानियों व कष्टों को बढ़ाने के बजाए सम्पूर्ण मामले पर शांत मन से विचार करके एक व्यापक विधेयक लाया जाए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, यह प्रस्तावित विधान, विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2003 वर्तमान विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में नए प्रावधान करने के बारे में है। प्रत्यक्षतः यह लगता है कि वर्तमान में भारत में अवैध अप्रवासियों की चिन्ताजनक स्थिति के मद्देनज़र, सरकार यह विधान लाने का प्रस्ताव कर रही है। तथापि, मैं समझता हूं कि यह विधान अभी भी खण्डशः उपायों से भरा पड़ा है। इस बारे में सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। उदाहरणार्थ, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है तथा हमारी पूरी सीमा ऐसी है जहाँ आसानी से घुसपैठ संभव है। बांग्लादेश की वर्त्तमान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वहाँ की वर्तमान सरकार जान-बूझकर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के विरूद्ध जघन्य अत्याचार कर रही है ताकि उन्हें अपनी जन्मभूमि से भगाया जा सके।

अब, ये गरीब, फटेहाल व अत्याचार के शिकार लोग अपना जीवन बचाने के लिए भारत आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाए, तथा उनके साथ विदेशी के रूप में बर्ताव किया जाए, अथवा विशेषकर उनकी वर्तमान दुर्दश के मद्देनज़र, उनके साथ भारतीय मूल के निवासी के रूप में बर्ताव किया जाए।

दूसरा, जिस प्रकार से पानी स्वतः ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार गरीब व्यक्ति अथवा जीवनयापन करने हेतु पड़ोसी देशों में आने को बाध्य हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार, अमरीका भी जनसंख्या की ऐतिहासिक समस्या से जूझ रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे लोगों विशेषकर बांग्लादेश से भागकर भारत आ रहे हिन्दू लोगों के बारे में एक विधान लाए कि क्या उन्हें घुसपैठिया अथवा अवैध आप्रवासी माना जाए अथवा उनके पास मानवीय आधार पर बर्ताव किया जाए।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम्) : इस विधेयक में निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक देश में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को कठोर दंड का उपबंध किया गया है और इसे गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। सभी यह जानते हैं कि इस देश में अवैध अप्रवासी कई कारणों से आते हैं। पहला कारण यह है कि जब हमारे पड़ोसी देशों में राजनैतिक अस्थिरता अथवा इसी प्रकार की घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी हमारे देश में आते हैं। दूसरा कारण यह है कि घोर गरीबी के कारण वे रोजगार की तलाश में हमारे देश में आते हैं।

हमारे देश की सीमाएं काफी लम्बी हैं जो कई देशों से लगती हैं और इस सीमाओं की समुचित बाड़ बंदी और पूरी सीमा पर गश्त लगाकर इस अवैध अप्रवास को रोका जा सकता है। जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री जी.एम. बनातवाला ने बताया कि ऐसा नहीं है कि अवैध अप्रवासी हमारे देश में इसलिए आते हैं कि कानूनों में कोई कमी है। हमारे देश में आने वाले और देश की प्रशासन प्रणाली को बर्बाद करने वाले इन राष्ट्र विरोधियों को कानून रोक नहीं सकता। यह कानून सीमा पार के आतंकवाद को रोकने में सक्षम नहीं है ऐसा नहीं है कि ये अवैध अप्रवासी हमारे देश में कठोर कानूनों के अभाव अथवा इसी प्रकार की अन्य बातों के कारण आते हैं।

जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है कि भारतीय मूल के ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के इस देश में आते हैं। मेरे गृह राज्य केरल, जो दक्षिणतय राज्य हैं, में ऐसे सैंकड़ों व्यक्ति हैं जो उस समय पाकिस्तान में थे जब विभाजन हुआ। वे वहाँ कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहे थे और वहीं बसे हुए थे। तत्पश्चात वे वापस केरल आ गए। एक घटना राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुई थी और एक माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र सभा में किया था। इसे व्यापक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। एक वृद्ध व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज न होने के कारण गिरफ्तार किया गया और केरल से निष्कासित कर दिया [illegible]। यद्यपि सैंकड़ों

व्यक्ति अवैध रूप से रहते हैं, परन्तु यह आपवादिक मामला था। ये लोग सच्चे हैं, वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं और भारतीय मूल के हैं।

सभापति महोदय : श्री सुरेश कुरुप जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें क्योंकि हमें अपराह्न 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा करनी है।

श्री सुरेश कुरुप : मैं मात्र यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वे भारतीय मूल के हैं। वे विभाजन के दौरान समय देश के दूसरे भाग में रह रहे थे। वे कुछ समय बाद बिना वैध दस्तावेज के केरल आ गए। अब उन्हें खोजकर निष्काषित करना अत्याधिक क्रूर और अमानवीय है। इसीलिए भले ही उनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, फिर उन्हें नागरिकता प्रदान करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। केरल सरकार और केरल विधानसभा ने भी इस विषय पर कार्यवाही की है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं उन पांच संसद सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। मैंने अपने आरम्भिक भाषण में सभा में विधेयक पुरःस्थापित करने के कारणों को स्पष्ट तौर पर बताया था। हम विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 को संशोधित करना चाहते हैं।

अधिकांश सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की थी कि ऐसे व्यक्तियों के वीजा अवधि नहीं बढाई जा रही जो ऐसी परिस्थितियों की वजह से देश में रुकना चाहते हैं जो उनके काबू में नहीं है, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान अधिनियम में इन बातों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं। मैं, माननीय सदस्यों यथा श्री सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री सुरेश कुरुप और श्री बनातवाला द्वारा दिए गए सुझावों का निश्चित तौर पर स्वागत करता हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्यों को एक दिन से लेकर एक वर्ष तक की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वीजा अवधि को बढ़वाना चाहता है तो वह राज्य सरकार को ऐसा अनुरोध कर सकता है और राज्य निश्चित तौर पर अवधि बढ़ायेंगे। यदि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, तो इस मामले में केन्द्र को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वे केन्द्र से ऐसा अनुरोध कर सकते हैं और केन्द्र निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देगा।

[हिन्दी]

हमारे मन में चिंता है कि इसको परेशान किया जाएगा।

[अनुवाद]

यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो न केवल बीमार व्यक्ति अपितु उनके रिश्तेदार स्वयं अथवा कूरियर के माध्यम से राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को ऐसा अनुरोध कर सकते हैं अथवा पत्र भी भेज सकते हैं और राज्य अथवा केन्द्र सरकार को वीजा अवधि बढ़ाने का अधिकार है। अतः यह विधेयक धारा 14 से संबंधित है। हम इस विधायन द्वारा धारा 14 को सुदृढ़ करना चाहते हैं।

जैसा कि मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि अभियुक्तों को दंड देने हेतु उपबंधों की कमी होने के कारण वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत ही संवेदशील मामला है और हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपराधी है, जो हमारे वीजा नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करता है, उसे दण्डित किया जाना चाहिए और उसे बचने के लिए न्यायालय में जाने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हम इसी वजह से न्यायालय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हमने जेल की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया है ताकि सत्र न्यायालय में उनका विचारण किया जा सके और आसानी से उन्हें जमानत न मिल सके। न्यायालयों को नोटिस देना होगा और राज्य सरकार को जमानत का विरोध करने का अवसर मिलेगा। अतः मैं श्री बनातवाला और अन्य सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विधेयक को पारित करने में सरकार का सहयोग करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय : अब इसके लिए समय नहीं है,

प्रश्न यह है

"कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, क्या आप संशोधन पेश करना चाहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं अपने संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6–7,–

(क) भारत के किसी भाग में, उस अवधि, जिसका उसे वीजा जारी किया गया है, से अधिक अवधि होने

पर; **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

(क) ऐसे कारणों को छोड़कर जो उसके नियंत्रण से परे है, भारत के किसी भाग में, उस अवधि, जिसका उसे वीजा जारी किया गया है, से अधिक अवधि होने पर। (1)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित** किया जाए:–

"**स्पष्टीकरण II**- इस धारा के खंड (क) के प्रयोजन के लिए 'भारत के किसी भाग में' पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के अधीन या ऐसी परिस्थितियों में जिनमें मानवीय आधार पर विचार किया जाना अपेक्षित है, भारत में इस प्रकार बना रहता है और जो किसी अन्य आक्षेपणीय आचरण का दोषी नहीं पाया जाता है।" (2)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 29 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित** किया जाए:–

"**स्पष्टीकरण,**- इस धारा 14 क के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए 'किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है या ठहरता है' पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो ऐसी परिस्थितियों में प्रवेश करता है या ठहरता है जिन पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना अपेक्षित है और जो किसी अन्य आक्षेपणीय आचरण का दोषी नहीं पाया जाता है।" (3)

सभापति महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1, 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:–

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"2003" **के स्थान पर**

"2004" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

(श्री हरिन पाठक)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

'चौवनवें' **के स्थान पर**

"पचपनवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

(श्री हरिन पाठक)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण– वापस लिया गया – जारी

सभापति महोदय : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में श्री सुरेश कुरुप द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे

की चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस चर्चा के लिए आबंटित समय समाप्त हो चुका है। क्या सभा की राय है कि इस संकल्प के लिए समय को आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : समय आधा घंटा और बढ़ा दिया गया। श्री सुदर्शन नाच्चीयपन।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यह विषय देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हमारे भारतीय व्यावसायियों द्वारा भूमंडलीकरण को स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही, भारत सरकार की कतिपय सामाजिक जिम्मेवारियां हैं जिन्हें पूरा करना है। उदाहरण के लिए आपूर्ति, मांग और मूल्यों का विनियमन और दलितों तथा ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाना।

पंडित नेहरू के समय में केन्द्र सरकार के पास कई औद्योगिक उद्यम थे। वे सीधे भारत सरकार द्वारा चलाए जाते थे। राज्य सरकारों ने भी उस नीति का आकलन किया था। उस समय, निजी क्षेत्र लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रौद्योगिकी को समृद्ध बनाने की स्थिति में नहीं था। उस समय, भारत सरकार ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निर्माण के लिए विशेषकर उत्पादन और इस्पात तथा खनन उत्पादों के विनियमन और रसायनों के उत्पादन के लिए, अपने संसाधनों का उपयोग किया।

तदुपरांत, सरकार ने उपभोक्ता क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए विश्व में भारी प्रतिस्पर्द्धा है; फिर भी भारत सरकार को उन क्रियाकलापों पर अपना समय और धन निवेश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम उतने विकसित भी नहीं हैं कि अन्य बाजार अर्थव्यवस्था से हम निपट सकें।

यूरोपीय देशों और अमेरिका ने निजीकरण की शुरूआत की थी और अब वे इसका विनियमन करने जा रहे हैं। किन्तु हमनें सार्वजनिक क्षेत्र की शुरूआत की थी और अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का सृजन करने के लिए हम निजी क्षेत्र को अनुमति दे रहे हैं। दरअसल, यह नीति पंडित नेहररू की थी। इसके उपरांत इंदिरा गांधी और यहां तक कि राजीव गांधी के भी समय हमने लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में रहने वाले लोग ही निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में नियोजित रहे हैं। अन्तर केवल इतना है कि इन दोनों कार्य धर्म–संस्कृति अलग–अलग है। अब हम पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और संस्थानों के प्रबंधन की हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां बहुत बड़ी है। यह तकरीबन 22,000 करोड़ तक जा पहुँची है। फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों और अन्य उद्यमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की भरपाई निजी क्षेत्र के किसी अन्य संस्थान द्वारा कतई नहीं की जा सकती है।

निजी क्षेत्र की इकाइयाँ केवल लाभ कमाना चाहती हैं। वे अधिक–से–अधिक लाभ कमाने में निजी क्षेत्र की ही अन्य इकाइयों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनके पास सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं होता है। माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई नियम बनाए हैं कि सामाजिक दायित्व का कुछ अंश दूरसंचार उद्योग को दिया गया है। हालाँकि उन्होंने स्वयं संसद में कहा था कि इन दायित्वों को सरकार द्वारा भी पूरा किया जाएगा। सार्वभौमिक दायित्वों को सरकार ने अब दूरसंचार क्षेत्र पर थोप दिया है। अन्यथा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डब्ल्यू एम एस सुविधा या वे अन्य आधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं जो शहरों में लोगों को उपलब्ध हैं।

निजी क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने और अपना मुनाफा कम करने की कोई उच्चाकांक्षा नहीं है।

इसलिए, सरकारी क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र, एकमात्र भेद प्रबंधन का है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। यदि प्रबंधन उचित होता है, प्रबंधन पेशेवर तरीके से किया जाता है, तो सरकारी क्षेत्र भी सफल हो जायेगा।

महोदय, नवरत्न के सम्बद्ध में इस संसद ने यह घोषणा की थी कि उन्हें राजकोष के लिए अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। लेकिन अब, हम नवरत्न का भी विनिवेश कर रहे हैं। वी.एस.एन. एल. का पहले ही विनिवेश हो चुका है। बी.एस.एन.एल. की भी बात की जा रही है। इसलिए, भारत का सारा धन अब कुछ दलालों, और कुछ ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है जो राष्ट्र के कल्याण के इच्छुक नहीं है।

इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि पेशेवर प्रबंधन की उचित ढ़ग से ध्यान दिया जाना चाहिए। हम भूमंडलीकरण के बाद भी कानून बना रहे हैं। लेकिन हमारे देखनें में यह आता है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरशाही का नियन्त्रण अधिक है। जब भी वे किसी खास चीज का विनियमन अथवा प्रबंधन प्राप्त करना चाहते हैं, सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके सरकारी अधिकारी किसी प्रतिष्ठाम के अध्यक्ष अथवा किसी प्रतिष्ठान के निदेशक बनने का अच्छा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं ताकि पांच से छह साल का जीवन उन्हें ओर मिल सके। लेकिन दूसरी ओर, यदि आप पेशेवर रूप से कुशल लोगों की भर्ती सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष

(श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन)

के रूप में करें तो हम पायेंगे कि लाभ में वृद्धि होगी इसके साथ–साथ, वे कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी करेंगे।

अब हम यह देख रहे हैं कि कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। उन्हे स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लेने के लिए कहा जा रहा है। विभिन्न कारणों से उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में 10,000 रुपये मासिक कमाने वाले लोग अब बेरोजगार हैं। सिर्फ निजीकरण के कारण 140 मिलों में से 120 मिलें बंद कर दी गई हैं और वह भी इस आधार पर कि वे ढंग से नहीं चल रही हैं। लेकिन इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। यदि पेशेवर प्रबंधन करते और बाजार के मूड को जानते, तो वे उन्हें चला सकते थे। इसलिए, पेशेवर प्रबंधन करने की आवश्यकता है। हमारे नियंत्रण वाले कई औद्योगिक क्षेत्र अच्छा काम कर रहे हैं। यहां तक कि बी.एस.एन.एल. भी अब सैंकड़ों कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बी.एस.एन. एल. के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे लाभ कमा रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं।

इसलिए, जब बी.एस.एन.एल. जब अस्तित्व में बनी रह सकती है, जब नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन अस्तित्व में बने रह सकती है तो सलेम इस्पात संयंत्र क्यों अस्तित्व में नहीं बने रह सकता, क्यों सलेम मेग्नासाइट निगम अस्तित्व में नहीं रह सकता और क्यों ऊटी में फोटो फिल्म कारपोरेशन अस्तित्वमान नहीं रह सकता है? उन्हें ऋण के भरोसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसका कारण क्या कुप्रबंधन है।

इसलिए, उनकी विफलता का मुख्य कारण कुप्रबंधन है। केवल कुप्रबंधन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह सरकारी क्षेत्र है या गैर सरकारी क्षेत्र। सबसे अधिक फर्क उचित प्रबंधन से पड़ता है। गैर–सरकारी क्षेत्र की अनेक कंपनियाँ दिवालियाँ हो रही है। वे भाग रही हैं।

एक दिन वे सैंकड़ों विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं और तत्पश्चात, एक या दो वर्ष के पश्चात् कमाकर, पैसे को इधर–उधर करके, अपने परिवारों में उसे बाँटकर और अन्य प्रतिष्ठानों में लगाकर इस देश से गायब हो जाती है। शेयर–धारकों के हितों की रक्षा कौन करेगा? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शेयरों में अपना निवेश किया है। अधिकांश लोग मध्यवर्ग के लोग हैं अथवा पेंशन भोगी हैं जिन्होंने ऐसी कंपनियों में अपना धन निवेश किया है। लेकिन अब वे निरीह हैं क्योंकि कंपनियाँ भाग खड़ी हुई हैं। इस संबंध में, मुझे बहुत सी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें यह कहा गया है कि जिन गरीब लोगों ने अपना धन निवेश किया था, उन्हें कोई लाभांश अथवा कोई चीज नहीं मिली क्योंकि एक गैर सरकारी कंपनी ने अपना उद्योग बंद कर दिया था। लेकिन इसके लिए कौन उत्तरदायी है? यह केवल कुप्रबंध है।

इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उचित प्रबंधन करना है। इसे कौन देखेगा? यह कार्य भारतीय लोगों को ही करना होगा। अधिक पेशेवर लोगों को अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यही बात है जिससे फर्क पड़ता है। इसका बहुत कम असर पड़ता है कि वह गैर सरकारी क्षेत्र है अथवा सरकारी क्षेत्र।

इसलिए, मेरा आग्रह यह है कि इस प्रस्ताव को यथावत् स्वीकार कर लिया जाए ताकि कम–से–कम उन कंपनियों को बचाया जा सके जिनका विनिवेश नहीं किया गया है और जो नियमों का पालन कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। जिनके पास पेशेवर क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां हों ताकि वे अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। वे अपनी कार्यनिष्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं और प्रबंध निदेशक, निदेशक स्तर पर आकर लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि भी होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बजट में आबंटन हो। हम नियंत्रण बोर्ड के प्रबंध निदेशक को उत्तरदायित्व और जवाबदेही सौंप सकते हैं ताकि लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

कुछ वाद–विवादों में मैंने यह सुझाव भी दिया था कि केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को इन सभी बातों के साथ आगे आना चाहिए। उन्हें कमाना चाहिए और उन्हें अपने कार्यकलाप स्वयं संभालने चाहिए। उन्हें धन के लिए औरों के समक्ष हाथ नहीं फैलाने चाहिए। उन्हें भारत सरकार से धन की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने दिमाग से काम लेते हुए अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। किन्तु यह राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए और राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह से नहीं लूटा जाना चाहिए। भावी पीढ़ियों के हित में इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है लेकिन सरकारी क्षेत्र सदा–सदा के लिए बना रहेगा और वह भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करता रहेगा।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, श्री सुरेश कुरुप के प्रस्ताव पर हमने बहुत जानकारी प्रदान करने वाली चर्चा की है। मुझे दुःख है कि जब यह मामला उभरा था उस विगत अवसर पर में उपस्थित नहीं था क्योंकि मुझे किसी शिखर सम्मेलन के लिए जेनेवा जाने के लिए नियुक्त किया गया था।

मैंने बहुत सावधानी से रिकॉर्ड की जांच की है और चर्चा बहुत व्यापक रही है और इन दो बैठकों में इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने वाले सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं। एक बात, जैसा कि श्री सुदर्शन नाच्चीयपन कह रहे थे, सामान्य नीति से संबंधित है। जो बातें कही गयीं हैं वे सामान्य है जैसे –

पारदर्शिता, परिणामों की पारदर्शिता, क्या पहले से निजीकरण की जा चुकी कंपनियों से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, इत्यादि। तीसरी बात श्रमिकों के हितों को लेकर कही गयी। वी.आर.एस. और रोजगार के अवसर समाप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही गयीं, क्या इनका मूल्यांकन उचित था, इत्यादि।

तत्पश्चात्, विशेष उद्यमों के बारे में, केरल का लगभग प्रत्येक सदस्य इन विषयों पर बहुत चिंतित था। केरल के विशेष उद्यम है – कोचीन शिपयार्ड, फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रेवन्कौर, और हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड। इनका उल्लेख प्रस्ताव के पाठ में किया गया था और प्रो. प्रेमाजम और अन्य सदस्यों द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक वाद–विवाद के दौरान पुनः इनका उल्लेख किया गया है।

वस्तुतः उन्होंने न केवल अच्छे तर्क दिये हैं अपितु उन्होंने यह भी कहा है कि केरल के लोग इन उद्यमों से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। यह कहा गया है कि उदाहरण के लिए इक्को एफ.ए.सी.टी. को अपने अधिकार में लेने के लिए उत्सुक हैं और एक दावा यह किया गया कि केरल सरकार को सूचित नहीं किया गया था और कोचीन शिपयार्ड जैसे मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। समय की कमी के कारण मैं जल्दी–जल्दी इन बातों पर बोलूंगा। मैं अभी–अभी कही गई महत्वपूर्ण बातों सहित तीन या चार सामान्य बातों का भी उल्लेख करूंगा जो पंडित जी के समय से शुरू होकर तीन उद्यमों के उन विशेष मामलों से संबंधित होंगी जिसका पूरी चर्चा में उल्लेख किया गया है। इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य उत्पादक सामर्थ्य का खुलासा करना है जो इन इकाइयों में स्वाभाविक रूप से थी जिसकी पंडितजी ने 'आधुनिक भारत के मंदिर' के रूप में कल्पना की थी।

सरकार के मंत्रियों सहित सभा के प्रत्येक सदस्य की मुख्य चिंता कर्मचारियों का हित है। वास्तव में यही हो रहा है। मैं आपको केवल एक आंकड़ा बताता हूं। गत पांच वर्षों में 34 कंपनियों से विनिवेश के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये जुटाए गए। यदि आप इस 14,000 करोड़ रुपये की राशि को 10 प्रतिशत ब्याज पर देते हैं तो हमें प्रत्येक वर्ष स्थायी रूप से 1400 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब यदि हम इन 34 उपक्रमों से प्राप्त किया जा रहे औसत लाभांश को देखें तो यह 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। अतः उन सभी सामाजिक दायित्वों, जिन्हें आपको पूरा करना है। आज आपको प्रतिवर्ष 1350 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसका प्रयोग उन सभी सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा जिनके बारे में हम सभी चिंतित हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्यमों का उत्पादन और बिक्री प्रति उद्यम 20 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक बढ़ गई है। यह बढ़ा हुआ उत्पादन और बिक्री देश की सहायता करेगा।

इसी प्रकार, आप काफी चिंतित थे और अन्य सदस्यों ने भी श्रम हितों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी उद्यमों में मजदूरी और भत्ते 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इन उद्यमों में से कई उद्यमों में सरकार के कानूनों के कारण 1997 से मजदूरी में कोई संशोधन नहीं हुआ था जैसा कि आप जानते हैं कि यदि एक उद्यम में घाटा हो रहा है तो उसकी मजदूरी में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब इन कंपनियों के निजीकरण के 30 दिनों के भीतर भूतलक्षी प्रभाव से मजदूरी में संशोधन किया गया है। हमने यह बात सुनिश्चित की है। जहां तक भत्तों का संबंध है, मैं भत्तों के बारे में खुलासा करना चाहता हूं। हरेक उद्यम में सात से आठ भत्तों, जिन्हें समाप्त कर दिया गया था, को अब बहाल कर दिया गया ह।

माननीय सदस्य ने अभी–अभी राष्ट्रीय वस्त्र निगम का उल्लेख किया है। आपका यह कहना सही है कि इन्हें एक तरीके से परिकल्पित किया गया है किंतु संभवतया मुझे विश्वास है कि आप यह जानते हैं कि 129 मिलों में से केवल 25 मिलों में क्षमता के अनुरूप काम हो रहा है। यदि उन्हें और उत्पादक बना दिया जाता है तो इससे राष्ट्र को क्या नुकसान है। जब मैं योजना मंत्रालय का प्रभारी था और तो मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हुआ जब मुझे यह पता लगा कि सरकार उन कामगारों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपये खर्च कर रही है जिनके कारखाने बंद हो गए हैं। यह रोजगार को बरकरार रखने का कोई रास्ता नहीं है। आपने सेलम इस्पात संयंत्र और हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का उल्लेख किया है। इन उद्यमों का 20–30 वर्षों को इतिहास है कि सरकारों के बदलने के बावजूद – राजीव गांधी की सरकार थी और नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉ. जगमोहन सिंह जैसे बहुत अच्छे वित्त मंत्री थे – परन्तु उद्यमों की हालत में गिरावट जारी रही। आपने यह कहा है कि प्रबंधन संस्कृति में अंतर होना ही मायने रखता है। यही मुख्य बात है। एक बड़े औद्योगिक घराने के बारे में बोलते हुए एक बड़े उद्यम ने यह कहा कि उनका 40 प्रतिशत वरिष्ठ प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र से आया है। किंतु सरकारी उद्यमों में काम करते हुए वही व्यक्ति पूर्णतया गैर–जिम्मेदार थे। किंतु जब वे कहीं और जाते हैं तो उन्हें कार्य करना पड़ता है। यह एक बड़ा अंतर है और यह किसी सरकार की स्वतंत्रता का कारण है। कोई भी सरकार इस प्रकार की जवाबदेही लागू नहीं कर सकती। मैं आपको केवल हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का उदाहरण दूंगा क्योंकि तमिलनाडु के संसद सदस्य सदैव ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के बारे में चिंतित रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे विद्वान सदस्य यह जानते हैं कि 1992 में–मैं याद करके बोल रहा हूं इसलिए यदि मैं गलत होऊं तो उसे ठीक कर दिया जायेगा – व्यय योजना पर लगभग 130 करोड़ रूपये खर्च होने थे किंतु संभवतया उस पर 800 से 900 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1992 में सी बी आई में मामले दर्ज किए गए किंतु आज तक कोई अभियोग नहीं लगाया गया और ना ही कोई दोष सिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति है।

(श्री अरूण शौरी)

जहां तक बाल्को का संबंध है, इस सभा में इस पर एक गरमागरम बहस हुई थी। आप भली–भांति जानते हैं कि एल्यूमिनियम उत्पादन के मूल तत्व बाक्साइट और विद्युत हैं। बाल्को में एक रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना का निर्गम करने में सात वर्ष का समय लगा। उस समय यह सरकार सत्ता में नहीं थी। अन्य दो सरकारों का शासन था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे कौन–कौन सी सरकारें थीं। श्री जोगी जी ने बाल्को के निजीकरण का विरोध किया था उन्होंने कहा था कि इसका मूल्य 5000 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने बाद में कहा कि बाल्को का निजीकरण छत्तीसगढ़ की सफलता स्वं रहा है। आपके लिए यह याद रखना अच्छी बात है कि जब लोग तथ्यों को गलत प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा ही होता है। उत्पादन में एक लाख टन से बढ़कर चार लाख टन की वृद्धि की जा रही है। इसमें चार गुना वृद्धि हुई है।

रोजगार के संबंध में भी यही बात है। अपने ठीक बात कही जो मामले का सार है कि फर्मों को दक्ष होना पड़ेगा। अब आप सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1991–1992 से 1999 के बीच की अवधि देखें। इस प्रकार के निजीकरण के आरंभ होने से पहले, सरकारी क्षेत्र में रोजगार 2.18 मिलियन से घटकर 1.80 मिलियन रह गया था। कोई निजीकरण अथवा विनिवेश नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि फर्में लगातार कम प्रतिस्पर्धा बनती जा रही थी। इसलिए, रोजगार के अवसरों की सुरक्षा का उपाय उद्यमों में उस तरह का निवेश है जो अब किया जा रहा है, बाल्को में प्रौद्योगिकी और उत्पादों का उन्नयन इस समय किया जा रहा है। आई.टी.आई. के मामलें में, इस सभा के कई सदस्य मुझसे मिले थे जिनमें केरल के सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे किसी तरह से बचाइये।

रायबरेली संयंत्र की स्थिति यह है कि वह वर्ष 1960 से 1970 के दशक में विन्टेज गुणवत्ता वाले स्विचों का उत्पाद करता रहा है। गत वर्ष यह एक रूग्ण उद्यम बन जाता लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हमने बी.एस.एन.एल. से 20 करोड़ रुपये लिए और वी.एस.एन.एल. को उसमें लगाने के लिए हमने बाध्य किया। उन्होंने यह कहकर विरोध किया कि उनके संयंत्र को बर्बाद किया जा रहा है लेकिन हमने उनसे इस संयंत्र को बचाने के लिए कहा। एम.टी.एन.एल., जो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन हमने उनसे 100 करोड़ रुपये लगाने के लिए कहा। हमने क्रयादेशों के लिए अग्रिम धन राशि प्रदान की। लेकिन प्रौद्योगिकी का उन्नयन नहीं हुआ है, विनिवेश नहीं हुआ है जिसका कारण, जैसा कि आपने भी कहा था, प्रबंधन संस्कृति है। अब आप इसका वास्तविक प्रमाण आने वाले उन सभी उद्योगों में देखेंगे जिनका निजीकरण हो रहा है, विनिवेश हो रहा है। इन होटलों में व्यक्ति को जाने में सिर्फ पांच मिनट का समय लगता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कनिष्क होटल और अशोक यात्री निवास होटल के कमरों की आधी संख्या ऐसी हो गयी है जिनमें कोई व्यक्ति ठहरना ही नहीं चाहेगा। कुछ भी नहीं किया जा रहा था। अब आप यह देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु का पुनरूद्धार किया जा रहा है। यदि आप में से कोई मुंबई के सैन्टूर होटल के नजदीक से गुजरे तो आप पायेंगे कि इसका भी पुनरूद्धार किया जा रहा है। दिल्ली के सैन्टूर होटल में, निवास प्रतिशत केवल तीन प्रतिशत है। इसका कारण यही है कि वहाँ निजीकरण नहीं हुआ। दूसरा ठीक–ठीक कारण वहाँ की प्रबंधन संस्कृति है। माननीय सदस्यों ने बी.एस.एन.एल. का जिक्र किया था।

महोदय, सदस्यों ने एक के बाद एक कॉपर केबल के अभाव की शिकायत की और मुझसे कॉपर केबल उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कॉपर केबल के अभाव का एक कारण यह था कि हिन्दुस्तान केबल को, जो सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, गत वर्ष क्रय वरीयता प्रदान की गयी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक वर्ष देर से इस क्रयादेश को पूरा किया। इसका क्या परिणाम निकला? आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते थे। आप किसी को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते थे। श्री बसुदेव आचार्य मेरे पास आए और कई अन्य विद्वान सदस्य भी मेरे पास आए। हिन्दुस्तान केबल की प्रबंधन संस्कृति के कारण बी.एस.एन.एल. उस दायित्व को पूरा नहीं कर सका जिसे सदस्य पूरा कराना चाहते थे।

यह संस्कृति सभी सरकारों के समय व्याप्त रही है। इसका कारण यह है कि एक के बाद एक जो सरकार आयी; राज्य सरकारें कई उद्यमों को चला रही हैं, लेकिन परिणाम यथावत् रहा है।

महोदय, मैं वी.आर.एस. के आँकड़े और इसी तरह रोजगार संबंधी आँकड़े दे सकता हूं। लेकिन संक्षिप्त बात यह है कि इन उद्यमों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर, उनमें अधिक निवेश आमंत्रित करके और प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाकर ही इनमें रोजगार के अवसरों की सुरक्षा की जा सकती है और इन्हें अस्तित्व को बचा कर रखा जा सकता है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं माननीय मंत्री को मैसर्स स्पंज एंड आयरन इंडिया नामक कंपनी का स्मरण करना चाहती हूं जो कि उस जिले में स्थित है जिसका मैं संसद में प्रतिनिधित्व करती हूं। यह एक अग्रणी उद्योग था जिसे स्वर्गीय बीजू पटनायक द्वारा स्थापित किया गया था और इसका विनिवेश किया जाने वाला था, मैं श्रमिकों के साथ गयी थी और उस समय माननीय मंत्री जी ने सुनिश्चित किया था कि इस उद्योग का विनिवेश न हो और सच तो यह है कि उस समय इसको लेने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार से यह उद्योग बच गया। मुझे कहना चाहिए कि यह विनिवेश से बच गया। जब निजीकरण के संबंध में सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा था और हम इस प्रकार की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि भविष्य में लम्बी छलांग लगाने की धारण जिसे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि भारत को प्रतिस्पर्धी होना ही होगा से भारत की मानसिकता में सम्पूर्ण तथा भारी परिवर्तन आ गया।

इसलिए, यह एक ऐसा अभिन्न परिवर्तन था जिसने इस प्रकार की चीजों के लिए वातावरण निर्मित किया। मुझे आज सभा में माननीय सदस्यों को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मंत्री जी से मिलने और प्रबंधन के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात मैसर्स स्पंज एंड आयरन इंडिया आर्थिक दिवालिएपन से बच गई। अब यह ठीक–ठाक चल रही है और मेरे श्रमिक भी वहीं नियोजित हैं। आज विश्व में स्पंज बाजार बढ़ गया है और यह एक सुखद सफल कहानी है।

श्री अरूण शौरी : यह बहुत ही अच्छा मुद्दा है। जब हम सब साथ मिलकर काम करें तो इन चीजों में सुधार हो सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इस्पात उद्योग के बारे में बहुत कम जानता हूं। इस्पात उद्योग एक चक्रीय उद्योग है। गत डेढ़ वर्षों के दौरान से लौह और इस्पात की चीजों में इज़ाफा हो रहा है।

मैं आशा करता हूं कि ऐसे अच्छे प्रयासों जिन्हें आपने और श्रमिकों ने विनिवेश के भय से किया है, से वैसे ही अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे जैसे कि आपने पहले प्राप्त किए हैं। लेकिन क्या उस संबंध में, मैं एक बात का उल्लेख कर सकता हूं। जब कभी एक उद्योग बदहाली से उभरता है तो वास्तव में हमें अपने आप को सचेत कर लेना चाहिए कि विगत में क्या हुआ। दूसरा यह कि यदि हम इसे उसी क्षण नहीं पकड़ते तो हम उसे गवां बैठेंगे। इस वाद–विवाद में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि लाभार्जक कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है। इस मामले की सच्चाई यह है। आप अब वी.एस.एन.एल. का उदाहरण दिया था मैं पुनः अपनी स्मृति से बोल रहा हूं मेरी याददाश्त कहती है कि तीन साल पहले वी.एस.एन.एल. 1500 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष लाभार्जन कर रही थी, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एकाधिकार था। जब एकाधिकार खत्म कर दिया गया और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए द्वार खोले जाने से, इस वर्ष निवेश और टाटा और अन्य की नई प्रबंधन संस्कृति के पश्चात् इसका लाभ 55 करोड़ रुपये भी नहीं होगा और सरकार की अभी भी इसमें 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकाधिकार खत्म हो गया है। अब हमने देखा और मैं जानता हूं कि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एल.एन. जैसे कई उद्यमों पर दबाव है। हमने देखा है कि हम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब महा प्रतिस्पर्द्धा है। इस सभा में सदस्य कहते रहे हैं कि फिक्सड माइन्स में बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं में कमी आ रही है, ऐसा इसलिए है कि अब वहां प्रतिस्पर्द्धा है। इसलिए, यदि हम इसमें विलम्ब करते हैं और इस बात की प्रतीक्षा करें कि उद्यम कठिनाई में आएं तो निश्चित रूप से हम उनको बंद किए जाने को ही सुनिश्चित कर रहे हैं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : डब्ल्यू.एल.एल. उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जब माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था तो उन्होंने कहा था कि निविदाएं खोली नहीं जा सकी हैं। यह कुप्रबंधन है। चूंकि केबल्स उपलब्ध नहीं थी इसलिए अव्यवस्था उत्पन्न हुई। अन्यथा बी.एस.एन.एल. एक लाभार्जक कंपनी होगी।

श्री अरूण शौरी : मैं दूरसंचार पर वाद–विवाद करना पसंद करता हूं। लेकिन यह वाद–विवाद विनिवेश पर है। ...*(व्यवधान)* मैं एक उदाहरण देता हूं। एक महत्वपूर्ण बात वर्ष 1991–92 और 1999–2000 के बीच की अवधि की याद करने से संबंधित है। आप कहते रहे हैं कि हम लाभार्जन करने वाली कंपनियों को बेचते रहे हैं। इस दौरान उन कंपनियों का विनिवेश किया गया। इसमें से केवल दो घाटे में चल रही कंपनियां थी और 35 लाभार्जन करने वाली कंपनियां थी। वर्ष 2000 में आप उस समय सत्ता में थे। इसलिए, कृपया उन 37 कंपनियों को याद कीजिए जिनमें से केवल दो ही घाटे में चल रही थी, अब 34 कंपनियों का विनिवेश किया गया है उनमें से 26 घाटे में और 8 लाभ में चल रही थी। इसलिए, आपके आरोप किसी और के लिए सही ठहरते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विषय पर आधे घंटे का समय बढ़ाया गया था। अभी माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर पूरा कर रहे हैं। मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि जब तक उत्तर पूरा हो, इस संकल्प पर चर्चा का समय, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अरूण शौरी : धन्यवाद सर। मैं एक पाइंट इसमें और अर्ज कर दूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी आज वहीं कर रही हैं। आज आप अपोज कर रहे हो जो आपने अपने खुद के समय में किया। मैं आपको आज की बात भी बतला दूं। पंजाब में आपकी सरकार है। पंजाब ट्रैक्टर इंडिया दूसरी बड़ी ट्रैक्टर उत्पादक कंपनी थी, प्रौफिट मेकिंग कंपनी थी जो डिस–इंवैस्ट की गयी। किसको की गयी? पूरी तरह से विदेशी कंपनी कॉमनवैल्थ डैवलेपमेंट कोरपोरेशन को दे दी गयी। इस बात को चार–पांच महीने ही हुए हैं। आप वहां करें तो सब ठीक, हम यहां करें तो ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या हम तब तक इंतजार करें जब कोई लेने वाला न हो। सेलम स्टील प्लांट की या हिंदुस्तान फोटो फिल्म की हालत क्या हो गयी। सरकार की कोशिश के बाद भी सेलम का आज कोई खरीददार नहीं है। मैं उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में हूं जिसमें कहा जाता है कि इसके बारे में कुछ करो।

[अनुवाद]

लगभग 12 मामलों में भी वही चीज है, हमें इसे भारी उद्योग मंत्रालय को यह कहकर वापस करना पड़ा कि डेढ़ से दो वर्षों के प्रयास के पश्चात् हम एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं ढूंढ सके जो इन्हें अधिग्रहित कर सकें। मध्य प्रदेश में है, लखनऊ में है। हिंदुस्तान स्कूटर वगैरह, उन्हें भी कोई नहीं चाहता है, इसलिए कृपया, उद्यम के ऐसी अवस्था में आने तक प्रतीक्षा न करें।

मैं तीन उन उद्यमों के बारे में कुछ नए तथ्यों का उल्लेख करूंगा जो कि केरल के हमारे माननीय सदस्यों की चिंता का विषय रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके पश्चात्, मैं सभा के लिए एक छोटा और सम्माननीय

(श्री अरूण शौरी)

सुझाव के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। लगभग प्रत्येक सदस्य ने इन तीन उद्यमों का उल्लेख किया है, वे हैं – फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स् ट्रावणकोर, कोचीन शिपयार्ड और हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट, संक्षेप में जैसा कि प्रोफेसर ने कहा है कि क्योंकि सदस्य इन उद्यमों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस विशेष तथ्य का स्मरण करें। 'फैक्ट' के मामले में, यह वास्तव में एक ऐसी कंपनी है जो कई वर्षों से संकट में है। वर्ष 1997–98 में इसने 54 करोड़ रुपये का लाभार्जन किया अगले वर्ष इसको 48 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, अगले वर्ष इसे 40 करोड़ का घाटा हुआ। तत्पश्चात् 2001–2002 में इसको बी.आई.एफ.आर. के हाथों एक रूग्ण कंपनी के रूप में सौंपा जा रहा था। इसलिए, सरकार ने इस कंपनी के 167 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ कर दिया है क्योंकि कंपनी इसका भुगतान नहीं कर पाई। इसलिए, 60 लाख का लाभ दिखाया गया और इसकी शुद्ध संपत्ति मूल्य को ऋणात्मक होने से बचाया जा सका। तत्पश्चात वर्ष 2002–2003 में इसके बावजूद दोबारा 199 करोड़ रुपये के लगभग घाटा होने की सूचना है। अब, इस विशेष कारण से सरकार द्वारा ब्याज को माफ करने का प्रयास किया गया है। मार्च 2002 में हमने 227 करोड़ रुपये के बक़ाया ब्याज को माफ करने और 378 करोड़ रुपये के मूलधन और दण्डात्मक ब्याज के पुनर्भुगतान को ऋण स्थगन में रखने का सुझाव दिया था। इस प्रकार से हम इसे बी.आई.एफ.आर. के हाथों से बाहर रखने में सफल रहे और यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि इसका शुद्ध सम्पत्ति मूल्य ऋणात्मक न हो।

इसे विनिवेश आयोग को भेजा गया लेकिन सरकार ने नहीं भेजा। वर्ष 1996 में ऐसा किया गया था। कृपया, आप बताएं कि उस समय कौन सी सरकार थी। तत्पश्चात् सदस्यों ने, मैं समझता हूं, कि गलतफहमी में कहा और मुझे भी एक पत्र केरल के उच्च प्राधिकारियों से मिला जिसमें लिखा था कि बहुराष्ट्रीय सहकारी कंपनियां, इफको और कृभको इस कंपती को लेना चाहती हैं; इसलिए कृपया इसकी अनुमति दें कृपया ऐसा होने दें। सदस्यों ने ऐसा उल्लेख किया है। मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा था, सहकारिता और पत्तन मंत्री श्री एम.वी. राघवन ने मुझे लिखा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच यह है कि इन अभ्यावेदनों के कारण 23.12.2002 को सारी प्रक्रिया जों कि पूरी की जा रही थी को फिर से शुरू किया गया। कैबिनेट ने अपने निर्णय में यह कहकर संशोधन किया कि उर्वरक विभाग के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय सहकारी कंपनियों को इस विनिवेश में हिस्सेदारी की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे उन्होंने इच्छा अभिव्यक्ति नहीं भेजी हो। हमने सामान्य प्रक्रिया और न्यायालयों के विनिर्णयों के विपरीत, सुचारू रूप से चल रही प्रक्रिया को भी स्थगित किया जिससे कि कृभको और इफ्को इसमें भाग लग सकें। इसका क्या परिणाम निकला? सारे विज्ञापन दोबारा दिए गए, सारी प्रक्रिया को पुनः आरम्भ किया गया था। न तो इफ्को और ना ही कृभको ने प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस संमंत के बारे में अपनी जरा सी भी इच्छा व्यक्त की हो, इस्लिए, ऐसी स्थिति है।

माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया था कि केरल सरकार इस पर विचार करना चाहती है। मैंने पत्र के बाद पत्रों को देखा है। केरल सरकार से ऐसा कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है कि वे इस पर विचार करेंगे।

कोचीन शिपयार्ड के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय सदस्यों की रूचि के लिए केवल बुनियादी तथ्यों का उल्लेख करूंगा। इस शिपयार्ड में केवल 37 से 40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। भारतीय पोत कंपनियां अपने पोतों को मरम्मत हेतु कोचीन शिपयार्ड की बजाय कोलम्बो तक दुबई ले जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मुझे बताया गया है कि कोलम्बो पत्तन के मरम्मत कारोबार का लगभग पचास प्रतिशत भारतीय कंपनियों से है। वे अपने पोतों को कोलम्बो ले जा रहे हैं। उसका कारण है यहां कम उत्पादकता। यदि आप प्रति डेड वेट टनेज श्रम घंटों को लें तो यह कोरिया में 4.3 है।

जापान में यह 6.2 है। कोचीन शिपयार्ड में यह 20 से 25 है। कोचीन में श्रम लागत परिचालन औसत की 21 प्रतिशत है, कोरिया में यह 11 से 13 प्रतिशत है। आज भी आर्डर बुक बहुत खराब है। 1993–94 तक इसका कुल घाटा 191 करोड़ रुपये हो गया था और इसलिए इसे बचाने के लिए सरकार ने 137 करोड़ रुपये तक का ब्याज माफ कर दिया। 120 करोड़ रुपये का बकाया ऋण असंचयी अधिमानी अंश में परिवर्तित कर दिया गया था और इसी तरह शुद्ध मालिमत धनात्मक रही।

अब यह कहा गया है कि यह सुरक्षा का मामला है क्योंकि रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित है। मैं पूर्ण जिम्मेदारी से सभा को भरोसा दिला सकता हूं कि सारी चीज रक्षा मंत्रालय से परामर्श करके की गई है। उन्होंने हमें लिखा और हमने केबिनेट को बताया था कि वे सिद्धांत रूप से उस विनिवेश से सहमत हैं। दूसरे उन्हें इस समय कोचीन शिपयार्ड द्वारा किए जा रहे कार्य को निजी कंपनियों द्वारा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे, न तो रक्षा मंत्रालय और न ही भारतीय नौसेना शिपयार्ड पर कोई सुविधा रखना चाहती है। चौथे, उन्होंने कहा कि यदि विदेशी भागीदारी होती है तो यह 26 प्रतिशत तक सीमित या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने बंद न किए जाने और बंद किए जाने जैसे 22 सुरक्षा खंडों की सूची दी है जो प्रत्येक निजी कम्पनी यहां तक कि 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व वाली कंपनी, जो रक्षा कार्य, कर रही है पर भी लागू है। यह सब चीजें शेयर धारकों के समझौते में की गई हैं और सरकार ने रक्षा मंत्राय की इच्छानुसार निर्णय लिया था कि यदि विदेशी भागीदारी होगी तो यह 25 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

महोदय, अंत में मैं हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यह हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है और वे उसकी देखभाल करते हैं। इसका लाभ ऊपर नीचे जाता रहता है। पिछले वर्ष जब से न्यूजप्रिंट पर आयात शुल्क में कमी की गई थी इस कंपनी को 4.89 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और यह प्रक्रिया चार वर्ष से चल रही है। सदस्यों द्वारा एक गम्भीर मुद्दा उठाया गया था कि यह प्रक्रिया केरल सरकार की जानकारी के बिना की गई थी। यह हमारी ओर से गम्भीर लापरवाही होगी।

मामले की सच्चाई यह है कि केरल सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी इस कंपनी के बोर्ड में हैं। इसलिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे नहीं जानते थे। वे दोनों अधिकारी उद्योग के प्रधान सचिव तथा वन के प्रधान सचिव हैं। वे दोनों अधिकारी वहां हैं और वे प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं। इसके अलावा ऐसा है कि, यह ऐसी कंपनी है जो दूसरी हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन नामक दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के पूर्ण स्वामित्व में है। इसलिए, पट्टा हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के नाम पर था। हमें इसका हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के नाम पर अंतरण कराना पड़ा। यह केरल सरकार द्वारा भी किया गया।

सबसे बढ़कर, भारी उद्योग मंत्रालय के श्री सुबोध मोहिते ने 21 जनवरी, 2002, 15 मई 2003 तथा 16 जनवरी, 2004 को केरल सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग को विशेष रूप से पत्र लिखे। इसलिए, हरेक को इसकी जानकारी दी गई और हमें इस उद्यम के रूग्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : माननीय सभापति महोदय, यदि मंत्री एक मिनट के लिए मानें तो मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। 35,000 एकड़ से अधिक वन भूमि इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई थी। यदि इस कंपनी का निजीकरण होता है तो शायद केरल सरकार एक निजी उद्यम को यह लाभ देने की इच्छुक न हो। इसलिए, इस पर सरकार की क्या स्थिति है?

श्री अरूण शौरी : वास्तव में इस संबंध में श्री सुबोध मोहिते ने श्री मुरलीधरन, संसद सदस्य को और संभवतः केरल के मुख्यमंत्री को लिखा है जिसमें उन्होंने निम्नवत बताया है:

"मुझे सूचित किया गया है कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 का समझौता केरल सरकार तथा हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के बीच हुआ था जो 30 वर्षों के लिए केरल न्यूजप्रिंट परियोजना को कच्चे माल की आपूर्ति से संबंधित था।"

ऐसा यदि होता है कि सरकार समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करना चाहती है तो सरकार का यह कार्य न्यूजप्रिंट उत्पादन और इस इकाई में कार्य करने वाले कामगारों दोनों के हितों के विरूद्ध होगा क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि सभी समझौते विधितः उत्तरवर्ती सरकार पर बाध्यकारी हैं ओर इसका केरल सरकार और अन्य को निर्णय लेना है। मैं इसके मामले की वकालत नहीं करना चाहता। परन्तु यदि ऐसा कदम उठाया गया तो यह निश्चय ही इकाई का बंद होना सुनिश्चित करेगा।

अतः मेरे पास अंत में केवल एक ही दलील है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह स्प्रिंगबोर्ड बन गया है जिसके आधार पर भारत खड़ा हुआ है। पचास के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में यह पंडितजी, प्रो. महालानोविस और अन्य की एक दूरदृष्टि थी कि जब हमारा निजी उद्यम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था तो उन्होंने कहा था : "हम इस उत्पादन को ग्रहण करेंगे।" उसने हमें खड़ा होने के लिए ताकत दी है। परन्तु समय बदल गया और समाज के अन्य भागों को सृजनात्मक होना होगा। सरकार की अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। इसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं चलनी चाहिएं जैसे – सड़कें, पत्तन, प्रधान मंत्री के राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, नदियों को आपस में जोड़ना। ये सब चीजें हैं जहां सरकार की संगठनात्मक योग्यताओं और वित्तीय संसाधनों को लगाया जाना चाहिए। इसलिए, सरकार और सार्वजनिक उद्यम जो कर रहे हैं, मैं उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंक रहा हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : हमारे यहां इतनी अधिक बेरोजगारी है।

श्री अरूण शौरी : इन कंपनियों के उत्पादक और प्रतिस्पर्द्धी होने से ही रोजगार आएगा। सम्पूर्ण देश में इस संबंध में व्यवहार रूप में आम सहमति है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पंजाब में सरकार इस नीति पर कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल में यह इसे आगे बढ़ा रही है। उनके मंत्रिमंडल ने 14 इकाईयों को बंद करने तथा उनका निजीकरण करने का निर्णय लिया है। वे इसे 'संयुक्त उद्यमों का निर्णय' कहते हैं। 'विनिवेश' नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है। कर्नाटक सरकार ऐसा कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु उस समय एशियाई विकास बैंक से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया था क्योंकि उनके पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धन नहीं था। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार डा. रमण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बल्कि पूर्व सरकार 35 कंपनियों में ऐसा कर रही है। ऐसा किया जा चुका है। जहां तक मुझे ध्यान है तो केरल सरकार ने सम्पूर्ण प्रक्रिया शुरू करने हेतु संसाधन जुटाने के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मिशन एशियाई विकास बैंक के पास भेजा था। इसलिए, व्यवहार में आम सहमति है। मेरा मानना है कि हमें इन चीजों में क्षमता के विस्तार हेतु अधिकतम उत्पादन करने हेतु सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। इन उद्यमों में इस तरह ही रोजगार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए, देश प्रतिस्पर्द्धी बन जाएगा।

मैं श्री कुरुप और अन्य सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि श्रमिकों के संबंध में उनकी चिंतायें, सरकार की चिंतायें हैं। अतः मैं

(श्री अरूण शौरी)

उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारी बात का विश्वास करें कि हम उनके संकल्प को ध्यान में रखेंगे। परन्तु मतदान के लिए दबाव डालना आवश्यक नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : अब देश में चुनाव हो रहे हैं। क्या आप चुनाव समाप्त होने तक निजीकरण की प्रक्रिया को रोकेंगे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, प्राइवेटाइज़ेशन का जो मुद्दा है, उसका अधिकांश सदस्य, इस पक्ष और उस पक्ष के, विरोध कर रहे हैं। चूंकि सरकार एक यूनिट है, हम लोग सरकार से बार बार इसी प्रश्न को पूछते हैं और कल हमने मुम्बई में बड़ी तादाद में गिरफ्तारी भी दी। प्राइवेट सैक्टर से जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, वह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को हो रहा है और बैकवर्ड क्लासेज़ को हो रहा है चूंकि रिज़र्वेशन उसमें खत्म हो गए हैं। प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की है उस संबंध में सरकार ने कोई मामला आगे बढ़ाने का काम किया है? दूसरी बात यह है कि जो संस्थाएं आप बेच रहे हैं, या जो पैसा जमा हो रहा है, इसमें से आप कुछ राशि जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ या बिलो पावर्टी लाइन किसी भी कास्ट का हो, उनकी ट्रेनिंग के लिए, इंप्लायमेंट जनरेशन के लिए, उसमें रखने जा रहे हैं जिससे वे प्राइवेट सैक्टर में कंपीट कर सकें, क्योंकि प्राइवेट सैक्टर में कंपीटीशन होगा, उसको कंपीट करने के लिए क्या कुछ राशि उनकी ट्रेनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रखने जा रहे हैं? सरकार क्या प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण का प्रावधान करेगी, जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि हम इससे सहमत हैं?

महोदय, जब प्रधान मंत्री जी सहमत हैं, अपोजीशन सहमत है, तो इसके बीच में बाधा कहां है? पार्लियामेंट अभी तीन–चार दिन तक और है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाकर एक बैठक करे और इसी पार्लियामेंट के सत्र में इस बारे में कोई निर्णय ले। क्या सरकार ऐसा करना चाहती है या नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री शिवराज वि. पाटील।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही श्री शिवराज पाटील को बोलने के लिए कहा है। मैं उनके बाद आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, जो सवाल श्री राम विलास पासवान जी ने उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने प्राइवेट उद्योगों में रिजर्वेशन देने की बात कही है। जिन सरकारी उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय सरकार ले रही है, उनमें तो कम से कम रिजर्वेशन करने का निर्णय सरकार को लेना ही चाहिए और यदि सभी प्राइवेट उद्योगों में रिजर्वेशन करने की बात कही गयी है, तो इस पर आपको विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम विलास पासवान ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, तेरहवीं लोक सभा को इस विषय पर चर्चा करने का सम्भवतः यह अन्तिम अवसर है। आरंभ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि हम मंत्री महोदय का सम्मान करते हैं और वह कई बार ऐसी बात कर देते हैं जिससे हमें दुख होता है। लेकिन यह बात व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय के विरूद्ध नहीं है।

हम उन नीतियों जो हमें स्वीकार्य नहीं हैं, पर अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इस संकल्प को ला कर और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर श्री सुरेश कुरुप ने महान सेवा की है। मैं आज माननीय मंत्री को इस वाद–विवाद का उत्तर देते हुए देख रहा था। वह कह रहे थे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया; उन्होंने सक्षमता से कार्यकरण नहीं किया और इसी कारणवश सरकार के लिए उनका निजीकरण करना आवश्यक हो गया। मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किफायत से कार्य नहीं करते या उनके कार्यकरण में दूरदर्शिता नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई है कि वह सरकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और वह दूरदृष्टि और किफायतपूर्ण तरीके से कार्य कर सके और उसके कामकाज के लिए ऐसे निर्देश दे सके कि लोगों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके? यह अंतिम अवसर है और यह अत्याधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं माननीय मंत्री से उत्तर पाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस विषय पर मैंने विस्तार से बोला था और मैं देखना चाह रहा था कि मैंने जो मुद्दे उठाए उनमें से किसी का भी उत्तर मिलेगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही 43 मिनट बोल चुके हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : हाँ, आप पीठासीन थे और आपने मुझे पूरा समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। किंतु मैं एक बात समझने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार द्वारा जनता के लिए शुरू किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सक्षमता से कार्य करें, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो क्या हम सरकार से यह नहीं पूछ सकते कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप उचित निर्देश नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें समय से आधुनिक नहीं बना रहे हैं? अब, यदि आप वर्तमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देश में जिस क्षमता की आवश्यकता है उसे आप बढ़ा नहीं रहे हैं। यदि आपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने पास रखा होता, उन्हें सक्षम बनाया होता और निजी क्षेत्र को अन्य उपक्रम लगाने की अनुमति दी होती तो आपने देश में आवश्यक क्षमता में वृद्धि की होती। आपकी नीति का परिणाम यह है कि क्षमता ज्यों की त्यों रहती है।

क्षमता विस्तार की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सरकारी क्षेत्र में ऐसा क्या है जो पर्याप्त नहीं है और हम कुछ और चाहते हैं? निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से प्रोत्साहन तथा सरकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक सारी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। क्या आपने इस पहलू पर विचार किया है?

मैं माननीय मंत्री को उत्तर देते हुए और कहते हुए देख रहा था कि रक्षा हितों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के साथ भी इस विषय पर संभवतः विस्तार से चर्चा नहीं की है। क्या वह जानते हैं कि कोचीन शिपयार्ड क्या करने जा रहा है? वे रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक प्लेटफार्म बनाने की सोच रहे हैं। वे अन्य कई काम कर रहे हैं। अगर वह इस कोचीन शिपयार्ड को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करते हैं तो उनके लिए ये सब परियोजनाएं कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा। मेरे लिए सदन में इस बात के विस्तार में जाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें समय लग सकता है। अन्यथा, मैं इन बातों पर माननीय मंत्री के साथ चर्चा कर सकता हूं। इस शिपयार्ड के पास देश की रक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं। उन्होंने इस पहलू पर संभवतः विस्तार से विचार नहीं किया है। यदि वह निजी क्षेत्र को इसका स्वामित्व देते हैं और निजी क्षेत्र इस प्रकार निवेश नहीं करती जिस प्रकार उसे करना चाहिए, तो हमारे लिए स्थिति कठिन हो जाएगी ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, इस पर विस्तृत उत्तर की जरूरत होगी। मैंने श्री शिवराज वि. पाटील के भाषण को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है और उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैंने पूरी क्षमता से दिया है। इस विषय पर भी यदि वे उत्तर चाहते हैं तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं किसी एक उत्तर विशेष पर जोर देना नहीं चाहता। मैं कुछ बातें जानता हूं।

श्री अरुण शौरी : मुझे भी कुछ बातें मालूम हैं। मेरे पास केबिनेट का पत्र है। मैं कैबिनेट के नियम को तोड़ूंगा और आपको मैं वह बताऊंगा जो रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया।

श्री शिवराज वि. पाटील : हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपका और कैबिनेट का फैसला है। मैं यह सभा में कह रहा हूं।

श्री अरुण शौरी : मैं आपको बता रहा हूं मैंने रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने रक्षा मंत्रालय में काम किया है और मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री अरुण शौरी : मैंने उनसे परामर्श लिया था।

श्री शिवराज वि. पाटील : रक्षा मंत्रालय ने जो कुछ कहा होगा मैं उसे चुनौती देता हूं।

श्री अरुण शौरी : लेकिन आपने कहा है कि मैंने परामर्श नहीं किया। वही आपकी शिकायत की मुख्य बातें थी।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण शौरी : आपने यही कहा है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा है वह गलत है। यदि एक वायुयान शिपयार्ड द्वारा बनाया जाना हो और यदि आप उस शिपयार्ड को निजी क्षेत्र को दे रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि वह वायुयान उस शिपयार्ड द्वारा बनाया जाएगा? वे लोग वायुयान को बाहर से आयात करेंगे ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय, मैं आपको चुनौती देता हूं और आप मुझे इसकी अनुमति दें। विपक्ष में बैठकर मैं आपके और आपके कैबिनेट और आपकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देता हूं। देश की जनता की ओर से आपके फैसले को और आपकी सरकार की कथनी को मैं स्वीकार नहीं करता।

मैं कहता रहा हूं कि यदि एक वायुयान वाहक की आवश्यकता है, यह किसी शिपयार्ड में बन रहा है और यदि उस शिपयार्ड को निजी क्षेत्र को देने की बात हो रही हो, तो आपको अपने वायुयान विदेशों से आयात करने पड़ेंगे और आने वाले वर्षों में आप उसे बना नहीं पायेंगे। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आप देश की हित की रक्षा कैसे करेंगे। यदि मैं गलत हूं तो आप कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आप गलत हैं। आपकी सरकार गलती पर है और आपके रक्षा मंत्री जो आपसे सहमत है कि इसे आसानी से निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है गलत है। यदि यह होता है तो वायुयान वाहक बनाने की यह

(श्री शिवराज वि. पाटील)

परियोजना छोड़ी जा सकती थी। ये मुद्दे जो चिंता का विषय है और हम इसे जनता के बीच ले जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से सूचना प्राप्त करने का लाभ हम प्राप्त करें ताकि बाहर हम कोई गलती न करें।

अब हम विद्युत उत्पादन की बात करें। आप कह रहे हैं कि विद्युत का उत्पादन नहीं करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। आपने आलोचना की है और आपके द्वारा राज्य सरकारों की आलोचना में हमें कहीं गलती नहीं दिखती क्योंकि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें आप भी जिम्मेदार हैं आपकी पार्टी देश में विद्युत उत्पादन में सहायता नहीं करने के लिए जिम्मेदार है जो विद्युत इस देश के लिए जरूरी है ...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : मैं आपका निर्देश देना चाहता हूं। क्या आप विद्युत उत्पादन सहित आर्थिक नीति पर आम चर्चा चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : यह चर्चा सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित है।

श्री अरूण शौरी : दिल्ली में कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत ही सफलता के साथ विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया जा चुका है।

श्री शिवराज वि. पाटील : इस प्रकार की बहस चल रही है ...*(व्यवधान)* मैं मूल बात की चर्चा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बहस का समय नहीं है। केवल स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यदि मेरा कथन असंगत है तो आप कृपया मुझे रोकें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमती रेणुका चौधरी, कृपया आप व्यवधान न डालें।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यदि मेरा कथन असंगत है तो कृपया मुझे रोकें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका कहना असंगत नहीं है। लेकिन केवल स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस विधेयक के लिए समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया तो कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासासिंह रावत, मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : श्री शिवराज पाटील, आप इस सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन इसी चर्चा में किसी एक सदस्य को दोबारा बोलने की अनुमति नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं नहीं बोल रहा हूं। अपना प्रश्न रख चुका हूं। माननीय मंत्री द्वारा उनका जवाब नहीं दिया गया है। अतः इसलिए मैं इन बिन्दुओं को पुनः दोहराता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शिवराज पाटील जी, आप अपनी बात केवल स्पष्टीकरण के रूप में पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यह केवल स्पष्टीकरण की बात नहीं है। इस प्रकार के मुद्दे पर चर्चा वर्षों चल सकती है। यदि यह असुविधाजनक है और तकनीकी आधार पर यदि आप हमें चुप कराना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है। जैसा कि आपने किया है और जैसा कि इस सभा ने किया है और जैसा माननीय राष्ट्रपति महोदय के सम्बोधन की मांग को अस्वीकार कर जैसाकि हमें सरकार के कार्य निष्पादन पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई तो यह आपका अधिकार है। ऐसा कह कर मैं बैठता हूं। यदि मेरा कहना असंगत है तो कृपया मुझे रोक दीजिए। यदि मेरा कहना असुविधाजनक भी है तो कृपया मुझे रोकें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शिवराज वि. पाटील, आप का कहना असंगत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं कह रहा हूं कि आपने यह फैसला कर लिया है कि विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाए। इसे निजी क्षेत्र को दिया जाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन तथा मदद की जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि निजी क्षेत्र इसकी पूरा होने की अवधि को लेकर यह नहीं करना चाहता हो, यदि इसके लिए बड़ी राशि की आवश्यकता हो और यदि इससे आय के लिए अपेक्षित समय स्वीकार नहीं हो और विद्युत का उत्पादन नहीं हो तब क्या आप इसके लिए उत्तरदायी होगें। आप किस प्रकार की नीति अपना रहे हैं और हम पर डाल रहे हैं न केवल हम पर बल्कि पूरे देश के ऊपर। देश केवल इसलिए संकट का सामना कर रहा है क्योंकि आप केवल समाचार पत्रों में विज्ञापन दे सकते हैं और यह आपके लिए सुखद है और फिर आप कहते हैं कि यह फील गुड फैक्टर (सुखद एहसास) है। यह सही

नहीं है। मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिए। मैं उनका सम्मान करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : यदि एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. का विनिवेश कर दिया गया होता तो यह प्रश्न जायज़ होता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सिंह, मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम हैं और वे उनको उत्तर देंगे। आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : यदि एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. का विनिवेश हो गया हो तो यह प्रश्न ठीक होता ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : सभा के सदस्यों को यही बर्ताव है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. में डिसइन्वेस्टमेंट किया है क्या? वह तो वैलिड हुआ ही नहीं, आपने स्टेट को भी पूरी परमीशन दे रखी है, उसमें प्राब्लम कहाँ है?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्री सिंह, आपको पता नहीं है कि विद्युत का उत्पादन तथा सिंचाई बांधों का निर्णय केन्द्र सरकार की सहायता से किया जाना है। ...*(व्यवधान)* यदि आपको पता नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यदि आपको पता है तो आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय, यदि एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, वह मेरी बात नहीं समझ पाए हैं। वह सोचते हैं कि मेरे वक्तव्य में बाधा डालना उनका कर्त्तव्य है। मैं कह रहा हूं कि यदि विद्युत उत्पादन इस वजह से नहीं हो रहा है कि सरकारी क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र से अपने पांव खींच लिए हैं तो देश में बिजली की कमी के लिए कौन उत्तरदायी है? श्री राम विलास पासवान ने ठीक ही यह प्रश्न पूछा है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : वह सोचते हैं कि उनके सत्ता काल में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा था जबकि हमारे सत्ता काल में नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने सहमति नहीं दी है तथा मैंने अभी इसका उत्तर नहीं दिया है। जब मैं इस मुद्दे पर आऊंगा तो अपना उत्तर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शिवराज पाटील, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सिंह, आपको बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। यह उचित तरीका नहीं है। श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : आप ऐसा करने में समर्थ नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उचित तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : श्री सिंह, आप खड़े क्यों हो रहे हैं। मेरे वक्तव्य में बाधा डालना आपका कर्त्तव्य नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को यह कार्य करने दें। वे ऐसा करने में सक्षम हैं। ..*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आठवले जी, बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले : हम दो महीने के बाद उधर बैठेंगे। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के हमारे सवाल के बारे में कुछ होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सिंह, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उचित तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : श्री शिवराज पाटल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : जब मैं खड़ा हूं तब आप कैसे बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : यदि एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. का विनिवेश किया जा चुका था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सिंह, मंत्री महोदय, उत्तर देने में सक्षम हैं। आप इसे उन पर छोड़ दें। वह उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह उत्तर दें परन्तु वह भी उत्तर दे सकते हैं। वह अपना कार्य बहुत अच्छी तरह करते आ रहे हैं। भयभीत न हों।

महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में एक आधारभूत मुद्दा उठा रहा हूं। मेरा यह कहना नहीं है कि आप निजीकरण न करें बल्कि मेरा कहना है कि निजीकरण समुचित तरीके से करें। औने–पौने दामों पर निजीकरण न करें; उन क्षेत्रों में निजीकरण न करें जिनमें आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन न होगा तथा सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का निजीकरण न करें जिनसे रक्षा मंत्रालय और देश की सुरक्षा के लिए समस्या पैदा होने की संभावना हो।

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब, मंत्री महोदय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, हमारे सवाल का क्या हुआ? प्राइवेटाइज होने के बाद अंडरटेकिंग्ज में रिज़र्वेशन देने के बारे में सरकार का क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामदास जी, आप पहले बोल चुके हैं। अब आप फिर क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : तीन महीने बाद हम वहां बैठेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी तो आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश किया गया। जब इसका विनिवेश किया गया था तब इसके 10 रु. अंकित मूल्य वाले शेयर का बाजार मूल्य 8 रु. था। अब यह बढ़कर 140 रुपये हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की सुविधा मिली है। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मात्र प्रश्न यह है कि आप इसे किस नजरिये से देखते हैं।

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय के उत्तर देने के बीच में आए हैं। वह इस मुद्दे पर उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। इसीलिए, मैं यह कह रहा हूं।

श्री अरूण शौरी : महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं और मैं एक अथवा दो वाक्यों में उनका उत्तर दूंगा।

महोदय, चूंकि एक काफी गम्भीर मामला उठाया गया है, मैं श्री शिवराज पाटील और अन्य सदस्यों को आश्वस्त करने हेतु पूरे उत्तरदायित्व के साथ कुछ तथ्यों को पढूंगा। दो आकलनों के बीच असहमति हो सकती है। यह बिल्कुल अच्छी बात है, परन्तु यदि हम रिकार्ड को पढ़ें तो ...

सभापति महोदय : मैं इस संकल्प पर चर्चा करने हेतु कुछ और समय लेने के लिए सभा की अनुमति चाहूंगा। तत्पश्चात् हम श्रीमती रेणूका चौधरी के संकल्प पर चर्चा करेंगे।

श्री अरूण शौरी : मैं इसे पढूंगा। मैं इस तथ्य का मात्र उल्लेख करूंगा कि रक्षा मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के विनिवेश के सिद्धांत रूप में किए गए अपने समझौते के बारे में बताते हुए यह भी कहा है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वर्त्तमान में किए जा रहे कार्य को किसी निजी पार्टी द्वारा किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना, दोनों ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में विद्यमान कोई भी सुविधा अपने स्वामित्व में नहीं रखना चाहते हैं। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विदेशी मूल के निजी क्षेत्र की भागीदारी 26 प्रतिशत तक सीमित की जानी चाहिए। इनमें से प्रत्येक चीज का अनुपालन किया गया है। उन्होंने रक्षा संबंधी कार्यों के मामले में सुरक्षा संबंधी खंड की व्यवस्था की है जो यहां तक कि शत–प्रतिशत भारतीय स्वामित्ववाली कंपनियों पर भी लागू होगा। श्री शिवराज पाटील को अपनी गहरी जानकारी से पता है कि यहां तक कि बनायी जा रही गाइडेड मिसाइल में भी कतिपय वस्तुएं भारत में निजी कम्पनियों द्वारा बनायी जा रही हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें विदेशों में काली सूची में डाला जाए। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, परन्तु आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम इस मामले में काफी उन्नत हैं तथा इनमें से प्रत्येक मामले में सुरक्षा संबंधी खंडों का अनुपालन अनिवार्य है। ऐसे 22 खंड हैं तथा हमने यह सुनिश्चित किया है कि यदि विनिवेश किया जाता है तो ऐसी सभी 22 शर्तें पूरी करना कम्पनी के लिए अनिवार्य होगा।

जहाँ तक विद्युत का प्रश्न है, जैसा कि रेणूका चौधरी ने हमें अभी–अभी याद दिलाया है कि श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय से ही जब इस क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा रहा है और श्री शिवराज पाटील ने स्पष्ट रूप से जो कारण बताया जोकि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है, के लिए एक

सुविचारित नीति तैयार की गयी है। मैं इस बात के तह में नहीं जा रहा हूं कि कौन एनरॉन के लिए जिम्मेदार है और कौन हिन्दुजा भाइयों द्वारा अपने द्वारा किए गए समझौते को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है; लेकिन सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र में तथ्य यह है कि सभी की नीति यह रही है कि बैंकिंग, दूरसंचार के समान ही इस क्षेत्र में भी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को भागीदारी करनी चाहिए। अतः जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी–अभी बताया है और पूर्वोत्तर के सदस्यों को ज्ञात है कि विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व, नियंत्रण व प्रबंध के संबंध में एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., एन.ई.ई.पी.सी.ओ. और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड कॉरपोरेशन सुदृढ़ स्तम्भ के रूप में बने रहेंगे।

श्री शिवराज पाटील ने बहुत कम कीमतों पर बेचे जा रहे सामान के बारे में कहते हुए कड़े शब्द का उपयोग किया था इसलिए, मैं सिर्फ यह उल्लेख करूंगा कि ...

श्री शिवराज वि. पाटील : जरा यह याद कीजिए कि मुंबई के होटलों का क्या हुआ।

श्री अरूण शौरी : मैं उस विषय पर भी आऊंगा।

याद रखने वाली पहली बात यह है कि मूल्यांकन, मूल्य–अर्जन अनुपातों के मामले में, जो श्री शिवराज पाटील जानते हैं कि वह इन वस्तुओं के लिए एक मानदंड है जिसे पूर्व विनिवेशों के समय प्राप्त किया जाता था, और यदि मैं ऐसा कहूं तो कांग्रेस सरकार द्वारा चार और छह के बीच किए गए थे।

हमने अपने विनिवेशों से मूल्य अर्जन अनुपात के रूप में 11:83 का अनुपात प्राप्त किया है। कृपया 11:83 की तुलना में 4:6 के अनुपात के अंतर पर ध्यान दीजिए।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, और मैं बोम्बे होटल के विषय पर भी आऊंगा। मारूति के मामले में, जब मारूति के पास बाजार शेयर का 85 प्रतिशत हिस्सा था तो आपकी सरकार ने प्रबंध नियंत्रण मारूति से लेकर सुजुकी को सौंप दिया। उसने सरकारी इक्विटी को 249 रु. प्रति शेयर के साथ 49.7 प्रतिशत तक घटाकर इसे निजी कंपनी बना दिया। उस समय, परिव्यक्त एम्बैसडर के विनिर्माता हिंदुस्तान मोटर्स का शेयर 700 रु. का था जिस समय मारूति का बाजार शेयर 85 प्रतिशत बाजार के 45 प्रतिशत तक कम हो गया है उस समय हमने उसी सुजुकी मोटर कंपनी से उस समय के प्रतिशेयर मूल्य का 18 गुणा मूल्य प्राप्त किया। हमने तब भी यही प्राप्त किया है।

मूल्यांकनों, अत्याधिक कम मूल्यों इत्यादि के बारे में ये सिर्फ वाक्यांश हैं जो आते जाते रहते हैं। मामले की सच्चाई यह है कि जैसे अभिलेख दर्शाते हैं वैसा नहीं है।

चुनावों के प्रश्न पर, क्या कुछ निलंबित होने जा रहा है या नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं एक और प्रश्न पूछने जा रहा हूं। सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश का उत्तरदायी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए?

श्री अरूण शौरी : यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, नामतः सरकार में उत्तरदायित्व के बारे में, और ये कार्य कैसे कराए जाएं। विनिवेश के संबंध में जो प्रमुख कार्य हो रहा है – इन दो महीनों में भी – वह बाजार में इक्विटी के प्लेसमेंट के बारे में है। यह वह बात है जिसका उल्लेख श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया और उनके वित्तीय विशेषज्ञों सहित हर कोई कर रहा है और यह आग्रह कर रहा है कि हमें यह करना चाहिए। इसलिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का 10 प्रतिशत, गैस ऑथौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई पी सी एल, सी एम सी और अन्य कंपनियों में शेष शेयर आदि प्रमुख बातें हैं जो इस वक्त चल रही हैं।

विनिवेश निधि के उपयोग के प्रश्न पर

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान जी ने कहा कि इसका कुछ प्रपोर्शन सोशल सैक्टर के लिए होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ पीएसयूज के लिए होना चाहिए, इम्प्लायमेंट जनरेशन के लिए होना चाहिए और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होना चाहिए। ऐक्चुअली यही डिसीज़न्स थे। डिफैंस मिनिस्टर जार्ज फर्नान्डीज साहब ने भी यही अर्ज किया था। मैंने हाऊस में एक बार ऐनाउंसमैंट की थी।

[अनुवाद]

विनिवेश निधि की स्थापना की जायेगी। उसमें ठीक यही लक्ष्य वर्णित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निजी क्षेत्र को दिए जा रहे आरक्षण के प्रश्न पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वास्तव में विपक्ष, सरकार और प्रत्येक को साथ मिलकर इसका निर्णय करना होगा। यह इस अवधि में जो संगत रूप से किया गया है उससे अति प्रमुख उपक्रम होगा। यह विनिवेश से अधिक बड़ा मुद्दा है लेकिन विनिवेशित कंपनियों के प्रश्न पर

[हिन्दी]

उसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए श्री राम विलास पासवान जी जानते हैं, जब ये कैबिनेट में थे तो इनका इस पर बहुत आग्रह होता था इसलिए बैस्ट प्रैक्टिसेज क्लाज में इन्हीं के कहने पर और इनकी सैटिस्फैक्शन से एक स्पेशल प्रोवीजन किया गया था

[अनुवाद]

इस संबंध में निजी सदस्य को सरकार की नीतियों से सचेत रहना होगा।

(श्री अरूण शौरी)

[हिन्दी]

इसलिए हैंडीकेट्ड पर्सन्स

[अनुवाद]

और आरक्षण के माध्यम से आए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति

[हिन्दी]

अगर कभी उसमें कुछ ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप उनको लागू कैसे करेंगे। एक बाहर का आदमी आकर हमारे देश के सैंटीमेंट्स को समझे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : इसे छोड़ा जा सकता है।

श्री अरूण शौरी : श्रीमती रेणूका, सामान्य श्रम कानून हैं, और वे उस मुद्दे का ध्यान रखेंगे। श्रम आयुक्त भी है। आपकी अपनी सरकार के कर्नाटक आदि में श्रम मंत्री हैं और वे सभी बातें सुनिश्चित करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : क्या आप चुनाव के समय भी प्रक्रिया को रोकेंगे?

सभापति महोदय : कृपया अपना उत्तर समाप्त कीजिए।

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं समाप्त कर दूंगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका सरकार की प्रक्रियाओं को सुधारने से है। सभा में इस विषय पर सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

विस्तार और प्रतियोगिता सुनिश्चित करना सबसे बढ़िया तरीका है और यह कि देश की क्षमता कैसे बढ़ेगी। जब मैंने विस्तार से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख किया तो उस समय श्री शिवराज पाटील यहां नहीं थे। स्वयं मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन उद्यमों का निजीकरण किया गया है, उनमें गत तीन वर्षों में उत्पादन में 20 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह विस्तार है और इसी से राष्ट्रीय संपत्ति का सृजन होगा।

मुझे इस वाद–विवाद का उत्तर देने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप चुनाव के दौरान इस प्रक्रिया को रोकेंगे और इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार चुनाव के [illegible]करण की प्रक्रिया को रोकेगी ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : जब वे हर बात का उल्लंघन कर रहे हैं तो वे ऐसा क्यों करेंगे?

श्री सुरेश कुरुप : मैं इसका उत्तर चाहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रक्रिया को रोकने जा रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : आप न्यायालय जा सकते हैं और इसे रोक सकते हैं।

श्री अरूण शौरी : श्री शिवराज पाटील ने इसका उत्तर दे दिया है।

सभापति महोदय : श्री सुरेश कुरुप, क्या आप मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अपने संकल्प को वापस लेने जा रहे हैं?

श्री सुरेश कुरुप : मैं बड़ी अनिच्छा से, संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री अरूण शौरी : इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपके मुद्दे को ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री सुरेश कुरुप द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 4.42 बजे

[अनुवाद]

(दो) राष्ट्रीय बाल नीति - वापस लियां गया।

सभापति महोदय : सभा अब श्रीमती रेणूका चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय बाल नीति संबंधी संकल्प पर विचार करेगी। इस संकल्प को चर्चा हेतु लिए जाने से पूर्व हमें इस संकल्प पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करना होगा। सामान्यतया पहले इस पर दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। यदि सभा सहमत है तो हम इन संकल्प पर चर्चा हेतु दो घंटे का समय आबंटित करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती रेणूका चौधरी को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि –

(क) हमारे देश द्वारा बालकों के अधिकारों के संबंध में यू.एन. कन्वेन्शन्स पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद इन अधिकारों को प्राप्त करना अभी भी दूर की बात है;

(ख) भारत में बालक का अधिकारिक शोषण और उसके साथ दुर्व्यवहार जारी है, यहां तक कि–

(एक) काफी बड़ी संख्या में बालक खतरनाक कारखानों तथा खदानों, जिनमें आतिशबाजी, माचिस बनाने के कारखाने, कालीन बनाने के कारखाने, स्लेट तथा पेंसिल बनाने के कारखाने शामिल है, में कार्य करते हैं तथा उन्हें फील्ड्स में तथा घरेलू नौकर के रूप में, शराब घरों और रेस्तराओं में काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है;

(दो) बड़ी संख्या में बालक भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं;

(तीन) बहुतों को देह व्यापार तथा सेक्स वर्कर्स के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है;

(चार) बड़ी संख्या में बालिकाओं की किशोरावस्था मातृत्व में ही बीत जाती है; और

(पांच) बालिकाओं पर अत्याचार न केवल उनके जन्म के साथ शुरू हो जाता है अपितु उनके जन्म से पूर्व भी उन पर अत्याचार होता है; बालिकाओं की भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात में अत्याधिक गिरावट आई है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 21क के अंतर्गत दिए गए शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है;

इस सभा की राय है कि एक राष्ट्रीय बाल नीति तैयार की जाए और केन्द्र तथा राज्यों में एक राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित किया जाए।"

महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे माननीय और सम्मानित सहयोगियों के साथ इस चिंता को बाँटने का अवसर दिया जो इस देश के भविष्य के लिए हम सभी की चिन्ता का कारण होना चाहिए। मैं अपने देश की कुछ सच्चाईयों को रख सकती हूं

आजादी के बाद भारत में आए सबसे भयंकर सूखे में जिसमें 4,500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वे चमकते भारत को नहीं देख पाये। आज उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। सड़कें शिक्षित युवा बेरोजगार लोगों से भरी पड़ी है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि 'भारत उदय' क्या है।

वे हमारे जैसे अभिभावकों के बच्चे हैं और ऐसे अभिभावकों के बच्चे हैं जिन्होंने उन्हें त्याग दिया है। हमारे देश में युद्ध से अनाथ हुए तथा लातूर में आए भूकम्प में बचे बच्चे हैं, भारत की सड़कों पर रहने वाले आवारा बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है न रहने के लिए घर है।

पूरी दुनिया के देशों में ऐसे लोग और सरकारें हैं जो अपने लोगों को अधिकाधिक संतानोत्पति करने के लिए नागरिकों को पुरस्कृत करते हैं क्योंकि आबादी के प्रति स्थापना का स्तर काफी गिरा है; लेकिन एक हमारा देश है जिसके पास मानव संसाधन रूपी धन है जहां सामाजिक आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की आबादी का 54 प्रतिशत 25 वर्ष से कम उम्र का है जिसका मतलब है कि संतानोत्पति करने वाला आयु वर्ग सबसे ज्यादा है और भविष्य में बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि होने वाली है फिर पहले से जो बच्चे मौजूद हैं उनका क्या होगा। शहरी पुनर्वास और कुछ पेशे को छोड़कर, खासकर ग्रामीण भारत में, बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। बाल श्रम ऐसा शब्द है जिसे मैं बहुत खराब मानती हूं। क्योंकि यह अपने आप में विरोधाभासी है।

एक बालक, चाहे वह किसी का भी बालक हो, इस राष्ट्र की सम्पत्ति है। एक बच्चे को, इस संविधान में अपने मुक्त, सुरक्षित और निर्दोष बचपन का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए जिसको देखभाल और प्यार सम्मिलित है जो कभी–कभी उन्हें अपने धर में नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों के लिए यह सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राष्ट्र की होनी चाहिए।

भारत में कुछ विशेष कारणों से, बच्चों को उनकी माताओं की संतान या उनके माता–पिताओं की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, देश ने बच्चों को कभी भी मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखा, इसने बच्चों के स्वतंत्र अस्तित्व को कभी नहीं माना और कभी भी उन्हें भारत के भविष्य की अवधारणा में शामिल नहीं किया। आज देश भर में हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है उसकी अनेकानेक भयानक दास्तानें सामने आ रही हैं; अधिक से अधिक आंकड़े इस बात का खुलासा करते हैं कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे – इसमें कोई लिंग भेद नहीं है और इसमें दोनों ही सम्मिलित हैं – जिन्हें त्याग दिया गया है या जो अपने घरों से भाग गए हैं उनका शारीरिक शोषण हो रहा है और वे हिंसा के शिकार बने हैं। देश में भारतीयों और विदेशियों द्वारा उनका यौन शोषण हुआ है, उन्हें अपने परिवारों को पालने के लिए तथा परिवार की आय में योगदान करने के लिए खतरनाक कार्यों में धकेला जा रहा है, कई घरों में उन्हें नौकर रखकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।

बच्चों के लिए ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें और उनकी अपनी पहचान को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहां वे शिकायत कर सकें। कई ऐसे अधिनियम बनते रहे हैं जिन्हें सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता स्तर के अनुसार समयानुकुल

(श्रीमती रेणूका चौधरी)

संशोधन होते रहे लेकिन उनमें बच्चों के प्रति कोई भी विशेष संवेदनशीलता नहीं रही है। उनके पास किसी विशेष प्रकार के विशेषाधिकार हेतु कोई मंच नहीं है। यह चिंता का बड़ा विषय है, देश में अनुमानतः छह करोड़ बच्चों का कार्य बल है, यद्यति विभिन्न आंकड़े यह आरोप लगाते रहे हैं कि कई वर्षों से यह आंकड़ा घट रहा है।

बाल श्रम की व्यवस्था हमने काले धब्बे के रूप में की है और हम इसे यही कहते हैं, शिल्पकारों या बुनकरों के घरों में कतिपय कार्य प्रणालियां का बड़ों को याद रखना पड़ता है। इन कलाओं को बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वे उसी परिवार की विशेषता रहे और उसी विशेष परिवार से संबंध रखें। व्यापक सामान्यीकरण और बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पादों पर प्रतिबंध से ऐसी कलाएं संकट में पड़ गई हैं। लेकिन यह बहुत कम है। दूसरी ओर बच्चे ताला बनाने में और इससे भी अधिक भयावह शिवकाशी में पटाखे बनाने में, चूड़ियां बनाने में, माचिस बनाने में और अन्य विषैले उत्पादों को बनाने में लगे हैं; इसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। किंतु जैसाकि हम जानते हैं, कानून पर्याप्त नहीं है। बाल श्रम का अधिक से अधिक शोषण हो रहा है।

हम उन बच्चों की दुर्दशा देखते हैं जिनकी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनदेखी की जाती है जबकि विडम्बना यह है कि उनके माता–पिता सम्पन्नता के लिए सड़कें बनाते हैं। हम बच्चों को अपने घरों से भागते, रेलवे प्लेटफार्मों पर शरण लेते और सोते हुए देखते हैं। जहां उनकी इस स्थिति का फायदा उठाया गया है। बच्चों की इससे भी अधिक भयानक कहानियां हैं जिन्हें मार दिया जाता है ताकि उनकी खोपड़ियां और उनके अस्थिपंजर को किसी खतरनाक अनुसंधान के लिए अन्य देशों में चिकित्सा छात्रों को बेचा जा सके। जब ऐसी बातें हो तो हमारे पास क्या उत्तर है? हम उन तक कैसे पहुंचे और इस प्रकार के शोषण और उदासीनता को रोकने में कैसे सहायता करें? सर्वप्रथम इस तथ्य का संज्ञान होना हमारा काम है कि जो बच्चा घर से भागता है जिसे मान्यता प्राप्त माता–पिता का संरक्षण अथवा मान्यता प्राप्त संरक्षक प्राप्त नहीं है, वह स्वतः राज्य का है।

विभिन्न सरकारों द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उचित समन्वयन स्थापित करने हेतु कुछ प्रयास हुए हैं। चार हजार से अधिक स्कूलों, जिनमें दो लाख से अधिक बच्चे हैं, का लगभग एक सौ परियोजनाओं के तहत पुनर्वास किया जा रहा है जो दुखदायी रूप से अपर्याप्त है और जो गरीबी उन्मूलन हेतु हमारे लिए नहीं है और रूचिकर, नवीन रोजगारोम्मुखी पाठ्यक्रम सहित गुणवत्ता वाली शिक्षा तक निशुल्क अथवा वहनीय पहुंच वाली शिक्षा व्यवस्था करने में पर्याप्त नहीं है।

मैं एक जन प्रतिनिधि के रूप में मैं उन भागे हुए बच्चों से अक्सर मिलता हूं और मैंने उन्हें एक छत के नीचे रखने का प्रयास किया है। वास्तव में अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग के रूप में मैंने इसके लिए धनराशि आबंटित की है मैंने वृद्धाश्रमों के साथ ऐसे स्कूलों और अस्पतालों को रखे जाने की मांग की है ताकि ऐसे बच्चों को प्रतिनिधि माता पिता मिल सकें और वे प्रेम, अनुशासन और भागीदारी को जान सकें, और वृद्ध उन व्यक्तियों जिनके बच्चे नहीं है, की देखभाल हेतु, बच्चे मिल सकें, इससे उन्हें लेने देने और प्रेम के सामान्य अवसर भी मिलेंगे।

जब आप विश्व के सभी साधनों से निकाले गए आंकड़ों द्वारा छह करोड़ कामगार बच्चों को देखते हैं तो यह कामगारों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पूर्व, सरकार ने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई थी कि वह सभी प्रकार के बाल श्रम का निवारण करेंगे। यह हमारे लिए सदैव सुखद प्रयोग नहीं रहा क्योंकि इसने घर के लिए सभी प्रकार की अनुपूरक आय अर्जित करने से बच्चे को रोका है। यह परिवार नियोजन के लिए निवारक नहीं था और परिणामतः इन बच्चों को पैदा नहीं होने दिया गया क्योंकि उनके परिवारों को पर्याप्त वित्तीय आमदनी नहीं थी। इसलिए माता पिता बस इतना ही कमा पाए। बच्चों को उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया। फिर भी उन्हें काम करने के लिए बाहर भेजा गया और यहां ऐसा कोई कानून नहीं था जो उनके जाने के बाद उनकी रक्षा करता। वे दोषी थे और कानून ने भी उनको यह कहते हुए उत्पीड़ित किया वे काम करने क्यों गए?

इस सबके दृष्टिगत मेरी मांग यह है कि हम बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाएं। हमें राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करना चाहिए जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि यहां कोई भेदभाव नहीं होता है, कि बच्चों से संबंधित सभी मामले बच्चे के सर्वोत्तम हित में प्रमुख होगें ऐसा इसलिए नहीं हैं क्योंकि उसका संबंध इससे अथवा उससे है बल्कि जीवन के प्रति बच्चे का अधिकार, उत्तरजीविता और विकास को मान्यता दी जाएगी और उसकी संरक्षा की जाएगी; उनको (बालक/बालिका) प्रभावित करने वाले सभी मामलों में उन्मुक्त रूप से विचार व्यक्त करने के लिए बच्चे के अधिकार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनकी रक्षा की जाएगी; और बच्चों की इस चिन्ता को माना जाएगा कि बच्चा दुर्व्यवहार तथा शोषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है।

क्या आप काम करने वाले बच्चे की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं? बहुधा आप एक बच्ची को अपने छोटे भाईयों अथवा बहिनों की मां के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं जो अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है क्योंकि माता पिता खेत में काम कर रहे हैं। उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उसकी जरूरत घर में अधिक होती है। तत्पश्चात् बालिका के साथ भेदभाव किया जाता है। अध्ययन यह बताएंगे कि माता बच्चे को बच्ची से अधिक समय तक स्तनपान कराती है क्योंकि बालक को माता पिता के बुढ़ापे के दौरान सामाजिक रूप से लाभदायक तथा कमाऊ माना जाता है जबकि बालिका के साथ भेदभाव किया जाता है। उनमें से अधिकतर

बालिकाओं का सात अथवा आठ वर्ष की आयु में यौन उत्पीड़न किया जाता है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की भयानक कहानियां सुनी जाती हैं। आज भी सभा इस बात की साक्षी है कि नौ वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार का मुद्दा उठाया गया था।

इस प्रकार की भयानक कहानियां आती रहती हैं। इन सब नीतियों, कार्यक्रमों और किशोर न्याय अधिनियम 1986 और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 जैसे कानूनों के बावजूद बच्चा हमारे समाज का सर्वाधिक शोषित और उत्पीड़िता है। बीस मिलियन से अधिक बच्चे बधुंआ मजदूर के रूप में गुलाम बनाए हुए है, 380 मिलियन बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिए गए। बच्चों का कुपोषण लगातार जारी है जिससे भारी संख्या में शिशु की मौत हो जाती है। यद्यपि हमारे यहां बाल मृत्यु दर में कमी आई है फिर भी यह बहुत अधिक है। एक मिलियन से अधिक बच्चों को हर वर्ष उनके अपने माता पिता अथवा तथाकथित संरक्षकों के द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है अथवा उनका, उनके परिवार द्वारा, उनके रिश्तेदारों द्वारा अथवा उनके पड़ोसी द्वारा जिन्हें वे अंकल (चाचा) कहते हैं, द्वारा यौन शोषण किया जाता है।

असंख्य बच्चे को चौराहों, यातायात की बत्तियों और पर्यटन केन्द्रों पर भीख मांगते देखा जाता है जो हम सब के लिए राष्ट्रीय शर्मिन्दगी की बात है। आप जानते हैं कि वे अकेले नहीं है; वे संगठित गैंग का एक भाग हैं, जो उनका अपहरण करते हैं उन्हें अपंग कर देते हैं और उनसे शारीरिक श्रम के लिए विवश करते हैं। इनमें से अधिकतर गैंग खतरनाक हैं। वे इन बच्चों को नशाखोर बना देते हैं और वे उनका इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए करते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे विशेषकर दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्रों के भगौड़े बच्चे होते हैं और वे अपने धूम्रपान और ब्राउन शुगर की आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं और लूटमार करते हैं। इसलिए आप नशीले पदार्थों का सेवन करने में और अधिक बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।

अतः आवारा बच्चों समेत सभी बच्चों के बुनियादी अधिकारों को कानून द्वारा निर्धारित करना हमारे लिए आवश्यक है। ये आवारा बच्चे कौन हैं? जैसाकि मैंने पहले ही बताया है, ये वे बच्चे हैं कि जिनके कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ज्ञात संरक्षक नहीं हैं, जन्म से अथवा कानून द्वारा कोई ज्ञात माता पिता नहीं हैं, बच्चे जो अपनी मर्जी से घर से भागे हैं, जिन बच्चों ने कोई अपराध किया है और इसलिए उनके अपने परिवार द्वारा उन्हें वापस लेने का दावा नहीं किया जाता है, जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है और ये ये बच्चे हैं जो हमारे देश की सम्पत्ति हैं।

वे बंधुआ मजदूर हैं, वे भीख मांगने का कार्य कर रहें हैं और वे सेक्सवर्करो के बच्चे हैं, जिन्हें सामाजिक पहचान की समस्या हैं। इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

सभा में कई बार उत्कृष्ट आदर्शों एवं विचारों को व्यक्त किया गया था, लेकिन कार्यान्वित कुछ भी नहीं किया गया। आज हम इन बच्चों को अधिकार सम्पन्न बनाने की तत्कालिक आवश्यकता क्यों बन गई है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति और विकास के कारण आज विश्व एक भूमंडलीय गांव में सिमट गया है और संचार ने हम सभी को मदमस्त बना दिया है। एक ऐसे विश्व, जिसमें भविष्य, आज और आने वाले कल में सिमट गया है, वहां यदि हम भारत की इस सम्पदा में निवेश नहीं करते हैं तो हम अपराधियों के देश का निर्माण करने वाले होंगे जिसमें बढ़ते हुए सामाजिक अपराध सुरक्षा के मूलभूत ताने–बाने और नागरिक समाज को जान बूझकर प्रभावित करेंगे। हमारी चाहे कैसी भी सरकार हो, लेकिन राजनैतिक असफलता के परिणामस्वरूप ऐसी असहनशीलता के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं।

विधेयक के खंड 6 में यथा उपबंधित के अनुसार हमें बेसहारा बच्चों को बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षोपाय करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में एक विनियामक प्राधिकरण बनाना चाहिए। सभी बच्चों के जन्मों को पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल करनी होगी।

सभापति महोदय : चूंकि सभापति के पैनल में से कोई अन्य सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए मेरा श्री पलानीमनिक्कम से अनुरोध है कि, यदि सभा सहमत हो, तो वे आएं और अध्यक्ष पीठ पर आसीन हों।

श्रीमती रेणूका चौधरी : हां, अवश्य।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्रीमती रेणूका चौधरी : जी हां। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 4.59 बजे

(श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम *पीठासीन हुए*)

इन बच्चों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार बेसहारा बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करें जो सभी राज्य सरकारों को शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, पुनर्वास आदि जैसे मूल अधिकारों में रूचि लेने के लिए प्रोत्साहन और निर्देश देगी। हमारे संविधान के खंड 8 में बेसहारा बच्चों के लिए विकास कोष (स्ट्रीट चिल्ड्रन डवलपमैंट फंड) का प्रावधान है इसीलिए जब इस विधेयक को अधिनियमित किया गया है तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है। इस पर प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रु. का आवर्ती व्यय और लगभग 2 करोड रु. का गैर आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

(श्रीमती रेणूका चौधरी)

आरम्भ में हमें इसे चक्रीय निधि के रूप में रखना आवश्यक हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मुझे विश्वास है कि जैसे ही आयोग का गठन होगा, वह तौर तरीको का पता लगा लेगा जिससे हम इस संगठन के वित्त पोषण को बढ़ा सकते हैं यदि हम इन आवश्यकताओं के प्रति जागरूक, सृजनशील और संवेदनशील हैं तो हम लक्षित कार्य क्षेत्रों में इन बेसहारा बच्चों के प्रतिभा–कोश (टेलैंट पूल) में निवेश करने में सक्षम होगें। जहां हम इन बच्चों को विशेषीकृत कुशलताओं में प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम इससे रोजगार सृजन करने और विशेषकर स्वरोजगार पैदा करने में असमर्थ होंगे। हम केन्द्र और राज्य सरकार दोनो के माध्यम से अपने राष्ट्र के विकास के वाहक के रूप इन बच्चों को पारस्परिक रूप से पारस्परिक लाभ के लिए इनका उपयोग करने में सक्षम होंगे।

जैसा कि मैंने कहा है कि हमें स्वास्थ्य, जीवंत, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भावी पीढ़ियों पर ध्यान देना होगा। इस देश के सुरक्षित और संरक्षित बच्चों के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। यह शर्मनाक उपेक्षा का ही परिणाम हैं कि जब हम अन्य राष्ट्रों के नागरिकों को अपने समुद्र तटों के उपयोग की अनुमति दे देते हैं, तो वे यहां आते हैं और हमारे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। हमारे देश में क्या क्या हो रहा है यदि आप इस पर नजर डाले तो आपको पता चलेगा कि घरेलू सेवकों और बाल श्रमिकों का दुरूपयोग हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने हमारे देश को संवेदनहीन और क्रूर व्यस्कों का देश बना दिया हैं। अपनी मध्य युगीय प्रवृत्ति और जानबूझकर बच्चों से उनके निष्पाप बचपन का उपहार छीन लिया है। इस अधिकार का संरक्षण किया जाए, इस अधिकार का सम्मान किया जाए। अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और यह अधिकार स्वतंत्र भारत का भविष्य होना चाहिए।

अतः मैं अपने सभी आदरणीय साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय बाल आयोग की आवश्यकता से संबंधित मेरे संकल्प का समर्थन करें। इसे यथाशीघ्र गठित किया जाना चाहिए। चूंकि वर्तमान सरकार का कहना है कि भारत का उदय हो रहा है और यदि वास्तव में उदय हो रहा है, तो इन बेसहारा बच्चों के जीवन में कुछ रोशनी को आने दीजिए।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि –

(क) हमारे देश द्वारा बालकों के अधिकारों के संबंध में यू.एन. कन्वेन्शन्स पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद इन अधिकारों को प्राप्त करना अभी भी दूर की बात है;

(ख) भारत में बालक का अधिकारिक शोषण और उसके साथ दुर्व्यवहार जारी है, यहां तक कि–

(एक) काफी बड़ी संख्या में बालक खतरनाक कारखानों तथा खदानों, जिनमें आतिशबाजी, माचिस बनाने के कारखाने, कालीन बनाने के कारखाने, स्लेट तथा पेंसिल बनाने के कारखाने शामिल है, में कार्य करते हैं तथा उन्हें फील्ड्स में तथा घरेलू नौकर के रूप में, शराब घरों और रेस्तराओं में काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है;

(दो) बड़ी संख्या में बालक भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं;

(तीन) बहुतों को देह व्यापार तथा सेक्स वर्कर्स के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है;

(चार) बड़ी संख्या में बालिकाओं की किशोरावस्था मातृत्व में ही बीत जाती है; और

(पांच) बालिकाओं पर अत्याचार न केवल उनके जन्म के साथ शुरू हो जाता है अपितु उनके जन्म से पूर्व भी उन पर अत्याचार होता है; बालिकाओं की भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात में अत्याधिक गिरावट आई है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 21क के अंतर्गत दिए गए शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है;

इस सभा की राय है कि एक राष्ट्रीय बाल नीति तैयार की जाए और केन्द्र तथा राज्यों में एक राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित किया जाए।"

प्रो. रासासिहं रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्रीमती रेणूका चौधरी जी के द्वारा प्रस्तावित बाल कल्याण के संदर्भ में जो बिल लाया गया है तथा उनके द्वारा अंत में जो बात कही गई है कि एक राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित किया जाए, राष्ट्रीय बाल नीति का निर्धारण किया जाए, मैं उस बात का समर्थन करता हूं।

क्योंकि आज का बालक कल राष्ट्र का भावी कर्णधार बनेगा। किसी भी देश की सम्पत्ति, वहां के बैंकों में रखा हुआ धन–दौलत, रुपया–पैसा, चांदी के सिक्के या कागज के नोट नहीं होते, अपितु वहां का बालक ही राष्ट्र की सम्पत्ति होता है। जैसे होनहार वीरवान के होत चीकने पात कहा गया है। जिस प्रकार प्रातःकाल में पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा, उसी तरह से एक बालक से पता लगता है कि वह आगे जाकर कैसे मानव का निर्माण करेगा। इसलिए बालक की महत्ता अपने आपमें बहुत अधिक है।

इसलिए उस बालक को आगे बढ़ने के लिए, संस्कारित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, देश का योग्य नागरिक बनाने के लिए, भारत माता की श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए जैसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, वह सारे देशवासियों तथा सरकार का कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती रेणुका जी ने प्रारम्भ में जो शब्द कहे कि एन.डी.ए. के लोग कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग, भारत उदय हो रहा है, भारत चमक रहा है, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि जिन्हें रतौंधी का रोग हो जाता है या जिनकी आंख में एक ही पक्ष रहता है, उन लोगों को शायद यह दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यथा जब पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने स्वयं अपना जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। उन्होंने केवल इसी धारणा और भावना को लेकर ऐसा किया था कि ये बालक ही राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति हैं, यही बालक आगे जाकर कुछ बनेंगे। इसलिए आज बालक का विकास करने के लिए इतने सारे स्कूल्स, कालेजिज, प्राइमरी पाठशालाएं, नर्सरी स्कूल्स, सबको पढ़ने का अवसर, निःशुल्क पुस्तकें तथा सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो डैस्टीट्यूट चिल्ड्रन होम्स और नैगलैक्टेड चिल्ड्रन होम्स के ऑर्फनेज होते थे, उनको चिल्ड्रन होम्स का नाम देकर वहां उनकी सुख–सुविधा और पढ़ाने के इंतज़ाम किये जाते हैं। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो इधर–उधर रद्दी इकट्ठा करने वाले बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत में उन बालकों के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यह कहना कि बच्चों के विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं कि वह केवल एक पहलू है। हमें सारे पहलू देखने चाहिए। यह ठीक है कि भारत देश की परिस्थितियां अलग हैं। अमेरिका का चश्मा चढ़ाकर शायद रेणुका जी कहना चाहती हैं कि आज अमेरिका हिन्दुस्तान के कालीन उद्योग को नष्ट करना चाहता है, अमेरिका हिन्दुस्तान के कुटीर उद्योगों को नष्ट करना चाहता है, अमेरिका हिन्दुस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री को नष्ट करना चाहता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान का लड़का स्कूल में जब जाएगा तो स्कूल में पढाई करेगा। स्कूल के बाद अपने बाप के साथ खेत में जाकर काम करने में वह गौरव का अनुभव करता है। वह खेत की पिराई में गौरव का अनुभव करता है और माता–पिता के काम में हाथ बंटाता है। मान्यवर, एक कारपेन्टर होता है, और एक लोहार होता है। एक लोहार का बच्चा अपने पिता के साथ काम जितना सीख सकता है जितना स्कि प्राप्त कर सकता है, उतना स्किल बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग प्राप्त करके नहीं पा सकता। एक कुम्हार का लड़का खिलौने बनाता है, मटके बनाता है, उसे पिता के साथ रहकर सीखने का जो अवसर मिल सकता है, वह कहीं नहीं मिल सकता। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : जिन बच्चों के माँ–बाप हैं, उनके बारे में यह नहीं है। यह उन बच्चों के बारे में है जिनके माँ–बाप नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासासिंह रावत : मैं समझता हूं। मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

हमारे यहां जितने रईस लोग हैं, वे केवल मरमच्छ के आंसू बहाते हैं।

"श्वानों को मिलता दूध–भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
माँ की छाती से लिपट सिसक–सिसक रह जाते हैं"।

ज़मींदार कौन हैं? एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन जाती हैं। मान्यवर, रेणुका जी मुझे क्षमा करेंगी, आज तक देश में किन लोगों का शासन था? पिछले 45–50 सालों से कांग्रेस का शासन था और जिस पार्टी से वह संबंधित हैं, उस पार्टी का शासन था। हम लोग पांच–छः सालों से शासन में आए हैं। आखिर उन बच्चों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर बच्चों के बारे में आप इसी प्रकार के दृश्य उपस्थित करना चाहती हैं तो उन बच्चों के शोषण के लिए, उनकी दयनीय स्थिति के लिए, उनको अनाथ बनाने के लिए कांग्रेस के शासन के लोग ज़िम्मेदार होंगे। मैं समझता हूं कि भारत चमक रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने केवल अपने विचार रखे हैं। वह किसी पर आरोप नहीं लगा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासासिंह रावत : महोदय, आरंभ में वह 'भारत उदय', 'क्या उदय हो रहा है' और कैसे उदय हो रहा है, और अन्य सभी बातों का उल्लेख कर रही थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने केवल अपने विचार रखे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : 4500 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, वह इंडिया शाइनिंग है? बेरोजगार बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, वह इंडिया शाइनिंग है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासासिंह रावत : उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)* इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने देश में 40 वर्षों तक शासन किया है ...*(व्यवधान)* रोम एक दिन में नहीं बना था।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : आप चाहती हैं कि पांच सालों में वह सब कुछ हो जाए जो पचास सालों में आपने नहीं किया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : पचास सालों की बात ये कर रहे हैं। आपने पांच सालों में क्या किया वह बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भूरिया उनकी बात पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : सरकारों की बात न करो, यहां बच्चों की बात करो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मिश्रा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : मान्यवर सभापति महोदय, एनडीए की सरकार को श्रेय जाता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको श्रेय जाता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। ऐसा संविधान में संशोधन लाने वाली एनडीए की सरकार है। ये लोग इतने दिनों तक ज़बानी जमा खर्च करते रहे। हम लोग जो भी कहते हैं, वैसा करते हैं। हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : आपकी सरकार बच्चों के लिए पांच सालों में एक करोड़ रुपये भी नहीं दे पाई होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो भी रासासिंह रावत बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उनकी बात पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत :

"सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"

मान्यवर सभापति महोदय, जब तक इनका शासन था, तब तक इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इनकी तो यही स्थिति है कि –

*"निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां इनको मालूम नहीं
इन राहों में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं"*

महोदय, आने वाली शताब्दी का सबसे सिरमौर देश भारत होगा – इस विजन को लेकर हमारे राष्ट्रपति महोदय और हमारे प्रधान मंत्री महोदय चल रहे हैं। वर्ष 2020 के अंदर दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्धिशाली और सबसे सुखी देश भारत होगा। इस एक लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, किशोर हो, विद्यार्थी हो, श्रमिक हो या मजदूर, हर नागरिक देश में प्रगति की ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। जिस प्रकार से भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया माना जाता था, जिस प्रकार से भारत प्राचीन काल में विश्वगुरू था, जिस प्रकार से भारत में दूध–दही की नदियां बहती थीं, उसी प्रकार का भारत बने, इसी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर यह सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं रेणूका जी की इस बात से सहमत हूं कि बालकों का शोषण नहीं होना चाहिए, बालकों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, बालकों को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गरीबों को बच्चों को बेचने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अरब के शेखों को हिन्दुस्तान के बालकों को अपने शौक पूरे करने के लिए यहां से खरीद कर अरब देशों में ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहां हमारे देश के बच्चों को ऊंटों की पीठ से बांधकर और ऊंटों को बहुत तेज दौड़ा कर वे रेस का आनन्द लेते हैं जिसमें छोटे–छोटे बच्चों की रो–रो कर और चिल्ला–चिल्ला कर मृत्यु हो जाती है। ऐसा करने से उन्हें रोकना होगा और अरब देशों के लोगों को भारत से बच्चे खरीद कर ले जाने पर रोक लगानी होगी, यह बन्द होना चाहिए।

हिन्दुस्तान का भविष्य बालकों के भविष्य में छिपा है। बालकों को उनके पढ़ने, बढ़ने और उन्नति करने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अवसर देना जहां सरकार का परम कर्त्तव्य है, वहीं कल्याणकारी राज्य का यह भी दायित्व है कि गली

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और मोहल्लों में बेकार घूमने वाले अनाथ बच्चों को अच्छे नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया जाए, चाहे फिर वे दर–दर भटकने वाले बच्चे हों, अनाथ हों, गरीब हों, सभी की उन्नति होनी चाहिए। इसमें जहां कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी बनती है वहां समाज का भी कर्त्तव्य है कि वह आगे आए और ऐसे बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करे। गुजरात के अंदर इतना भीषण भूकम्प आया कि गुजरात के अनेक शहर तहस–नहस हो गए, लेकिन उसे संवारने और सुधारने का जहां सरकार ने प्रयास किया वहीं देश के कई सामाजिक संगठनों और एन.जी.ओज. ने आगे बढ़कर सहयोग किया। बच्चों को गोद लेने हेतु कांडला और गांधीधाम में आश्रम बनाए गए, जहां भूकम्प में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें पढ़ाने और उनके विकास हेतु काफी आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिल रही है वहीं सामाजिक संस्थाओं एवं एन. जी.ओ. संस्थाओं की ओर से भी मिल रही है। इस प्रकार उन अनाथ बच्चों को ममता, स्नेह और वात्सल्य प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, इस रिजोल्यूशन में जो पाइंट दिए गए हैं कि भूख से व्याकुल बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चों को भूखों नहीं मरने दिया जाएगा, उन्हें बसाने और उनकी उन्नति का प्रयास किया जाएगा, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अनेक ऐसे उद्योग हैं जैसे मिर्जापुर और भदोही में कालीन उद्योग, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, जहां बच्चे पढ़ने के बाद अपने माता–पिता के साथ काम में हाथ बंटाते हैं और उद्योग की बारीकियों को समझते हैं, सीखते हैं और होशियार बनते हैं। शिक्षा के नाम पर उन्हें बेरोजगारी की ओर प्रवृत्त किया जाए, इसका मैं विरोध करता हूं। शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जिससे बच्चे शिक्षा के साथ–साथ उन्हें अपने माता–पिता के साथ काम करने और उद्योग की बारीकियां समझने और सीखने का अवसर मिले। इससे उन्हें मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कुछ विदेशी संस्थाएं बच्चों द्वारा काम कराने के आधार पर भारत को विश्व में बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार की कुछ संस्थाएं भारत में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, कुछ एन.जी.ओ. संस्थाएं उन्हें पढ़ाने के नाम पर अखबारों में बड़े–बड़े विज्ञापन देकर उन्हें दी जाने वाली सहायता को डकार जाती हैं जिससे गरीब बच्चों का कल्याण नहीं हो पाता। वे संस्थाएं और इस प्रकार के लोग केवल प्रदर्शन और दिखावा करते हैं। समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर धन को हड़पने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए।

महोदय, होनहार बिरवान के होत चिकने पात प्रातःकाल से पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा और बालक से पता लगता है कि आगे चलकर वह कैसा मानव बनेगा। इसलिए समाज, सरकार, एन.जी.ओज., प्रतिनिधि सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है और हम सभी का कर्त्तव्य है कि बालकों का शोषण न हो और जहां शोषण हो रहा हो, उसे रोका जाए। इसी प्रकार जहां बाल–अपराध हो रहे हों, उन्हें रोका जाए। इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है, यह भी देखने की आवश्यकता है।

इसलिए जब तक बच्चों के प्रति मन के अंदर ममत्व और आत्मीयता का भाव जागृत नहीं होगा तब तक उन बच्चों को सही दिशा के अंदर निर्देशित करने की, उनका पालन–पोषण सही करने की बात नहीं हो पाएगी।

महोदय, इसमें दो–तीन प्वाइंट्स बहुत अच्छे हैं। आज बड़े–बड़े क्लिनिक खुल गए हैं, वहां माता–पिता जाते हैं और परीक्षण करा लेते हैं। अगर उन्हें पता लगता है कि लड़की होने वाली है तो वे एबोरशन या भ्रूण हत्या करने का दुष्कृत्य कर लेते हैं। परिणामस्वरूप असंतुलन पैदा हो रहा है, हमारी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या घट रही है और पुरूषों की बढ़ रही है। यह असंतुलन आगे जाकर समाज के अंदर कई विकार पैदा कर देगा। कई बार लोग बच्चों को नौकरी के बहाने होटलों या अन्यान्य स्थानों पर ले जाते हैं। जहां उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वहां उसके स्थान पर उनसे सुबह से शाम तक काम लिया जाता है और उन्हें पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। उन्हें भूखा–प्यासा रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ये सारी बातें रोकी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, बाल कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके साथ–साथ जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय की मंत्री महोदया यहां विराजमान हैं, इनमें और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी देश के अंदर बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उन्हें पढ़ने का अवसर मिल सके। श्रम मंत्रालय भी इस बात को देखता है कि बच्चों का कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है। श्रम मंत्री जी यहां विराजमान हैं, ये सब लोग इस बात को पूरे ध्यान से रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के बालकों का सर्वांगीण विकास होने के लिए उन्हें शिक्षा के समय में शिक्षा मिले और रोजगार के सही अवसर मिलें। उनका कोई शोषण न करे और उनके साथ कोई अत्याचार न करे तथा उनसे कोई भीख न मंगाए तथा छोटी–छोटी बालिकाओं की बचपन में शादी न हो। ये जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं कि माता–पिता छोटे–छोटे बच्चों की बचपन में शादी कर देते हैं, उस समय उनका जो पूर्ण विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। वे बच्चियां किशोर अवस्था में ही मातृत्व अवस्था में ढल जाती हैं। हालांकि बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका पालन जितना आवश्यक है उतना नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार और समाज को चाहिए कि ऐसे कानूनों की पालना भली प्रकार से हो और सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वे समाज के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करें ताकि बच्चों के शोषण को रोका जा सके, उनकी बचपन में शादी न हो। भ्रूण हत्या वगैरह जो अत्याचार और जुलम हो रहे हैं, वे भी न हों। इसके अलावा शिक्षा बच्चों को अवश्य मिलनी चाहिए। बालक को पशु से मानव

(प्रो. रासासिंह रावत)

बनाने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है, अच्छे संस्कार लाने वाली चीज शिक्षा है। बच्चों में सारी प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को शिक्षा के माध्यम से ही आगे लाया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। कम्प्लसरी एजुकेशन और मौलिक अधिकार भी दिए हैं और सरकार ने गांव–गांव में सर्वशिक्षा अभियान को चलाकर करोड़ों रुपए खर्च करके निरक्षरता को मिटाने के लिए, साक्षरता का प्रचार–प्रसार करने के लिए प्राथमिक पाठशाला तक तमाम बच्चों को लाने के लिए प्रबंध किए हैं। अगर बच्चा शाम को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। इन सब के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत प्रयत्नशील है। फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि जब हम हर बात की नीति तय कर रहे हैं – जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय दूरदर्शन की नीति या नेशनल टेलीकॉम पालिसी, तो मैं समझता हूं कि बच्चा जो समाज का महत्वपूर्ण घटक है, वह भी आगे जाकर एक अच्छा नागरिक एवं श्रेष्ठ मानव बन सकें। वह देशभक्त और संस्कारी व्यक्ति बन कर भारत–माता की सेवा करने के लिए तन–मन–धन से कटिबद्ध हो सके। उसका निर्माण सही दिशा में हो और उसका शोषण रूके। उसके लिए राष्ट्रीय बाल नीति अवश्य तैयार की जानी चाहिए, राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए।

महोदय, हमने यूएनओ में भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रम कानूनों के माध्यम से, शिक्षा संबंधी कानूनों के माध्यम से और समाज कल्याण संबंधी कानूनों के माध्यम से बच्चों के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन सारे कदमों की जानकारी आम जनता को मिल सके, इसके बारे में भी हमें जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमें बालकों के मामले में पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर राष्ट्र के व्यापक हित में राष्ट्रीय बाल नीति बनाने की बात और राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने की बात का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने के स्थान पर हमें चाहिए कि वास्तव में आज का हमारा जो बालक है, वह कल राष्ट्र का भावी कर्णधार बन सके, चाचा नेहरू के सपने पूरे हो सकें और माननीय अटल जी ने बालकों के अन्दर जो स्वर्णिम भविष्य देखा है, वह स्वर्णिम भविष्य का सपना साकार हो सके, इसके लिए समाज को और सरकार को, सब को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेणुका जी के प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संकल्प माननीय रेणूका चौधरी जी ने पेश किया है कि राष्ट्रीय बाल नीति के तहत केन्द्र तथा राज्यों में राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित किये जायें, मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ इसमें जो तथ्य दिये गये हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में बालकों का जो शोषण इस देश में हो रहा है, वास्तव में उसका कारण क्या है। यह राष्ट्र की आर्थिक नीतियों की वजह से देश के जो छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनको पढ़ने–लिखने का अवसर मिलना चाहिए, खेलने–कूदने का अवसर मिलना चाहिए, उनको वात्सल्य, ममता का अवसर मिलना चाहिए, जबकि वे खानों में, कल–कारखानों में, खेतों में, फुटपाथों पर, रेस्टोरेंट में, होटलों में और घरों में काम करने को क्यों बाध्य हैं। इसके लिए कोई अलग से विशिष्ट रूप से बाल नीति में किस तरह से इसे आप अलग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वास्तविक रूप से बालकों के हितो के बारे में सोचने के लिए समग्र रूप से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों की विवेचना और समीक्षा करनी चाहिए।

माननीय रेणुका चौधरी जी ने मुख्य रूप से उन बच्चां को चिन्हित करने की बात कही है, जो उपेक्षित हैं, जो कमजोर और गरीब तबकों के हैं, जो अनाथ हैं और स्वाभाविक भी है कि जो समाज के अमीर और धनाढ्य तबकों के लोग हैं, उनके बच्चों की परवरिश, पोषण, शिक्षा, सारी कुछ चीजें, जो जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वे उपलब्ध हो जाती हैं। देश के बहुसंख्यक बच्चे, जो अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं, यह आज सदन में चिन्ता का विषय बना हुआ है। उसके बारे में समाज को और सरकार को सोचना है। वास्तव में बालक समुदाय नागरिकों की नर्सरी होती है। कुछ उम्र के बाद वही देश के नागरिक होते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति में सरकार से 13 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक के बालकों को युवा वर्ग घोषित किया है और उसमें दो वर्ग भी बना दिये हैं, एक 13 से 19 और दूसरा 20 से 35 वर्ष तक के लोगों का है। उसके बाद जीरो से 13 वर्ष तक की आयु के बालक रह जाते हैं, उनके बारे में वास्तव में कोई न कोई नीति बननी चाहिए। क्या कारण है कि वे उनके अभिभावक या माता–पिता किस मजबूरी में उनको फुटपाथ पर कचरा बीनने के लिए छोड़ देते हैं या अन्य छोटे–मोटे काम या बंधुवा महदूरी के लिए उनको बेच देते हैं। उस कर्ज की एवज में वे उस बच्चे को जिंदगी भर किसी साहूकार या किसी और व्यक्ति के हवाले कर देते हैं। जो उसकी सारी मानवीय गरिमा को, बाल सुलभ चंचलता को खत्म कर देता है। जो बाल श्रमिक कानून बने हुए हैं, जो बंधुआ श्रमिकों के लिए कानून बने हुए हैं, शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में पेश किया गया है लेकिन वे सब अधूरे हैं। इन सब चीजों को मिलाकर बच्चों के अधिकारों के बारे में एक नीति बनानी चाहिए, एक पालिसी तय करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में बच्चों का मसला संवेदनशील है। भौतिक रूप के साथ–साथ वह एक जज़बाती मसला भी है। इसलिए सरकार और संसद को इसका संज्ञान लेना अति आवश्यक है। वह नागरिकों की जड़ है, समाज की मूल कड़ी है तथा वहीं से समाज बनना है इसलिए इनके हितों की चिंता के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनके निदान के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए। काफी समय से इस दिशा में कुछ काम नहीं हो पाया है। जो तथ्य इसमें दिये गये हैं, जो अखबारों में हैं, जो समाज

में हैं, उसे सारे लोग जानते हैं। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है। आप चाहे फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, ढाबों आदि कहीं भी देखें, आपको पांच साल के छोटे–छोटे बच्चे प्लेट धोते नजर आयेंगे। यह बहुत दुख का विषय है। इसे कैसे रोका जाये?

मेरा मानना है कि उनके जो अभिभावक हैं, कोई न कोई कारण होता है चाहे उनको गरीबी मजबूर कर रही है या कुछ और है, अपना और अपने माता पिता का पेट भरने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां पर जो आयोग बनाने की बात की गयी है, यह अपने आप में सही है लेकिन बाल आयोग बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो भी नीतियां हैं, राष्ट्रीय नीतियां हैं, समग्र रूप से उन नीतियों में बाल नीति को समाहित करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

जो अनाथ बच्चे हैं यानि जिनके माता–पिता मर गये हैं, उनके जीवन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। ये निराश्रित बच्चे आज अराजक तत्वों, समाजविरोधी तत्वों के हथियार बने हुए हैं चाहे स्मगलिंग हो या और इसी तरह के राष्ट्र और देशद्रोही कार्य हों। वे बाल सुलभ बच्चे समझ नहीं पाते कि हम कौन सी चीज को यहां से वहां ले जा रहे हैं। वे नासमझी में उस काम को करते हैं। राष्ट्रविरोधी तत्व उनका इस्तेमाल हथियारों के रूप में करते हैं। उनको भोजन, पोषण, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की रक्षा आदि की तमाम चीजें मिल सकें, उनके जीवन में उसकी निश्चितता उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल नीति बनाते समय उन गरीब नागरिकों के बारे में भी सोचा जाये और उन कारणों को भी दूर किया जाए जिससे किसी मजबूरी में उनके बच्चे अशिक्षित न रह जायें, पोषण से वंचित न रह जायें। कहीं श्रमिक के रूप में उसे मजबूरन काम न करना पड़े, बल्कि एक बालक का जो जीवन है, शून्य से लेकर कम से कम 15–16 वर्ष तक उसे अपना पूरा समय, यानि पढ़ने लिखने और खेलने–कूदने का समय मिले। इसे निश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार ले।

श्रीमती रेणूका चौधरी जी द्वारा बाल नीति बनाने के लिए जो संकल्प पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस संकल्प को सदन पास करे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं श्रीमती रेणूका चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। ऐसा करके, मैं देश में विद्यमान समस्याओं को बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे देश में शिशुमृत्यु दर पश्चिमी देशों की तुलना में अधिकतम है। केरल राज्य को छोड़कर शिशुमृत्यु दर बहुत ही अधिक है। हमें इसमें कमी लानी होगी। बाल कल्याण की बात करते समय, हमें उस पहलू की ओर ध्यान देना होगा। मैं इस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं।

तत्पश्चात्, मैं विद्यालयों में शिक्षा के विषय पर आता हूं। बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में वृद्धि हो रही है। विभिन्न कारणों से साल दर साल प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कुछ राज्यों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता था लेकिन इनमें से कुछ राज्यों ने दोपहर का भोजन देना बंद कर दिया है। अतः मैं केन्द्र सरकार से देश के सभी विद्यालयों में समान आधार पर दोपहर के मुफ्त भोजन की आपूर्ति पुनः आरंभ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं। 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को दोपहर का भोजन अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह अति महत्वपूर्ण कदम है।

इसमें एक अन्य पहलू भी है। आज कल बच्चों पर अत्याचार में बढ़ोत्तरी हो रही है। बालिकाओं का अपहरण करके वेश्यालय भेज दिया जाता है। उन्हें सेक्स वर्कर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह एक अन्य त्रासदी है।

उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने वाले भिक्षुक समूह भी हैं। वे बच्चों का अपहरण करके उनकी आंखें निकाल लेते हैं। उन्हें अंधा बनाकर भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है।

हमारे राज्य में एक दयनीय स्थिति उत्पन्न हुई है। अब जहां माता–पिता आत्महत्या करते हैं, वे अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते। वे उन्हें भी मार डालते हैं। माता–पिता आत्महत्या करते समय अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उन्हें अपने आपको मारने के लिए जहर या ऐसी ही कोई चीज खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह आत्महत्या नहीं है। मैं बड़ी आयु के माता–पिता द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को समझ सकता हूं। लेकिन इन गरीब बच्चों को ऐसे क्यों मारा जा रहा है? आजकल ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। अतः, कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं सभा का ध्यान कतिपय मामलों की ओर आकर्षिक कराना चाहूंगा। पिछली बार, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन हेतु सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। मुझे कई आधारों पर इसका विरोध करना पड़ा। मैं आपको उनमें से एक के बारे में बताऊंगा। अब 'बाल कल्याण' समवर्ती सूची में है। बालकों की देखभाल केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का भी कर्त्तव्य है। यह एक संवैधानिक दायित्व है। क्या इस दायित्व का निर्वाह उचित रूप से किया जाता है या नहीं यह एक अन्य मामला है। जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो मैंने इसका केवल एक मात्र आधार पर विरोध किया था कि इसमें राज्यों में राज्य आयोगों के गठन का प्रावधान नहीं है।

राज्य आयोगों के बिना राष्ट्रीय आयोग के गठन का कोई

(श्री वरकला राधाकृष्णन)

अर्थ नहीं है। प्रस्तावित विधेयक में केवल राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान हो यह पर्याप्त नहीं है। अतः हमारे पास राष्ट्रीय आयोग के साथ राज्य आयोगों का होना जरूरी है। अतः उक्त विधेयक से संबंधित स्थायी समिति यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दें कि विधेयक में संशोधन किए गए हैं ताकि प्रस्तावित विधेयक में राष्ट्रीय आयोग के साथ–साथ राज्य आयोगों का प्रावधान हो। यह एक मुद्दा है।

अब, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान बाल कल्याण परिषदें वस्तुतः केवल परामर्श देने के लिए हैं। उन्हें बच्चों की देखभाल अथवा कुछ बाल गृहों के रखरखाव के लिए कुछ अनुदान या भत्ता मिल सकता है। इसके साथ, मामला समाप्त हो जाता है। वे बच्चों के अपहरण के मामलों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकती। बच्चों के साथ प्रतिदिन अति गंभीर दंडनीय अपराध किए जाते हैं, लेकिन निर्धन बाल कल्याण परिषद मूक दर्शक बना हुआ है। वे परिषदें कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरा सुझाव यह है कि इन परिषदों को सांविधिक निकायों में तब्दील किया जाना आवश्यक है और उन्हें दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सक्षम जांच ऐजेंसी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऐसा जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि अपहरण एक गंभीर दण्डात्मक अपराध है जिसके लिए कानून के अंतर्गत आजीवन कारावास आदि दण्ड दिया जा सकता है।

अपहरण, बहकाना–फुसलाना और फिर किसी लड़की को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करना, ये सभी गंभीर अपराध हैं। अब इन अपराधों की जांच सामान्य पुलिस स्टेशन काफी अधिक काम होने के बावजूद करते हैं। उनके पास अन्य आपराधिक जांच या काफी अधिक भार होता है। उनके पास बच्चों के प्रति किए गए अपराधों पर ध्यान देने के लिए कम समय होता है। यदि राज्यों में नियुक्त बाल कल्याण आयोग को शक्तियां प्रदान कर दी जाएं तो यह काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उनके पास उप अधीक्षक रैंक के कुछ पुलिस कर्मचारी होने चाहिएं जो अपराधिक स्वरूप के अपराधों की जांच में निपुण होते हैं। जब कभी किसी बच्चे के प्रति कोई अपराध किया जाता है तो बाल कल्याण परिषदें उसका संज्ञान ले सकती हैं और वे अपने अंतर्गत आने वाली जांच एजेंसी को एक आपराधिक मामला दर्ज करने और उसकी प्रभावी तरीके से जांच करने का निदेश दे सकती है।

अब बाल श्रम की बात लें। कई कारखानों में काफी खतरनाक काम करने के लिए बच्चों को काम में लगाया हुआ है। माचिस बनाने के सभी कारखानों और खनन काम में इन गरीब बच्चों से काम कराया जाता है। यदि राज्य कल्याण परिषद् को जांच करने की शक्ति दी जाए तो वह तत्काल वहां जाकर उसका संज्ञान ले सकती है और जांच एजेंसी को आगे कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है फिर निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं होंगी। किंतु सामान्य पुलिस बल को यह काम सौंपना प्रभावी नहीं होगा क्योंकि उन्हें कई प्रकार की ड्यूटी और काम करने पड़ते हैं। अतः उनके पास बच्चों के प्रति किए गए अपराधों की प्रभावी जांच हेतु समय नहीं होता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इन राज्य परिषदों को पूरी गंभीरता के साथ इन मामलों से निपटने के लिए पूरी शक्तियां दी जानी चाहिए और अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मान लीजिए, किसी कारखाने का प्रबंधक बच्चों को काम पर लगाता है तो उसके विरूद्ध तुरन्त दंडात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्हें इस प्रयोजनार्थ शक्तियां दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर इन बाल कल्याण परिषदों के पास कोई शक्तियां नहीं है। उनके पास कोई पर्यवेक्षकीय शक्तियां नहीं है। अतः इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए यह उचित है कि बाल कल्याण के क्षेत्र में अब कार्य कर रहे इन निकायों को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए शक्तियां दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि प्रस्तावित विधेयक इन आयोगों को और अधिक शक्ति से कार्रवाई करने के लिए प्रभावी बनाने के लिए उपबंधों वाले संशोधन करेगा। केवल तभी, हम बाल कल्याण के मामले में इस समय विद्यमान चौंकाने वाली स्थिति से निपट सकते हैं। इसी की अत्याधिक आवश्यकता है। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सम्मत बाल अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्काल ध्यान देंगी।

यह कुछ मुख्य मुद्दें हैं जिनका हमें समाधान करना है। मैं सम्बंधित माननीय मंत्री से इन मामलों पर विचार करने तथा एक ऐसा कानून लाने का अनुरोध करता हूं जो इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हो।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर से श्रीमती रेणूका चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि सभा के किसी कोने से इसका विरोध नहीं होगा।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं श्रीमती रेणूका चौधरी को संसद और राष्ट्र का बाल अधिकारों और भावी पीढियों के हितों की रक्षा करने संबंधी यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन का पालन करने के संकल्प की और ध्यान आकर्षित करने के लिए बधाई देता हूं।

निःसन्देह, हमारे राष्ट्रपति, डॉ. अब्दुल कलाम ने वर्ष 2020 के लिए एक स्वप्न देखा है अर्थात विजन 2020। यदि कोई बच्चा आज पैदा होता है, शहीदी दिवस को पैदा होता है जब महात्मा गांधी जी कर हत्या कर दी गयी थी, वह बच्चा बड़ा होकर उचित समय पर अपने अधिकारों की मांग करेगा।

हमारा देश ही वह देश है जहां बच्चों को दिव्य उपहार माना जाता है। यहां तक कि हम बाल देवी/देवताओं की पूजा करते है। विश्व में अन्यत्र ऐसा कहीं नहीं होता। हम भगवान कृष्ण की पूजा गोकुल कृष्ण के रूप में करते हैं, एक ऐसे बाल देवता जो ब्रह्मांड

की रक्षा करने के लिए हमारी गलियों में घुटनों के बल चले। इसी प्रकार हम भगवान गणेश और भगवान मुरुग की बाल देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। इनकी बाल देवी/देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। हमारे देश में बच्चों में दिव्य शक्तियां पैदा करने की संस्कृति रही है। परमेश्वर ने माता–पिता और समाज की रक्षा के लिए दिल खोलकर इन बच्चों को शक्तियां प्रदान की हैं।

माता–पिता को तब बहुत खुशी होती है जब वे पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान बच्चों को अधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के कराची सम्मेलन ने वर्ष 1931 में यह प्रस्ताव पारित किया कि बच्चों और महिलाओं की विभिन्न प्रकार से रक्षा की जाए और उन्हें विशेष लाभ दिए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इंसानों के देह व्यापार और बलातुश्रम का प्रतिबंध है और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है तथा अनुच्छेद 38 (ङ) और (च) स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 38 (ङ) में कहा गया है कि बच्चों का शोषण न हो, अनुच्छेद 38 (च) यह प्रावधान करता है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा बच्चों और युवाओं की शोषण से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें अब पिछले 50 वर्षों या ज्यादा अवधि के दौरान पारित विभिन्न अधिनियमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है लेकिन 1976 के दौरान राष्ट्र को यह पता चला कि जनसंख्या को नियंत्रित करके ही बच्चों से संबंधित कल्याण कार्य उचित ढंग से किये जा सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु परिवार नियोजन को क्रियान्वित किया जाना चाहिए था लेकिन उस समय राजनैतिक पार्टियां इसे एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर एक मत नहीं हो सकीं। इसका शोषण हुआ और परिवार कल्याण योजना को त्याग दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लावारिस बच्चों और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बिना उचित देखभाल के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं।

लेकिन तमिलनाडु को एक ऐसा अद्वितीय मुख्य मंत्री, श्री कामराज, मिले हैं जिन्होंने 1960 में ही इस मुद्दे को उठाया था कि दोपहर का भोजन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा और दक्षता विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसलिए, तमिलनाडु में 'दोपहर का भोजन' की योजना लागू की गई थी। बाद में, 1991 से 1996 तक कांग्रेस सरकार इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू कर चुकी थी। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अगस्त 1987 में ही बालश्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी। ये सारी बातें उचित समय पर नेताओं के विचारों के अनुरूप की गई।

स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिवस उन्हीं की इच्छाओं के अनुरूप 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन बच्चों के जीवन को कैसे संरक्षित किया जा रहा है? किसी भी प्रकार के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए चाहे वह पौधा हो या जीव–जन्तु हो। लेकिन आज मनुष्य गलियों में भीख मांगते फिर रहा है। यही समय है जब राष्ट्र की उन्नति की माप सैनिक ताकत से नहीं आंकी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। मंत्री महोदय उत्तर देने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, मुझे केवल 5 मिनट का समय चाहिए क्योंकि 6 बजने में अभी देर है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और उनकी बुद्धि को ध्यान रखते हुए हमें बच्चों के कल्याण को संरक्षण देना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि उचित प्रशिक्षण और संरक्षण से उनका विकास किया जाना चाहिए। उचित मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ उनके पालन–पोषण द्वारा राष्ट्र के कल्याण की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है और इसी प्रकार से समुचित विकास के बाद ही हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास पूर्ण विकसित क्षमता, राष्ट्र की गतिशीलता हो जहां बच्चों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा अपने बौद्धिक विचारों के विकास तथा अपनी दक्षता के प्रदर्शन के लिए लोगों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है ताकि व्यस्क अवस्था में लोगों को बेहतर जीवन सुलभ हो सके।

मुझे पता है कि इस कार्य के लिए सरकार के पास केवल पांच दिन और हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारी प्रणाली ऐसी है जिसमें नौकरशाहों को भावी सरकार के साथ ही कार्य करना पड़ता है। इसलिए, बच्चों के संरक्षण तथा उचित विकास के लिए सख्ती से क्रियान्वयन आवश्यक है चाहे यह चुनाव की अवधि के दौरान हो अथवा अन्यथा है। कानूनों के क्रियान्वयन, जो पहले से उपलब्ध हैं, यदि उनका क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जाए तो बच्चों की कई समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं और शिकायतों को निपटारा हो सकता है।

एक बार पुनः मैं श्रीमती रेणूका चौधरी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र को बच्चों के इन अधिकारों के प्रति सचेत किया।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : सम्माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले विद्वान सदस्या बहन रेणूका चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस अति–महत्वपूर्ण संकल्प को सदन के पटल पर रखा है। उनकी जो चिंताएं हैं और उन चिंताओं के साथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके संदर्भ में भी मैं कुछ जानकारी देना

(श्रीमती जसकौर मीणा)

चाहूंगी। उन्होंने अपनी चिंताओं में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं क्योंकि अनाथ बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने संकल्प में दोहराया है और चाहा है कि हमने जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कंवेंशन पर जो हस्ताक्षर किए थे, उससे बच्चों की स्थिति में क्या सुधार आया? दूसरी बात उनके संकल्प में यह है कि कल-कारखानों में, खदानों में काम करने वाले बच्चों की स्थिति में, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की स्थिति में, देह व्यापार में धकेली गयी किशोर बालिकाओं की स्थिति में क्या सुधार आया। अपनी चिंता भी उन्होंने अपने इस संकल्प में की है। दूसरी चिंता उन्होंने यह भी की है कि संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत बच्चों को दिया गया शिक्षा का अधिकार पर्याप्त नहीं है।

इसमें अंतिम बात राष्ट्रीय बाल नीति के संदर्भ में, केन्द्र में राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन के संदर्भ में तथा राज्यों के राज्य बाल आयोग के गठन के संदर्भ में है। माननीय सदस्या ने अपनी चिन्ता इस संकल्प में व्यक्त की है। माननीय सदस्या श्रीमती रेणूका चौधरी जी का निजी विधेयक भी मंत्रालय को प्राप्त हुआ था जिस में उन्होंने राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन पर चिन्ता व्यक्त की थी और विधेयक में राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन की बात सुझायी थी। उसके संदर्भ में मैं उन्हें ये कह कर संतुष्ट करना चाहूंगी कि वह पहले अपने संकल्प में उठायी गई चिन्ताओं के संदर्भ में यह देखें कि वर्तमान में सरकार के पास उपलब्ध क्या समाधान हैं? मैं सबसे पहले उन समाधानों की चर्चा करना चाहूंगी। 22 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय बाल नीति बनी। उसके अंतर्गत बच्चों के जन्म पूर्व से जैसा कि मैं यह कहूं कि कोख से जब बच्चा गोद में आता है, गोद से बच्चा आंगन में खेलने आता है और आंगन से बच्चा पाठशाला में पहुंचता है तब तक कि सम्पूर्ण समुचित विकास की व्यवस्था इस राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत निहित थी। इसके साथ ही उसके सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के संदर्भ में जो सरकार की चिंताएं राष्ट्रीय बाल नीति में दर्शायी गयी हैं, उनका उल्लेख स्पष्ट है। दूसरा, उसमें यह भी सुझाव था कि हम 6 से 14 वर्ष के बालक की समुचित शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास के मनोरंजन की जितनी भी गतिविधियों का संवर्धन कर सकते हैं, उन सब की भी हमें चिंता थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा कमजोर वर्ग के बालकों के लिए विशेष ध्यान उस नीति में अंकित है। यह वर्तमान में उपलब्ध समाधान हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान समय में जो निराश्रित, अनाथ, कमजोर, गरीब परिवार के पिछड़े बच्चे हैं, कृषक परिवार के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभावग्रस्त बच्चे हैं, शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए सरकार ने कई लाभकारी स्कीमें चलायी हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि संविधान का 86 वां संशोधन जो इसी सदन में 2002 में पास हुआ, उसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व-शिक्षा अभियान नाम की योजना और महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिए। यह बात आपके ध्यान में लाते हुए मुझे प्रसन्नता है कि प्रारम्भिक शिक्षा और वह भी प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा हर बालक को मिले, हमने इसकी व्यवस्था की है। राज्य सरकारों को इस काम के लिए जो धन दिया है उसका समुचित मूल्यांकन साथ-साथ चल रहा है।

बच्चों के हित में हमारे संविधान में पहले से ही जो प्रावधान हैं, मैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगी। राज्य बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकते हैं। संविधान की धारा 15 (3) में इसका स्पष्ट उल्लेख है। दूसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल-कारखानों, खदानों और कठिन परिस्थितियों में जो जोखिम भरे काम करने पड़ते हैं उनके ऊपर पूर्णरूपेण प्रतिबंध संविधान की धारा 39 (ड) में दिया है। इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं हो सकता है कि समाज में जागरूकता के अभाव में इन धाराओं को समझने में कई परिवार अभी समर्थ नहीं हैं जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा की वजह से कृषक और मजदूर परिवारों में ये स्थितियां स्पष्ट हैं।

11 दिसम्बर, 1992 को बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बाल अधिकार कनवैंशन जो रखी गई थी, उसके अंतर्गत भारत में बच्चों के प्रति जो कर्तव्य तय थे और जिन के बारे में हमारा देश काफी चिंतित था, उसके साथ-साथ यह तय हुआ था कि बच्चों का परिवार, समाज से लेकर सरकार तक बच्चे के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और संवर्धन की जो स्थिति है। उसे किस तरह लागू कर सकते हैं – समाज की जागरूकता इसमें बहुत अहम योग दे सकती है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार के साथ-साथ समाज की अहम जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल विकास संबंधी अनेक जागरूकता के कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे स्वस्थ, सुखी, शिक्षित हों उनका सफल विकास हो और वे देश की मुख्यधारा में जुड़ते हुए देश के सक्षम नागरिक बनने के लिए आगे आयें। उसके लिए बाल श्रमिक उन्मूलन की जो परिकल्पना है, वह श्रम विभाग की महती कल्पना है जिसमें बाल श्रमिक उन्मूलन के संदर्भ में कड़े कानून हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से उनका भी कार्यान्वयन हो रहा है।

सभापति जी, बाल शिक्षा उन्मूलन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो बालक और बालिकाएं लगी हुई हैं, उनका कहीं न कहीं किन्हीं हाथों में पड़कर शोषण किया जाता है। किसी कठोर कानून की जागरूकता के अभाव में इसकी अनुपालना नहीं हो पाती है। मैं मानती हूं कि जिन विद्वान साथियों ने अपनी चिन्ता यहां रखी

है, उसके साथ एक चिन्ता यह भी ले ली जाये कि इस कानून की क्रियान्विति के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करें। अवैध देह व्यापार उन्मूलन कानून हमारे साथ में हैं। किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए पूरे देश के अंदर आज समेकित बाल विकास परियोजना को, आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से, हमने क्रियान्वित किया हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब कभी भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर ऐसे आंगनवाडी केन्द्रों से पूछा होगा तो उनके ध्यान में यह बात जरूर आई होगी कि किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, महिला–पुरूष के अनुपात को लेकर यहां चिन्ता जताई गई है। यह वास्तव में एक अहम चिन्ता का विषय है। हमें इस बात को देखना होगा। बहिन रेणूका जी ने कहा है कि बेटी को दूध कम पिलाया जाता है। मैं इसी क्रम में उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि बेटी या बेटा मां का खजाना है। यह कहना कि मां की कोख में बेटा होता है तो वह लाडला होता है और अब बेटी होती है तो कम लाडली होती है या मां बेटे को ज्यादा दूध पिलाती है, यह समाज की अपनी व्यवस्था है और समाज में महिला को हमने इस असहाय स्थिति में पहुंचाया है। आज सरकार इस बात को पहचान रही है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने यह योजना लागू की है कि बेटी के जन्म लेने पर सरकार 500 रुपये देती है। बेटी के जन्म लेने पर यह केवल संवेदनशीलता पैदा करने वाली मात्र एक भावना पैदा करने वाली बात है। बच्ची का जन्म बहुत उपयोगी जन्म है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बालक और बालिका का महत्व माता–पिता, परिवार, समाज और सरकार सब के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है और बालक या बालिका आगे चलकर एक पुरूष या महिला बनकर प्रकृति की संरचना करते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस चिंता से उन्हें मुक्त कराना चाहती हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि संविधान के 86वें संशोधन के मद्देनजर जो कदम उठाये गए हैं, वे प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर उठाये गये हैं। श्रीमती रेणूका चौधरी जी राष्ट्रीय बाल विकास की चिन्ता को लेकर यह विधेयक लाई हैं जो मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बाल विकास आयोग के प्रस्ताव को सरकार ने 2002 में मंजूरी दे दी थी और उसके बाद यह राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना का पूर्ण दस्तावेज़ तैयार है। अभी श्री सुदर्शन ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। आदरणीय डा. मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा बाल आयोग से संबंधित दस्तावेज़ दोनों सदनों के पटल पर रखे गये थे।

सायं 6.00 बजे

और ध्वनिमत से वह चार्टर दस्तावेज अनुमोदित हुए हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के संदर्भ में आपकी भावना के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि राष्ट्रीय बाल आयोग का जो दस्तावेज है, वह विधेयक दिनांक 5.12.2003 को लोक सभा में पुनः स्थापित कर दिया गया है और शीघ्र ही यह आयोग के रूप में परिणित होकर पूरे देश के बालकों के संरक्षण का काम करेगा। इसके साथ ही माननीय सदस्य की चिंता थी कि राज्यों में भी बाल आयोग का गठन हो। मुझे यह बताते हुए खशी हो रही है कि सरकार ने राष्ट्रीय बाल आयोग के दस्तावेज़ तैयार करने से पूर्व प्रत्येक राज्य के साथ इसकी चर्चा की है और चर्चा में यह सुझाव दिया है कि हम राज्यों में भी इसी प्रकार बाल आयोग की संरचना करें और मैं खुशी के साथ यह भी बताना चाहती हूं कि दो राज्यों ने इस पर अपनी सहमति भी दी है कि वे दोनों राज्य अपने यहां बाल आयोग का भी गठन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत होती है तो इस मद पर चर्चा आज ही समाप्त कर सकते हैं। यदि सभा सहमत होती है, हम सभा का समय दस मिनट के लिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें वाद–विवाद का उत्तर देना है।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : कृपया सभा का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दीजिए क्योंकि अन्य संकल्प भी हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : मेरे संकल्प के विषय में क्या फैसला हुआ है। इस लोकसभा का यह अन्तिम सत्र है और मेरा संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : उन्हें अपना संकल्प प्रस्तुत करने देना चाहिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : वस्तुतः उनके संकल्प हेतु दो घंटे का समय आबंटित किया गया था किन्तु उतना समय नहीं लगा।

अध्यक्ष महोदय : गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों का समय 6 बजे तक है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : उनके संकल्प के लिए दो घंटे का समय आबंटित हुआ था, जो कि समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात कुछ अतिरिक्त समय शेष है। यदि संकल्प पर चर्चा करने में दो घंटे लगे होते तो छह बजे से अधिक समय हो गया होता।

सभापति महोदय : जब तक हम समय नहीं बढ़ाते, वह समय का उपयोग नहीं कर सकती हैं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : हमारी तरफ से एक अनुरोध है। वह अपना संकल्प ला सकती हैं किन्तु एक निरसन विधेयक है उसे कृपया लिया जाए क्योंकि उसमें एक मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा।

सभापति महोदय : सभा की सम्मति लेने के बाद हम इसे लेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : श्रीमती रेणूका चौधरी के उत्तर के बाद प्रो. प्रेमाजम अपना संकल्प ला सकती हैं।

सभापति महोदय : जब मंत्री अपनी बात समाप्त कर लें तभी वह उत्तर दे सकती हैं।

यदि सभा सहमत होती है, तो सभा के समय शेष कार्य जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक के लिए इसका समय बढ़ाया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा : माननीय सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाये हैं। बालकों के सबलीकरण के लिए आपने बाल चाटर, बाल आयोग के संदर्भ में निवेदन किया है, लेकिन भ्रूण परीक्षण को लेकर जो एक तरह से लिंग परीक्षण की व्यवस्था थी, उस संदर्भ में भी सदन ने एक कानून पास किया है कि भ्रूण परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके साथ–साथ बच्चों की उत्तरजीविका, स्वास्थ्य वृद्धि, समुचित विकास, सुरक्षा, उनके आगे के भविष्य के निर्माण में विकासोन्मुख गतिविधियों को लेकर भी सरकार ने अनेकों बार इस तरह से प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं। इसमें मैं यह सोचती हूं कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, आज 56 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये हैं। 50 वर्ष तक भले ही किसी एक विचारधारा का शासन रहा हो, लेकिन विगत छः वर्ष के अंदर बाल दिवस के लिए हमने पूरे देश के बच्चों से पूछा है। अभी तक वन–वे–ट्रैफिक था। एक तरफ हम नीतियां, पॉलिसी और चार्टर बनाकर देते थे। लेकिन हमने गत 14 नवम्बर को देश के हर जिले में बच्चों से पूछा है कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, माता–पिता से क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सात हजार बच्चों ने हमें जवाब लिखकर भेजे हैं। उनके जो विचार हैं, उन्हें हम बाल नीति, बाल विकास की गतिविधियों के अंदर समाहित करेंगे। बच्चों ने इस पर इतने उत्तम विचार दिए हें कि वे मां–बाप से कुछ चाहते है, समाज से भी कुछ चाहते हैं और सरकार से भी कुछ चाहते हैं और

सायं 6.04 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

वातावरण से भी कुछ चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्या ने जो यह अति महत्वपूर्ण संकल्प सदन के सामने पेश किया है, उसके प्रति सरकार चिंतित हैं और चिंता के साथ सरकार ने विगत छः वर्षो में जो कदम उठाये हैं, जिस विधेयक, बाल आयोग की संरचना और बाल चार्टर के दस्तावेज को जो मंजूरी यहां दी गई है, उसके सन्दर्भ में मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कहूंगी कि अब तो आपको खुशी होगी और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय यहां उठाया और हमारी सतर्कता में वृद्धि की। मैं सतर्कता और विश्वास के साथ आपको बताना चाहती हूं कि सरकार सतर्क है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इस भविष्य को सुधारना, विकसित करना, सुरक्षित रखना हमारा ही नहीं, सरकार का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज का भी दायित्व है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्या की जो इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं, वे सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को यह वापस लें।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मुझे धैर्यपूर्वक सुनने तथा विस्तृत उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं।

यह कहने के पश्चात्, मैं सरकार को सावधान भी करना चाहूंगी कि जिन उपायों को हम पर्याप्त मानते हैं उतने पर हीं निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि आप भारत का इतिहास और बालिकाओं के विरूद्ध सामाजिक भेदभाव को देखें, तो हम पायेंगे कि हमने जो भी प्रगति और तथाकथित विकास किए हैं; समाज में एक बालिका की स्थिति और दर्जा उतना बुरा कभी नहीं था जितना आज है। लिंग भेदभाव है, वैसे कानून और विधान हैं जो अनचाहे इस लिंगभेद को लागू करते हैं तथा सामाजिक मानदण्ड, सिनेमा, विज्ञापनों में महिलाओं का चित्रण और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी हुई है वहां यह देखने को मिलता है। एक तरफ महिलाएं अग्रणी हैं यथा प्रतियोगी परीक्षाएं आदि में, सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही हैं, पुरूष एकाधिकारी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और पर्दे से बाहर आ रही हैं। दूसरी तरफ, अधिक से अधिक भेदभाव दिख रहा है, और बालिका शिशु के जन्म के विरूद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एम्निओसेन्टेसिस के भयावह परिणाम हैं। हम परिस्थिति देखते हैं। भारत में बालिका शिशु के लिए इससे बुरी स्थिति कभी नहीं थी।

अतः हमें इस सामाजिक रोग की जांच करनी चाहिए और एक रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे हम भारत को समझ सकें, बदल सकें, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि 'भारत उदय' एक सुरक्षित स्थल बने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन एक महिला आधी रात को सड़क पर सुरक्षित निर्भीक रूप से घूम सके तब उस दिन भारत सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और मुक्त बनेगा। हम उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि रेलगाड़ी में चेन की चोरी की घटना न हो, शादी के बाद दहेज के लिए जलाया न जाए। अतः कहीं न कहीं समाज में अव्यवस्था है। हम सब को बालिका शिशु

को पहचानने, सम्मान देने और स्वीकार्य करने की दिशा में मिल कर काम करना चाहिए। आज दुर्भाग्यवश विभिन्न क्षेत्रों में लड़कों का भी इसी प्रकार यौन शोषण हो रहा है।

ऐसा कहकर और सरकार को सावधान कर, मैं अब अपने सभी साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं और अपने संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपने संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सायं 6.04 बजे

[अनुवाद]

(तीन) महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाना

सभापति महोदय : प्रो. ए.के. प्रेमाजम अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगी।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा संविधान (पचासीवाँ संशोधन) विधेयक, 1999, जो लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में है, को पारित करने में हुए विलंब पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह उस विधेयक को पारित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।"

सभापति महोदय : अब सभा सरकारी कार्य को लेगीं। माननीय मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, यह वास्तव में दुःख की बात है कि इस सरकार ने हर तरह के ढोंग और शोरगुल के बाद भी महिला आरक्षण विधेयक को पारित नहीं कराया है। यह बहुत दुःख की बात है ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, यह गैर–सरकारी सदस्यों का दिन है और यह इस लोक सभा के अन्तिम शुक्रवार को पड़ा है, मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : सभापति जी, हमारी सरकार ने बहुत प्रयत्न किया था यूनैनिमसली महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए, लेकिन हम लोगों को ही सपोर्ट नहीं मिल रहा और इसी कारण हमें समिति में जाना पड़ा। अध्यक्ष जी ने भी इस कारण सर्वदलीय बैठक बुलाई फिर भी यह बिल पास नहीं हुआ। सरकार चाहती है कि यह बिल पास हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, यह गैर सरकारी सदस्यों का समय है।

सभापति महोदय : आपने अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। कृपया, बैठ जाइए। अब गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों हेतु समय समाप्त हो गया है। ढाई घंटे पहले ही बीत चुके हैं। मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, यह महिलाओं और महिला आरक्षण के हित के प्रति घोर भेदभाव है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं नियमों के अनुसार ही कार्य कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : यह घोर अन्याय है ...*(व्यवधान)*... मैं महिला हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : कृपया, मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मुझे नियम अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्री जी को आमंत्रित किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. ए. के. प्रेमाजम, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो कुछ भी बोलेंगी वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया, सहयोग करें।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित समय अब समाप्त हो गया है। अब हमने सरकारी कार्य आरम्भ कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : यह 13वीं लोक सभा में संकल्पों हेतु अंतिम शुक्रवार है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं। कृपया सहयोग करें। कृपया अब मंत्रीजी को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह इस संकल्प पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं। मैं प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रहा हूं। अब माननीय मंत्री को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : गणपूर्ति का क्या होगा?

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.13 बजे

[अनुवाद]

ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दि ब्रिटिश लॉ एसर्टेन्मेंट एक्ट, 1859, दि फोरन लॉ एसर्टेन्मेंट एक्ट 1861, दि कालोनिमल प्रोबेट्स एक्ट, 1892, जहां तक वे भारत पर लागू होते हैं और इंडिया (कांसिक्वेन्शनल प्रोविजन एक्ट, 1949 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

महोदय, ये चार विधेयक हैं जिनकी पी.सी. जैन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है। . ..*(व्यवधान)* गणपूर्ति होने दीजिए।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की कमी का मुद्दा उठाकर आपका संकल्प नहीं आएगा। आप अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रहा हूं।

ठीक है, गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजने के दौरान किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. ए.के. प्रेमाजम, आप जो भी बोल रही हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पी.सी. पलानीमनिक्कम, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। गणपूर्ति की घंटी बजाई जा रही है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जा रही है और इसलिए कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा में गणपूर्ति नहीं है और इसलिए सभा नहीं चल सकती।

अब सभा मंगलवार, 3 फरवरी, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 3 फ़रवरी, 2004/14 माघ, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।